FOR REFERENCE ONLY

H.P

आर्थिक समीक्षा 1997

हिमाचल प्रदेश

ECONOMIC REVIEW

HIMACHAL PRADESH

5252
338.95452
HIM 97

DEPARTMENT OF ECONOMICS & STATISTICS
HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

हिमाचल प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा

1997

अर्थ एवम् संख्या विभाग

NIEPA DC
D10774

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10774
Date 26-07-2000

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है, जो सरकार के विभिन्न विभागों की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 1996-97 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में, जब कि सांख्यकीय तालिकायें भाग दो में दी गई हैं ।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इस समीक्षा के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् संख्या विभाग ने किया। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूं ।

कंवर शमशेर सिंह
वित्तायुक्त एवं सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं संख्या),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय-सूची

भाग-1 वर्ष 1996-97 की प्रगति की समीक्षा

		पृष्ठ
1.	सामान्य समीक्षा	1
2.	जनसंख्या	5
3.	राज्य आय	7
4.	कृषि	9
5.	उद्योग	28
6.	विद्युत	30
7.	रोजगार	37
8.	ग्रामीण विकास	42
9.	भाव की स्थिति	48
10.	नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं	51
11.	व्यापार तथा वाणिज्य	70
12.	परिवहन तथा संचार	72
13.	सहकारिता	76
14.	स्थानीय निकाय	78

भाग-1

वर्ष 1996-97 की प्रगति की समीक्षा

1. आर्थिक समीक्षा

देश की आर्थिक स्थिति

1.1 वर्ष 1991-92 में पिछली बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए जो आर्थिक सुधार प्रारम्भ किए गए थे उनके कारण विकास की प्रक्रिया इस वर्ष भी जारी रही। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो वर्ष 1991-92 में 0.8 प्रतिशत हो गई थी बढ़ कर वर्ष 1994-95 में 7.2 प्रतिशत हो गई तथा पुन: वर्ष 1995-96 में 7.1 प्रतिशत रही। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1994-95 के 2,56,095 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1995-96 में 2,74,209 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1994-95 में 8,54,340 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 9,85,787 करोड़ रुपये हो गया। 1980-81 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1994-95 के 2,449 रुपये की तुलना में वर्ष 1995-96 में 2,573 रुपये हो गई। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की 8,282 रुपये की तुलना में इस वर्ष 9,321 रुपये हो गई जो कि 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.2 सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत की यह वृद्धि उद्योग, विद्युत व्यापार, होटल व रेस्तरां, रेल तथा संचार इत्यादि क्षेत्रों में हुई सराहनीय वृद्धि के कारण आई। इस वर्ष लोक प्रशासन तथा रक्षा व अन्य व्यैक्तिक सेवाओं के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है परन्तु कृषि तथा वानिकी क्षेत्रों में आंशिक कमी आई। वर्ष 1995-96 में कृषि उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि चावल (-2.6प्रतिशत), गेहूं (-4.8 प्रतिशत) मोटा अनाज (-1.0 प्रतिशत) तथा दालों (-5.5 प्रतिशत) के कम उत्पादन के कारण है। मुद्रा स्फिति की दर जो वर्ष 1994-95 में 10.4 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 5.0 प्रतिशत तक पहुंच गई थी फिर से बढ़नी शुरू हो गई जो कि बिन्दू दर बिन्दू आधार पर 31.12.1995 से 30.12.1996 के दौरान बढ़कर 7.4 प्रतिशत की हो गई जबकि गत वर्ष इसी अवधि में मुद्रा-स्फिति की दर 6.03 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अधिकतर कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन अभी तक भी सामायिक वर्षा तथा मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। वर्ष 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन 15.17 (अस्थाई) लाख टन हुआ। जबकि 1996-97 के लिये यह लक्ष्य 15.47 लाख टन का है।

गत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)
1992-93	13.13
1993-94	12.37
1994-95	14.06
1995-96 (अस्थाई)	15.17
1996-97 (लक्ष्य)	15.47

1.4 हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थित रूप से फल उत्पादन कार्य स्वतन्त्रता के पश्चात ही आरम्भ किया गया। प्रदेश की विविध जलवायु फलों को पैदा करने के लिए इतनी उपयुक्त है कि यहां तटीय क्षेत्र के फलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के फलों का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 1994-95 में फलों का कुल उत्पादन 1.71 लाख टन था बढ़कर वर्ष 1995-96 में 3.12 लाख टन हो गया तथा वर्ष 1996-97 में लगभग 3.46 लाख् टन होने की सम्भावना है। सब्जियों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और 1996-97 में 4.40 लाख टन सब्जियों का उत्पादन होने की आशा है। हिमाचल प्रदेश का बीज आलू जोकि रोगमुक्त होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, इसकी देश भर में बहुत मांग है।

1.5 द्रुत अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1994-95 के 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1995-96 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय 1994-95 के 7,846 रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 8,747 रुपये हो गई।

1.6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में वैसे तो शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि बची हुई बस्तियों को भी इसके अन्तर्गत लाना है। वर्ष 1994-95 के 1,131.7 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1995-96 में लगभग 1,286.0 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 1996-97 में नवम्बर,1996 तक 1,103.8 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। प्रदेश में बिजली के क्षेत्र को लगातार उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

1.7 मार्च,1996 तक प्रदेश में कुल 2.90 लाख लोग रोजगार पर लगे थे। सभी रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर,1996 तक बेरोजगारों की संख्या 6.45 लाख थी। सरकार ने अधिक रोजगार के

अवसर प्रदान करने हेतु कई कार्यक्रम शुरू किए हैं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,1996 तक 7.05 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए। दिसम्बर,1996 तक "प्राईसम" कार्यक्रम के अन्तर्गत 369 युवकों को प्रशिक्षित किया गया, 225 युवकों को रोजगार प्रदान किया गया ।

1.8 वर्ष 1995-96 में कृषि समितियों द्वारा 9.08 लाख सदस्यों को 3,654.11 लाख रुपये के ऋण दिए गए जबकि 1994-95 में 8.92 लाख सदस्यों को 3,179.94 लाख रुपये के ऋण दिए गए थे ।

1.9 पर्यटन विकास के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोलने के साथ-साथ गैर-वाणिज्यिक पर्यटन जैसे कि कम विकसित स्थानों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व होगा । इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन विकास में निजि उद्यमियों को सम्मिलित करना है। इस नीति के अन्तर्गत निजि उद्यमियों को कुछ छूट व प्रोत्साहन देने का प्रावधान है ।

1.10 प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिये उन्नत ढांचे की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा उद्यमियों को छूट व प्रोत्साहन की ओर आकर्षित किया गया है। हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, चाय तथा अन्य गहन श्रमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे राज्य के ग्रामीण लोगों में औद्योगीकरण के लाभों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

1.11 राज्य के विकास कार्यक्रम प्रदेश की तीव्र उन्नति तथा सामाजिक समानता के उद्देश्यों से संचालित होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति व्यापक रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा आदि के लिए अधिक योजना उद्व्यय का प्रदाय व सामाजिक सुरक्षा के ढांचे के निर्माण द्वारा की जा रही है। वर्ष के दौरान मुख्य सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियां हैं (i) वर्ष 1996-97 में राज्य में 225 करोड़ रुपये की लागत से अधिक रोजगार उपलब्ध करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख बेरोजगार युवकों को सरकारी, निजि तथा संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, (ii) राज्य में कांगड़ा जिले के टांडा में दूसरा राज्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोलना, (iii) सभी स्तरों पर जिसमें, तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठयक्रम भी सम्मिलित है में लड़कियों को मुफत शिक्षा देना, (iv) 0-5 वर्ष के बच्चों के लिए पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, (v) वर्ष 1997-98 के अन्त तक 2,100 प्राथमिक पाठशालएं खोलकर समस्त पात्र बच्चों को एक किलोमीटर के बीच में ही प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जिनमें से 1,400 पाठशालाएं 1996-97 के अन्त तक कार्यान्वित कर दी जाएंगी, (vi) वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दर 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपए

प्रतिमास करना, (vii) कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के पुर्नवास भत्ते को 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रतिमास करना, (viii) वर्ष 1994 में शुरू की गई 'गांधी कुटीर योजना' के अन्तर्गत ग्रामीण गृह कार्यक्रम को जारी रखते हुए दिसम्बर, 1996 तक 19,000 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। (ix) सभी ऐसी बस्तियां जो सुरक्षित पेयजल के अन्तर्गत नहीं ली गई हैं (एन.सी. बस्तियां) को वर्ष 1997-98 में इसके अन्तर्गत लाना, (x) मार्च, 1998 तक प्रत्येक 2 पंचायतों में एक पशु औषधालय खोलना, (xi) सभी आई.आर.डी. परिवारों को विकासशील परियोजनाओं की ऋण सुविधा के लिए रियायती दर पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा 50 प्रतिशत अनुदान सभी विकासशील परियोजनाओं पर दिया जाएगा (xii) 1.3.1996 से सभी 24 अनुसूचित रोजगारों में अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी रुपए 45.75 या 1,375 रुपए प्रतिमाह।

2. जनसंख्या

2.1 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो कि **1981** की जनगणना के अनुसार **42.81** लाख थी **20.79** प्रतिशत की दस वर्षीय वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर **1991** की जनगणना के अनुसार **51.71** लाख हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर यह दस वर्षीय वृद्धि **1981-1991** के दौरान **23.85** प्रतिशत रही। जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के लिए प्रति वर्ग किलोमीटर **93** है और समस्त भारत का **274** है। निम्न तालिका में प्रदेश व भारत की जनसंख्या से सम्बन्धित मुख्य विशेषताएं दर्शाई गई हैं:

जनसंख्या आंकड़े(1991 की जनगणना के अनुसार)

मद	हिमाचल प्रदेश	भारत
1. जनसंख्या (लाखों में):		
(क) पुरुष	26.18	4,392.31
(ख) स्त्रियां	25.53	4,070.72
कुल	51.71	8,463.03
2. दस वर्षीय वृद्धि दर (1981-91) (प्रतिशत)	20.79	23.85
3. घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	93	274
4. लैंगिग अनुपात (1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या)	976	927
5. साक्षरता (प्रतिशत)	63.86	52.21
6. शहरी जनसंख्या (योग से प्रतिशत)	8.69	25.73
7. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (कुल से प्रतिशत)	25.34	16.48
8. अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या (कुल से प्रतिशत)	4.22	8.08

परिवार का आकार

2.2 प्रदेश में **1991** जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या **9.69** लाख थी और परिवार का औसत आकार **5** था ।

लैंगिक अनुपात

2.3 लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस शताब्दी के आरम्भ से प्रदेश में लगातार बढ़ रही है जो कि **1901** में **884** से **1991** में **976** हो गया । राष्ट्रीय स्तर पर

लैंगिक अनुपात 1901 में 972 से घटकर 1981 में 934 तथा 1991 में 927 हो गया ।

नगरीय प्रवृति

2.4 स्वतन्त्रता से देश की शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह 1971 में 19.91 प्रतिशत, 1981 में 23.34 प्रतिशत से बढ़कर 1991 जनसंख्या के अनुसार 25.73 हो गई । हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या का बढ़ना काफी कम रहा । यह 1971 में 6.99 प्रतिशत, 1981 में 7.61 प्रतिशत तथा 1991 जनगणना के अनुसार बढ़कर 8.69 प्रतिशत हो गई । 1981-91 के दौरान राज्य की शहरी जनसंख्या की सीमान्त वृद्धि दर 1.08 प्रतिशत है । शिमला जिला के अतिरिक्त जिसकी शहरी जनसंख्या 20.08 प्रतिशत है, अन्य जिले जहां पर शहरी जनसंख्या की अधिक प्रतिशतता रही वह कांगड़ा (13.21 प्रतिशत), मण्डी (12.41 प्रतिशत), तथा सोलन (10.53 प्रतिशत) है ।

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनसंख्या

2.5 प्रदेश में 1981 की 10,53,958 अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की तुलना में 1991 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13,10,296 थी जो कुल जनसंख्या का 25.34 प्रतिशत है। 1991 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 2,18,349 थी जो कुल जनसंख्या का 4.22 प्रतिशत है जबकि 1981 में 1,97,263 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता 93.7 और जनजातीय जनसंख्या 97.5 थी। 1981-1991 के दशक में कुल जनसंख्या के 20.79 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में अनुसूचित जातिय व जन-जातिय जनसंख्या का दस वर्षीय वृद्धि दर क्रमश: 24.32 प्रतिशत तथा 10.69 प्रतिशत रहा

श्रमिक जनसंख्या

2.6 1991 जनगणना के अनुसार मुख्य तथा सीमान्त श्रमिक कुल जनसंख्या का क्रमश: 34.41 व 8.42 प्रतिशत है। शेष कुल जनसंख्या का 57.17 प्रतिशत अश्रमिक हैं। मुख्य श्रमिकों में 63.25 प्रतिशत कृषक, 3.30 प्रतिशत कृषि मजदूर, 1.43 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में कामगार और शेष 32.02 प्रतिशत अन्य व्यवसायों में थे जिनमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

धर्मानुसार जनसंख्या

2.7 1991 जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4 मुख्य धर्म हैं । सबसे अधिक हिन्दू जो कि 49,58,560 हैं(95.9 प्रतिशत), उसके बाद मुसलमान 89,134(1.7 प्रतिशत), बौद्ध 64,081(1.2 प्रतिशत) और सिख 52,050(1.0 प्रतिशत) आते हैं । ईसाई कुल जनसंख्या का केवल 0.1 प्रतिशत जैन 0.02 प्रतिशत तथा अन्य 0.03 प्रतिशत हैं ।

3. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

3.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदंड है। द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर (आधार **1980-81=100**) वर्ष **1995-96** में प्रदेश का घरेलू उत्पाद **1,593.60** करोड़ रूपये हो गया जबकि यह वर्ष **1994-95** में **1,495.30** करोड़ रूपये था। वर्ष **1995-96** में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर **6.6** प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर **7.1** प्रतिशत है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष **1994-95** में **4,876.16** करोड़ रूपए से बढ़कर **1995-96** में **5,518.52** करोड़ रूपये हो गया जो कि **13.2** प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष **1994-95** में खाद्यान्न उत्पादन **14.06** लाख टन की तुलना में वर्ष **1995-96** में यह **15.17** लाख टन हुआ। सेब का उत्पादन वर्ष **1994-95** में **1.23** लाख टन से बढ़कर **1995-96** में **2.77** लाख टन हो गया था। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार-चढ़ाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। वर्ष **1995-96** के दौरान भी कुल राज्य आय का लगभग **28** प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है।

3.2 गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर नीचे सारणी में दर्शाई गई है:-

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1993-94	**4.3**	**5.0**
1994-95 (अस्थाई)	**5.3**	**7.2**
1995-96 (द्रुत)	**6.6**	**7.1**

प्रति व्यक्ति आय

3.3 राज्य आय के द्रुत अनुमानों के अनुसार **1995-96** में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय **8,747** रूपये है जो कि **1994-95** (**7,846** रूपये) की तुलना में **11.5** प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

3.4 वर्ष **1995-96** में प्रदेश की राज्य में सबसे अधिक अनुदान प्राथमिक क्षेत्रों का है जो कि **36.45** प्रतिशत है। गौण क्षेत्रों का **25.22** प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का **18.79** प्रतिशत,

परिवहन संचार एवं व्यापार का 9.97 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 9.57 रहा ।

3.5 वर्ष 1995-96 में मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत हुए आर्थिक विकास का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

प्राथमिक क्षेत्र

3.6 प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन तथा उत्खनन है, वर्ष 1995-96 के दौरान विकास दर में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि रही ।

गौण क्षेत्र

3.7 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 1995-96 में वार्षिक विकास दर 6.6 प्रतिशत रही ।

परिवहन संचार एवं व्यापार

3.8 वर्ष 1995-96 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर 6.4 प्रतिशत रही ।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

3.9 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 1995-96 में 3.7 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजी सेवाएं

3.10 इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 1995-96 में 8.7 प्रतिशत है ।

4. कृषि

4.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अत: यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है इससे प्रदेश में लगभग **71** प्रतिशत मुख्य श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता है । राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का लगभग एक तिहाई भाग कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल **55.67** लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से **10.10** लाख हैक्टेयर क्षेत्र **8.34** लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। औसतन जोत **1.2** हैक्टेयर बनती है। वर्ष **1990-91** की कृषि गणना के अनुसार जोतों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	कृषकों की श्रेणी	जोतों की संख्या (लाखों में)	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	जोतों का औसतन आकार (हैक्टेयर)
1.0 से कम	सीमान्त	5.32 (63.8%)	2.15 (21.3%)	0.4
1.0-2.0	लघु	1.66 (19.9%)	2.35 (23.3%)	1.4
2.0-4.0	अर्ध-मध्यम	0.94 (11.3%)	2.58 (25.5%)	2.7
4.0-10.0	मध्यम	0.36 (4.3%)	2.05 (20.3%)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	0.06 (0.7%)	0.97 (9.6%)	16.1
		8.34 (100.0%)	10.10 (100.0%)	1.2

4.2 प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है । सातवीं योजना से पहले किसानों को तकनीकी जानकारी देने के इलावा उन्नत बीज की किस्में, उर्वरक, पौध संरक्षण उपायों, उन्नत किस्म के कृषि औजारों का वितरण तथा कृषि भूमि पर भू तथा जल संरक्षण उपायों द्वारा अनाज व नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जाता रहा।

4.3 सातवीं योजना तथा वार्षिक योजना **1991-92** तथा **1992-93** और 8वीं पंचवर्षीय योजना में समय पर निवेश आपूर्ति, सिंचाई के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर, जल संग्रह विकास, प्रदर्शन और प्रभावकारी उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी के द्वारा, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त आलू, दालों तथा तिलहनों की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। **1996-97** के दौरान प्रगति समीक्षा नीचे दी गई है:-

खाद्यान्न उत्पादन

4.4 वर्ष **1995-96** के दौरान खाद्यान्न उत्पादन **15.17** (अस्थाई) लाख टन हुआ। वर्ष **1996-97** के दौरान **15.47** लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है तथा वर्ष **1997-98** के दौरान **15.85** लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का प्रस्ताव है। पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

(लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1992-93	**13.13**
1993-94	**12.19**
1994-95	**14.06**
1995-96 (अस्थाई)	**15.17**
1996-97 (लक्ष्य)	**15.47**

इस उत्पादन स्तर को प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है ।

(i) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

4.5 प्रदेश में मक्की व धान की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दी गई **75** प्रतिशत वित्तीय सहायता से विशेष उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज, पौध संरक्षण सामग्री तथा कृषि उपकरण इत्यादि किसानों को उपदान मूल्यों पर वितरित किए गए।

(ii) अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में

4.6 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान व गेहूं के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में लाया गया क्षेत्र निम्न तालिका में दिया गया है:-

खाद्यान्न उत्पादन

'000 टन में

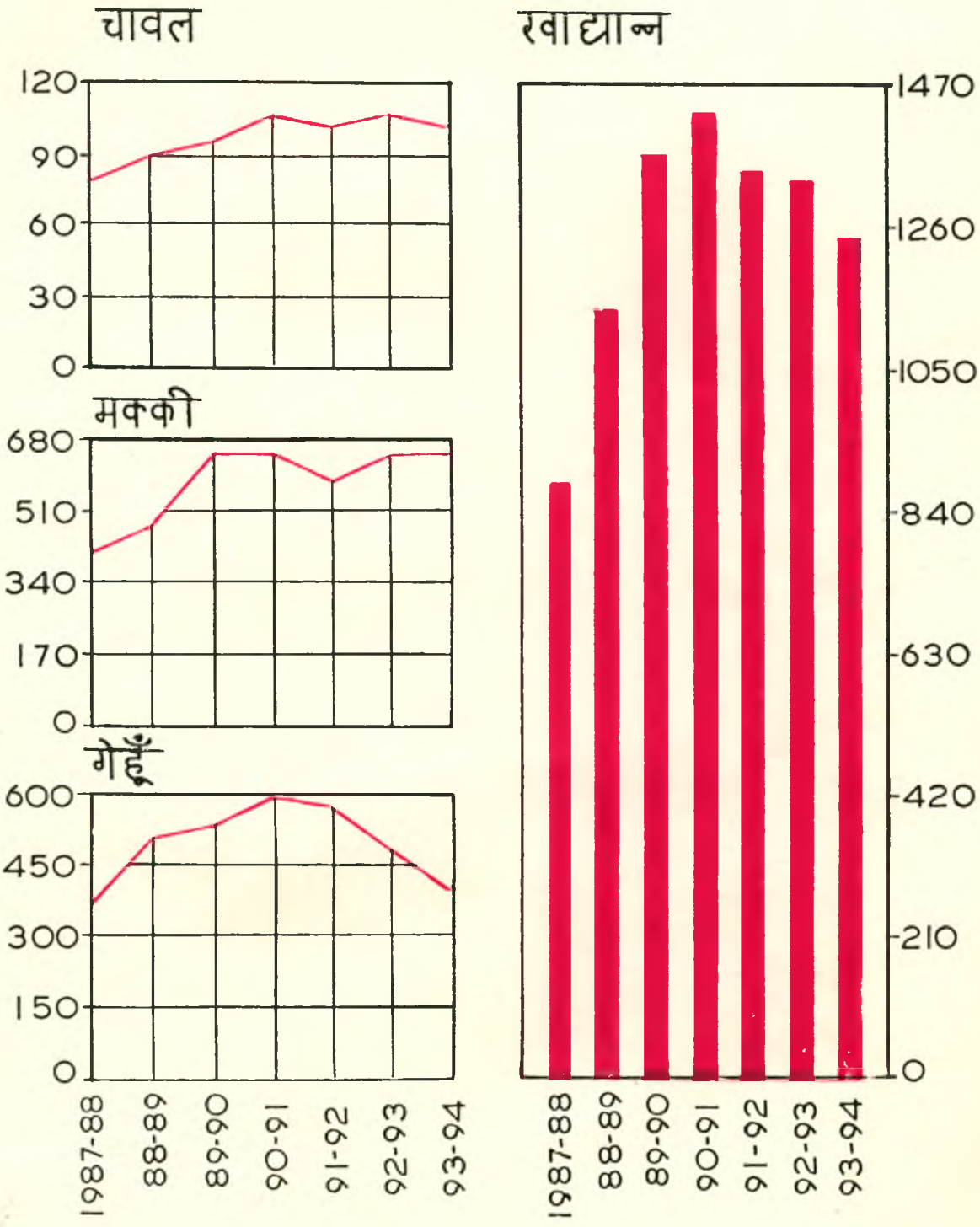

फसल का नाम	इकाई	अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र		निर्धारित लक्ष्य
		1994-95	1995-96	1996-97
मक्की	'000 हैक्टेयर	130.00	157.67	165.00
धान	"	81.50	81.01	82.00
गेहूं	"	362.83	373.10	365.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा चयनित आई. आर. डी. पी. में आने वाले किसानों को 50 प्रतिशत मूल्यों पर अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए गए ।

(iii) उर्वरक

4.7 मात्र उर्वरक ही ऐसा निवेश है जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। लगातार व समर्पित भावना से किए गए प्रयत्नों से वर्ष 1985-86 में प्रयोग में लाए गए 23,664 मि.टन उर्वरक का स्तर वर्ष 1992-93 में 30,605 मि.टन हो गया। आठवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों की खपत का स्तर बढ़कर 35,000 मि. टन होने की आशा है । वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार द्वारा परिवर्तित नीति के अनुसार गोदाम से परचून केन्द्रों तक उर्वरक के ढुलान पर 100 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर अनुदान की राशि 405 रुपये प्रति मि.टन दी जा रही है और एस.एस.पी.पर यह दर 245 रुपये प्रति मि.टन प्रति किसान प्रति फसल 3 बैग तक दी जा रही है। पिछले वर्ष में उर्वरकों की खपत व वर्ष 1996-97 में प्रस्तावित खपत तथा 1997-98 के लक्ष्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

मद	उर्वरक की पौष्टिक रूप में खपत ('000 मि.टन.		
	1995-96	1996-97 (सम्भावित)	1997-98 (लक्ष्य)
नाईट्रोजनस	24.9	25.3	26.5
फासफैटिक	2.6	5.4	5.6
पोटाशिक	2.2	4.3	4.4
योग	29.7	35.0	36.5

(iv) पौध संरक्षण

4.8 फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि फसलों को इनमें लगने वाली बिमारियों, कीट व कीट नाशकों से बचाया जाए । वर्ष 1995-96 में 4.40 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र विभिन्न पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाये जाने के विपरीत वर्ष 1996-97 में भी 4.40 लाख हैक्टेयर को पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व चयनित आई.आर.डी.पी. परिवारों को पौध संरक्षक रसायन तथा उपकरण 50 प्रतिशत कीमतों पर उपलब्ध करवाए गए

(v) मिट्टी की जांच

4.9 मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए मिट्टी की निरन्तर जांच आवश्यक है । सभी जिलों में मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी गई हैं । वर्ष 1995-96 में लगभग 58,588 मिट्टी के नमूने विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करने के लिये एकत्रित किये गए। वर्ष 1996-97 के दौरान 70,000 मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है ।

कृषि विपणन

4.10 उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम-1969 लागू रहा और रेगुलेटेड मार्किटों को प्रदेश के विभिन्न भागों में बनाया जाना भी जारी रहा। अभी तक 29 रेगुलेटेड मार्किटों, 29 सब-मार्किट यार्ड तथा 2 टर्मिनल मार्किट प्रदेश में स्थापित किए गए।

अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र के किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन

4.11 सरकार द्वारा जून,1996 में उर्वरकों को छोड़कर सभी कृषि निवेशों पर अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को 50 प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति प्रदान की है।

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, कृषि क्षेत्र में महिलाएं

4.12 "कृषि क्षेत्र में महिलाएं" योजना के अंतर्गत शिमला जिला के मशोबरा, ठियोग, रामपुर विकास खण्डों को लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि में संलग्न महिलाओं के समूह बनाए जाएंगें जिससे कि कृषि तकनीकों व इसके प्रसार का कार्यान्वियन उनके द्वारा ठीक प्रकार से हो सके।

बेरोजगार युवकों को कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना

4.13 "कृषि कस्टम हायरिंग-कम सर्विस सैंटर" रोजगार दिलवाने की योजना के अंतर्गत 900 बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया जाएगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले वर्ष यानि 1996-97 में 300 कस्टम हायरिंग-कम सर्विस सैंटरों की स्थापना संभावित क्षेत्रों/फोकल पाइंटस पर की जाएगी ताकि उद्यमियों को जारी रहने वाला रोजगार निश्चितता के आधार पर दिलवाया जा सके।

बीज प्रमाणीकरण

4.14 बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उत्पादकों को उनकी उपज के अच्छे दाम दिलवाने की सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम पर बल दिया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में उत्पादकों को उनके बीज उत्पादन तथा उनकी उपज प्रमाणीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था ने काफी मात्रा में उत्पादकों को पंजीकृत किया।

भू-संरक्षण

4.15 कृषि भूमि पर भू-संरक्षण उपायों के अंतर्गत नियंत्रण बांध, ब्रश डैम, लोहे के जाल व टैंकों को बनवाया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत वर्ष **1996-97** से टैंट बनाने के लिए प्रति इकाई प्रति किसान **5,000** रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रयोजित नदी-घाटी योजनाएं एवं बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में "एकीकृत जल प्रबंधन" योजनाएं प्रदेश में लागू की गई हैं।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना

4.16 यह योजना भारत सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई जहां पर कुल खेती योग्य क्षेत्र का निश्चित स्त्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र **30** प्रतिशत से कम हो। प्रदेश के कुल **72** विकास खण्डों में से केवल **58** ही इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों को मध्य नजर रखते हुए प्रदेश में **58** जल विभाजन क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है ।प्रत्येक विकास खण्ड में एक। इस कार्य के लिए **15.41** करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान है तथा इस परियोजना के विभिन्न घटकों पर कृषि, उद्यान, पशु-पालन तथा वन विभागों द्वारा **8.0** करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

बायो-गैस विकास कार्यक्रम

4.17 परम्परागत ईंधन के तेजी से खत्म होते स्त्रोतों जैसे कि जलाने की लकड़ी को देखते हुए प्रदेश में बायो-गैस का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस कार्यक्रम के आरम्भ से दिसम्बर,**1996** तक कुल **36,672** बायो-गैस संयत्र लगाए जा चुके हैं। वर्ष **1996-97** में **1,200** बायो-गैस संयत्र लगाने की सम्भावना है तथा वर्ष **1995-96** में **1,231** बायो-गैस प्लांट लगाए गए थे।

उद्यान

4.18 विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिये हिमाचल प्रदेश की जलवायु तथा वनस्पति बहुत उचित है । अधिक उत्पादन तथा प्रति उद्यान इकाई अधिक आय होने के फलस्वरूप प्रदेश में उद्यान ग्रामीण लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है । सेब का उत्पादन अभी भी फल उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है । साथ ही साथ अन्य फसलें भी जैसे नींबू प्रजाति के फल, आम, गुठलीदार फल और पुष्प खेती, होप्स, मधु-मक्खी पालन, व खुम्ब

उत्पादन भी सम्भावित क्षेत्रों में धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार तथा राज्य के लोगों के अथक प्रयासों के कारण प्रदेश ने देश के बागवानी के मानचित्र पर एक श्रेष्ठ स्थान बना लिया है। आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक आदर्श राज्य माना जा रहा है। वर्ष 1996-97 में उद्यान क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख निम्नलिखित है:-

फलों के अधीन क्षेत्र

4.19 वर्ष 1996-97 में फल पौधों के अन्तर्गत 8,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य था। दिसम्बर,1996 तक लगभग 2,700 हैक्टेयर क्षेत्रफल फल पौधों के अन्तर्गत लाया जा चुका है तथा 6.05 लाख फल पौधों का वितरण किया गया। शेष लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

फलोत्पादन

4.20 वर्ष 1996-97 में सभी प्रकार के फलों के उत्पादन की क्षमता 6.42 लाख टन है, जबकि दिसम्बर,1996 तक प्रदेश में 3.38 लाख टन फलों का उत्पादन हो चुका है तथा वर्ष 1996-97 के दौरान केवल 2.46 लाख टन कुल फल उत्पादन होने की संम्भावना है। फूल एवं फल लगने तथा फल विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्रतिकूल मौसम के कारण फलों की फसलों को क्षति हुई जिसके फलस्वरूप फलोत्पादन में कमी आई।

जंगली फल पौधों का उत्तम किस्मों में सुधार

4.21 जंगली फल पौधे इस प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं जिन्हें शीर्ष कलमबन्दी द्वारा उत्तम किस्मों में बदल कर उनसे अधिक लाभ उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में दिसम्बर,1996 तक 0.50 लाख फल पौधों के लक्ष्य की तुलना में 0.66 लाख पौधों की कलमबन्दी की जा चुकी है।

पौध संरक्षण

4.22 वर्ष 1996-97 में 1.75 लाख हैक्टेयर बागवानी क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,1996 तक 0.91 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाया गया जिसके वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है, क्योंकि पौध संरक्षण कार्य भी शीत व बसन्त ऋतु के दौरान ही किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त स्कैब के रोग की रोकथाम के अन्तर्गत 0.60 लाख हैक्टेयर लाने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1996-97 में लगभग 0.45 लाख हैक्टेयर में स्कैब रोधक दवाइयों का छिड़काव किया जा चुका है। बागवानों को फल पौधों पर कीटों एवं बिमारियों की रोकथाम के लिये माह दिसम्बर,1996 तक 152.16 लाख रुपये की 93.61 मिट्रिक टन कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयों का वितरण किया गया ।

फल उत्पादन

क्षेत्रफल

'000 हैक्टेयर

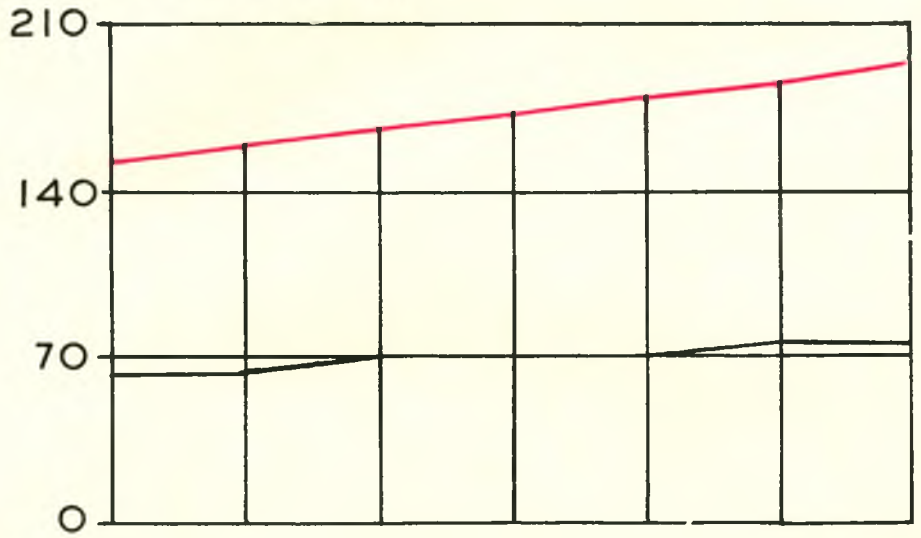

उत्पादन

'000 टन में

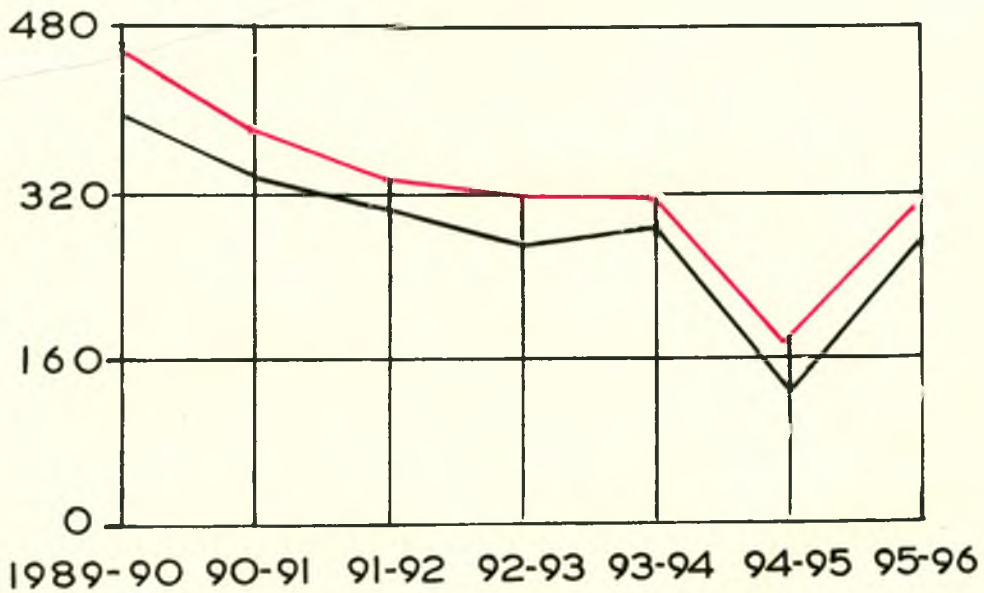

सेव

सभी फल

उद्यान उद्योग में विविधता लाना

4.23 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक महत्व वाली नई फल फसलों जैसे पुष्प उत्पादन, जैतून, अंजीर, होप्स, कीवी फल तथा स्ट्रावैरी इत्यादि को भी भविष्य में फल फसलों के रूप में बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं । वर्ष **1996-97** के दौरान दिसम्बर, **1996** तक **16** हैक्टेयर क्षेत्रफल पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया तथा **21** पुष्प उत्पादन सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत की गई। वर्ष के दौरान दिसम्बर, **1996** तक **56** मिट्रिक टन शुष्क हाप्स का उत्पादन हुआ। जन-जातीय क्षेत्रों में एक **24** मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले हाप्स के सुखाने एवं विधायन संयंत्र की स्थापना की गई।

सहयोगी औद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना

4.24 फल फसलों के उत्पादन में विविधता लाने के अतिरिक्त सहयोगी औद्यानिकी गतिविधियों जैसे खुम्ब उत्पादन, मौन पालन तथा पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देकर भी उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है। वर्ष **1996-97** में चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित विभागीय दो खुम्ब विकास परियोजनाओं में **250.18** मिट्रिक टन पास्चूराईजड कम्पोस्ट तैयार की गई तथा खुम्ब उत्पादकों में वितरित की गई। वर्ष **1996-97** में दिसम्बर, **1996** तक **457** मिट्रिक टन खुम्ब उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष **1996-97** में **480** मौनवंश वितरित किए गए तथा **300** मिट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य में से दिसम्बर, **1996** तक **284** मिट्रिक टन शहद उत्पादन हुआ।

फलों का विपणन एवं विधायन

4.25 वर्ष **1996-97** के दौरान प्रदेश से दिसम्बर, **1996** तक लगभग **2.94** लाख टन फलों का निर्यात किया गया। उत्पादकों को उन के उत्पादन के लिये पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विस्तृत प्रबन्ध किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रगतिनगर(कोटखाई) में स्थापित कार्टन फैक्टरी में दिसम्बर, **1996** तक **31.25** लाख टैलीस्कोपी कार्टन का निर्माण किया गया तथा बागवानों में बांटा गया । पेटियां बनाने के लिए जंगलों पर आश्रित न होने तथा लकड़ी की पेटियों के लिए विकल्प सुझाने की दृष्टि से प्रदेश में फल उत्पादकों को उनके उत्पाद की पैकिंग हेतु सी. एफ. बी कार्टन प्लास्टिक क्रेट तथा सफेदे की लकड़ी के बाक्स इत्यादि के लिये प्रदेश सरकार निम्न प्रकार से उपदान प्रदान कर रही है:-

क्रम सं.	जिले का नाम	विवरण	परिवहन अनुदान दर (रूपये)	प्रति इक अधिकतर परिवहन अनुदान सीमा (रूपये)
1.	सोलन, सिरमौर, ऊना बिलासपुर, हमीरपुर तथा कांगड़ा	(क) फटियां (i) 0.25 प्रति आधा बक्सा		500
		(ii) 0.50 प्रति स्टैंडर्ड बक्सा		
		(ख) गैल्ट्रू (iii) 5.00 प्रति क्विंटल		500
2.	शिमला, मण्डी, कुल्लू, चम्बा, किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति	(क) फटियां (i) 0.50 प्रति आधा बक्सा		1,000
		(ii) 1.00 प्रति स्टैंडर्ड बक्सा		
		(ख) गैल्ट्रू 10.00 प्रति क्विंटल		1,000
3.	कार्टन पर अनुदान समस्त जिले	1. टैलिस्कोपिक कार्टन	12.00 प्रति कार्टन	
		2. कुल्लू कार्टन	5.00 प्रति कार्टन	15,000 प्रति बागवान
		3. पलम कार्टन	2.50 प्रति कार्टन	
		4. बादाम कार्टन	2.00 प्रति कार्टन	

4.26 इस विभाग की 9 फल विधायन इकाइयों द्वारा वर्ष 1996-97 के 3... मिट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 1996 तक 247.5 मिट्रिक टन फल पदार्थ तैयार किए गये तथा सामुहिक फल विधायन सेवा के अन्तर्गत 66.5 मिट्रिक टन फल पदार्थ तैयार किए। इसके अतिरिक्त 3,883 व्यक्तियों को घरेलू स्तर पर फल सब्जियों के विधायन कार्य में प्रशिक्षण दिया।

4.27 इस के अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. ने फल उत्पादक क्षेत्रों में अनेक शीतकरण इकाईयों तथा सभी महानगरों तक फलों की सुरक्षित ढुलाई और रख रखाव के लिए शीत श्रृंखला एवम् शीत भंडारों की

योजना बनाई है। अतः इस के द्वारा ताजे फलों तथा सब्जियों की अन्तिम मंडी तक आपूर्ति की जायेगी और उत्पादकों को मंडियों में मूल्य कम मिलने की अवस्था में उत्पादक अपनी उपज इन शीत भंडारों में सुरक्षित रख सकेंगे। निगम ने हि. प्र. से फलों एंव सब्जियों के निर्यात के लिए एक निर्यात ईकाई स्थापित करने की योजना भी बनाई है। निकट भविष्य में निगम अपने परवाणु स्थित एक टेट्रापैक की भराई का कारखाना भी लगाने जा रही है। इस प्रकार वर्ष 1997 के आरम्भ में व्यापक पैमाने पर हर प्रकार के रस को टेट्रापैक में विभिन्न मंडियों में भेजा जा सकेगा।

नई तकनीक द्वारा उत्पादकता बढ़ाना

4.28 बागीचों में उपलब्ध पानी स्त्रोत के सही उपयोग हेतु ड्रिप सिंचाई पद्धति जैसी आधुनिक तकनीक तथा फलों, सब्जियों व पुष्पों का बेमौसम तथा संरक्षणात्मक ढंग से गुणवता उत्पादन करने हेतु ग्रीन हाऊस तकनीक को बढावा दिया जा रहा है तथा इन नई तकनीकियों को अपनाने हेतु किसानों को 10 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है । इस के अतिरिक्त किसानों को डिब्बों में फल भरने व उनकी ढुलाई हेतु प्लास्टिक करेटस पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सहायता स्कीम के अन्तर्गत भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

सिंचाई

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना

4.29 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 की अवधि में 343.43 लाख रुपए सिंचाई की सुविधा हेतु व्यय किए गए। वर्ष 1996-97 में 322.00 लाख रुपए का प्रावधान है जिससे 1,055 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नवम्बर,1996 के अन्त तक 173.15 लाख रुपये 545 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये व्यय किए गए और शेष लक्ष्य की पूर्ति वर्ष के अंत तक कर ली जाएगी।

लघु सिंचाई परियोजनाएं

4.30 वर्ष 1995-96 में 2,675.92 लाख रुपये राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं को 1,608 हैक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध करवाने हेतु व्यय किए गए। वर्ष 1996-97 में 3,109.00 लाख रुपये का राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया है जिससे 1,600 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाओं को दिया जा सके। इसके अन्तर्गत नवम्बर, 1996 तक 974 हैक्टेयर भूमि आ चुकी है। जबकि शेष लक्ष्य मार्च,1997 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जल वितरण क्षेत्र

4.31 प्रदेश सरकार सिंचाई क्षेत्र में उपयोगिता तथा सिंचाई शक्ति में बढ़ौतरी के बीच अन्तर के प्रति सचेत है ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा सके जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सके । जहां तक प्रदेश में अपने वित्तीय साधनों से चलाई गई योजनाओं का सम्बन्ध है कमांड क्षेत्र विकास कार्य केवल मध्यम सिंचाई

योजनाओ पर किया जा रहा है। बल्ह घाटी व भभौर साहिब फेज-1 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान 219.00 लाख रूपए जिसमें 109 लाख रूपए की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, भभौर साहिब फेज-II के अन्तर्गत 400 हैक्टेयर भूमि में फील्ड चैनल तथा 250 हैक्टेयर भूमि में वाराबन्दी के लिए रखे गए हैं। दिसम्बर,1996 तक 400 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल बनाए गए तथा 250 हैक्टेयर क्षेत्र में वाराबन्दी की जा चुकी है ।

बाढ़ नियंत्रण

4.32 वर्ष 1995-96 में 500 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई जिसपर 203.17 लाख रूपए खर्च किए गए। वर्ष 1996-97 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 370.00 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान है जिससे 500 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत लानी है । इसके अन्तर्गत नवम्बर,1996 तक 212.81 लाख रूपये की लागत से 351 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अधीन लाई जा चुकी है और चालू वर्ष के अंत तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

कृषि गणना

4.33 वर्ष 1990-91 की कृषि गणना के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 8.34 लाख जोतें थीं जो कि वर्ष 1985-86 पर 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं । इन जोतों का कुल क्षेत्र 1990-91 में 10.10 लाख हैक्टेयर था। इसके परिणाम स्वरूप औसत जोत वर्ष 1990-91 में 1.21 हैक्टेयर रह गई । वर्ष 1990-91 में सीमान्त जोतों(1.0 हैक्टेयर) की संख्या 5.32 लाख हो गई जब कि वर्ष 1985-86 में 4.63 लाख थी जबकि लघु जोतें (1.0 से 2.0 हैक्टेयर) वर्ष 1985-86 में 1.55 लाख थी, वर्ष 1990-91 में बढ़कर 1.66 लाख हो गई । 0.5 हैक्टेयर तक की जोतें जो 1985-86 में 2.96 लाख थी वर्ष 1990-91 में बढ़कर 3.37 लाख हो गयी । और 0.5 से 1.0 हैक्टेयर तक की जोतें जो वर्ष 1985-86 में 1.67 लाख थीं 1990-91 में बढ़कर 1.82 लाख हो गई । लघु जोतों की तुलना में 10.0 हैक्टेयर व उससे अधिक जोतों की संख्या जो वर्ष 1985-86 में 5,643 थी वर्ष 1990-91 में घटकर 5,522 रह गई । सीमान्त व लघु जोतों (3.0 हैक्टेयर और उससे कम की जोतें) के सम्बन्ध में यह प्रतिशतता जो वर्ष 1985-86 में 82.2 थीं 1990-91 में बढ़कर 83.8 हो गई और उनके अधीन क्षेत्र की प्रतिशतता जो वर्ष 1985-86 में 43.2 थी बढ़कर 1990-91 में 44.6 हो गई । इसके विपरीत 10.0 हैक्टेयर व इससे अधिक बड़ी जोतों की प्रतिशतता वर्ष 1985-86 तथा 1990-91 में 0.7 ही रही। इसके अतिरिक्त 1990-91 की कृषि गणना के अनुसार 8.34 लाख जोतों में से 1.87 लाख व 0.35 लाख जोतें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की थी जोकि कुल

जोतों का 22.4 प्रतिशत व 4.2 प्रतिशत है । जहां तक उनका क्षेत्र मे हिस्से का सम्बन्ध है वह 1.38 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति व 0.40 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जनजाति का है जो कि कुल 10.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का 13.7 प्रतिशत व 4.0 प्रतिशत है । यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों की जोतों व क्षेत्र में प्रतिशतता की जाए तो वह 26.6 प्रतिशत व 17.6 प्रतिशत होती है ।

भूमि सुधार

4.34 भूमि सम्बन्धी तरीकों में सुधार नीति प्रदेश में वर्ष 1996-97 में भी लागू रही। इस नीति के अन्तर्गत, (क) काश्तकार किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना, (ख) भूमि जोतों में भिन्नता को कम करना, (ग) भू-एकत्रीकरण द्वारा जोतों के विभाजन को रोकना, (घ) भूमि रिकार्ड्ज को बन्दोबस्त कार्यवाही द्वारा संशोधित करना और (ड.) नौतोड़ रूल्ज, 1968 अधिशेष भूमि उपयोग स्कीम 1975 के अन्तर्गत भूमिहीन व पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन करना है।

स्वामित्व के अधिकार देना

4.35 हिमाचल प्रदेश काश्तकार एवं भूमि सुधार अधिनियम-1972 के 10वें अध्याय के तहत गैर स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। धर्मशाला मण्डल में 2,35,472 गैर स्वामित्व काश्तकार थे जिनमें से 2,17,332 को स्वामित्व के अधिकार दिए जा चुके हैं । शेष काश्तकार ऐसे हैं जो भू-स्वामी संरक्षण वर्ग में आते हैं जैसे कि बच्चे, विधवा, सैनिक, अपंग व्यक्ति आदि। इसी प्रकार मंडी मंडल में 1,07,107 गैर-स्वामित्व काश्तकारों में से 95,621 को स्वामित्व के अधिकार दिये गए। इसके अतिरिक्त शिमला मण्डल में 31,477 गैर स्वामित्व काश्तकार हैं जिनमें से 3,078 काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए गए।

हि. प्र. ग्रामीण शामलात (निहित और उपयोग) एक्ट, 1974

4.36 धारा 3 के अन्तर्गत गांवों की कुल शामलात भूमि सरकार में निहित हुई है जिसे भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों को आवंटन हेतु प्रयोग किया जा रहा है । धर्मशाला मण्डल में 31.12.1996 तक कुल 3,859 भूमिहीनों / गृहहीन व्यक्तियों को जो 1981-1983 के सर्वेक्षण में चुने गये थे कृषि तथा गृह निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया जा चुका है । शेष चुने हुये व्यक्तियों को कृषि योग्य तथा गृह निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि नहीं दी जा सकी है। इसी प्रकार मण्डी मण्डल में कोई भी भूमि भूमिहीनों को आवंटित नहीं की गई है। वर्ष 1981-1983 के सर्वेक्षण के अनुसार चुने हुए सभी व्यक्तियों को भूमि प्रदान कर दी गई है परन्तु जिला कुल्लू में वन भूमि होने के कारण कुछ व्यक्तियों को भूमि प्रदान नहीं की जा सकी है। शिमला मण्डल में सारी शामलात भूमि भूमिहीनों तथा पात्र व्यक्तियों में वितरित की गई।

किसान पास बुकों का वितरण

4.37 किसान पास बुकों के वितरण का कार्य **1996-97** में जारी रहा। कांगड़ा व मण्डी मण्डल में दिसम्बर,**1996** तक **3.92** लाख व **0.11** लाख किसान पास बुकें किसानों को वितरित की गई।

भूमि एकीकरण

4.38 पुराने सर्वेक्षण के अनुसार कुल **49** लाख एकड़ भूमि भू-एकत्रीकरण के योग्य है इसमें से मार्च,**1996** तक **21.93** लाख एकड़ भूमि एकत्रित की जा चुकी है। भू-एकत्रीकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर , सोलन तथा मण्डी जिलों में प्रगति पर हैं। वर्ष **1996-97** में दिसम्बर,**1996** तक **9,650** एकड़ भूमि में यह कार्य पूर्ण हुआ।

पशुपालन

4.39 ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में पशुपालन के विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, (2) गौजातीय पशु विकास, (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार तथा चारा विकास और (6) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों की **1996-97** की सम्भावित उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण केन्द्र

4.40 इस समय राज्य में **302** पशु चिकित्सालय, **25** केन्द्रीय पशु औषधालय, **731** औषधालय हैं जहां पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है और विभिन्न छूत के रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश में **14** चलते-फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं जो कि महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा सुविधा शीघ्र पहुंचाते हैं । प्रदेश में **4** क्लीनिकल प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जिनसे पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच की जाती है । राज्य मुख्यालय में एक सर्विलेंस इकाई कार्य कर रही है । जिसके द्वारा पशुओं के रोग की जांच व रोगों का नियन्त्रण किया जाता है । वर्ष **1996-97** में पशु महामारी (रिंडरपैस्ट) जो छूत की बिमारी है की रोकथाम के लिए **4** चैक पोस्ट पंडोगा तथा मांदली जिला ऊना में, स्वारघाट जिला बिलासपुर में तथा गिलवां जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं । इनके द्वारा वर्ष **1996-97** में, **12,000** आने जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमान है ।

4.41 वर्ष **1996-97** में पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना हैं ।

क्रम संख्या	मद	1996-97 की सम्भावित उपलब्धियां (' 000)
1.	घृत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व बाह्य रोगी)	12
2.	अघृत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व बाह्य रोगी)	1,520
3.	रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय, औषधालय आदि में नही लाए गए	47
4.	टीके लगाए गए	19
5.	बंधियाकरण किया	108
6.	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा:	
	(क) घृत	25
	(ख) अघृत	310
7.	परिभ्रमण बंधियाकरण	80
8.	परिभ्रमण में लगाए गए टीके	530

गोजातीय विकास

4.42 गायों में जर्सी नसल सब नसलों से उत्तम मानी गई है। इससे प्रदेश में नसल सुधार के लिए जर्सी प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। गायों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। जहां आवागमन के साधन सुगम नहीं हैं वहां जर्सी नसल के बैलों से गायों में प्राकृतिक गर्भाधान का कार्य किया जाता है। भैंसों की नसल का सुधार मुरहा प्रजाति की नसल से किया जा रहा है। भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किन्नौर, कुल्लू तथा लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़ शेष सभी जिलों में किया जा रहा है। पशु विकास का कार्य निम्न स्कीमों द्वारा किया जा रहा है।

(क) ग्राम सम्वर्धन योजना:- इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्वर्धन ब्लाक तथा 55 ग्राम सम्वर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में कार्यरत है।

(ख) पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 31 केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान की जा रही है

(ग) सघन गोजातीय विकास परियोजना:- गोजातीय विकास

के लिए घणाहट्टी में सघन गोजातीय विकास परियोजना' कृत्रिम गर्भाधान कार्यों को पूरा करती है। यह परियोजना घणाहट्टी में स्थित वीर्य बैंक से शिमला जिले की शिमला व सुन्नी तहसील में तथा सोलन जिले की अर्की तहसील में 20 केन्द्रों/उप केन्द्रों में चलाई जा रही है ।

(घ) चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं:- प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 894 चिकित्सालयों/औषधालयों द्वारा दोगली जाति के प्रजनन व कृत्रिम गर्भाधान की सुविधांए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधांए उपलब्ध न हों ।

(ङ.) कृत्रिम गर्भाधान:- उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं वहां 46 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधांए प्रदान की जा रही हैं।

4.43 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है:-

क्रम सं.	मद	वर्ष 1996-97 की सम्भावित उपलब्धियां	
		गाय	भैंसे
1.	कृत्रिम गर्भाधान	3,07,000	55,000
2.	प्राकृतिक गर्भाधान	1,200	-
3.	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	1,02,000	21,000
4.	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	850	-

4.44 प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को शुरु करने के लिए 5 क्रास प्रजनन फार्म कमान्द, भंगरोटू (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा) तथा बागथन (सिरमौर) में कार्यरत हैं । तीन वीर्य कोष जिसमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा 7 तरल नाईट्रोजन संयत्र हैं, राज्य में सांडों का जमा हुआ वीर्य विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में आपूर्ति कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने से वर्ष 1996-97 में 7 लाख टन दूध के उत्पादन की सम्भावना है। इस वर्ष 4.00 लाख गाय व 65,000 भैंसों के स्ट्रा तथा इसके अतिरिक्त 1,50,000 लिटर तरल नाईट्रोजन का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न 900 सुधरी नस्ल के बछड़ों/बछड़ियों को विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम के तहत कम दरों पर पशु

आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास

4.45 भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), सरौल (चम्बा), नगवाई (मण्डी), ताल (हमीरपुर) और कड़छम (किन्नौर) राज्य में किसानों को उन्नत भेड़ें देते हैं । इन फार्मों में **2,600** भेड़ें थी । वर्ष **1996-97** में लगभग **700** उन्नत भेड़ें किसानों को वितरित किए जाने की सम्भावना है। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तथा सोवियत मैरीनों और अमेरिकन रैमबुलेट की ख्याति को देखते हुए सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर प्रजनन कार्य शुरु कर दिया है । पांच भेड़ प्रजनन केन्द्र कोठी, कोहार (कांगड़ा) स्वाड़ (मण्डी), बागीपुल (कुल्लू) डोडरा क्वार (शिमला) तथा चुरी (चम्बा) में कार्यरत हैं । भेड़ों के विकास के लिए विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम दरों पर ऋण प्रदान करने की परियोजना सिरमौर जिला में चलाई जा रही है । इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो चम्बा जिले की भरमौर, चम्बा व भटियात तहसीलों में लागू है, के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें दी जाती हैं तथा डिपिंग व ड्रैंचिंग की सुविधाओं के साथ चरागाहें उन्नत की जाती हैं । भेड़ों की ड्रैंचिंग तथा भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया है । वर्ष **1996-97** में **16.00** लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन की संभावना है । अंगोरा खरगोश पालकों को अंगोरा खरगोश का वितरण पालमपुर (कांगड़ा), नगवांई (मण्डी) तथा रिब्बा (किन्नौर) फार्म द्वारा किया जा रहा है।

कुक्कुट विकास

4.46 सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिए प्रदेश में **14** कुक्कुट फार्म कार्यरत हैं । वर्ष **1996-97** में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की संभावना है:-

क्रम	मद	वर्ष **1996-97** की सम्भावित उपलब्धियां
1.	सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	**4,300**
2.	अण्डों का उत्पादन	**8,50,000**
3.	चूजों का उत्पादन	**3,00,000**
4.	चूजे निकालने के लिए रखे गए अण्डे	**3,20,000**
5.	खाने के लिए अण्डों का विक्रय	**4,40,000**
6.	चूजे निकालने के लिए अण्डों का विक्रय	**1,000**
7.	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	**1,92,000**
8.	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	**30,000**

4.47 विशेष पशुधन(कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए है वर्ष **1996-97** में **130** कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पशु आहार तथा चारा विकास

4.48 उन्नत किस्म की नसलों को उपयुक्त मात्रा में सुदृढ़ पौष्टिक आहार व चारा देकर सुरक्षित रखा जा रहा है। उपजाऊ भूमि पर चारा ऊगाया जाता है तथा चारागाहों को विकसित किया गया है। पशु पालकों को उन्नत किस्म के चारा स्टम्प, चारा बीज् तथा चारा वृक्ष कम दामों पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

प्रशिक्षण

4.49 विभाग दुग्ध उत्पादकों तथा स्टाक सहायकों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। इस वर्ष लगभग **560** दुग्ध उत्पादकों को तथा **500** बेटनरी फार्मासिस्टों आदि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मत्स्य

4.50 हिमाचल प्रदेश विशाल एवं विभिन्न प्रकार के मत्स्य स्त्रोतों से सम्पन्न राज्य है जिसमें शीतल जल के नदी नालों और जलाशयों का जाल बिछा है जिसमें उष्ण कटिबधीय व सब-टैम्परेट की मत्स्य प्रजातियां हैं। नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिक्रीएशन और पौंड फिशरिज में वर्गीकृत राज्य के जलों में मत्स्य विकास की काफी संभावना है । प्रदेश में लगभग **12,000** मछुआरे अपनी रोजी के लिए मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है । वर्ष **1996-97** में सबसे पहले मत्स्य कार्प व ट्राऊट किस्म के बीज के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप दिसम्बर,**1996** तक **19.15** मिलियन कार्प बीज उत्पादित किया गया। सुल्तानपुर, होली , बरोट, नागनी तथा नालागढ़ में मत्स्य बीज फार्मों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। भारत नार्वेजियन ट्राउट फार्म पतलीकुहल पर नार्वे से आइड ओवा आयात करके इसकी पुनः स्थापना कर ली गई। दिसम्बर,**1996** तक गोविन्द सागर और पौंग जलाशय केवल में ही **1,074** टन मछली का उत्पादन हुआ।

4.51 अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभाग सामुदायिक लाभ की योजनाओ पर विशेष बल दे रहा है । विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रमांक	मद	लक्ष्य	उपलब्धियां	
		1996-97	दिसम्बर, 1996 तक	मार्च, 1997 तक संभावित
1.	मत्स्य उत्पादन (मि. टन)	6,700	4,205	6,700
2.	मत्स्य बीज उत्पादन (मिलियन)	30.00	19.15	30.00
3.	पंजीकृत मछुआरे (संख्या)	13,225	8,000	13,000

वन

4.52 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 63.8 प्रतिशत अर्थात 35,518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति में मूल आधार उपयोग के साथ संरक्षण करना तथा साथ-साथ इसकी नींव का विस्तार करना सम्मिलित है। इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं:-

वन रोपण

4.53 वन रोपण का कार्य फलोत्पादक वन योजना तथा भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है । फलोत्पादक वन योजना में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों, आर्थिक वन रोपण, चारागाह में सुधार, ईधन व चारा तथा गौण वन उपज इत्यादि आते हैं। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर, 1996 तक 713.10 लाख रुपए की लागत से 1,654 हैक्टेयर क्षेत्र फलोत्पादक वन योजना के अन्तर्गत लाया गया।

एकीकृत वेस्टलैण्ड विकास परियोजना

4.54 यह परियोजना चम्बा जिले के भरमौर, चम्बा, चुराह तथा डलहौजी मण्डलों में चलाई जा रही है । यह परियोजना 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि की है तथा इस परियोजना की कुल लागत 441.00 लाख रुपये है । वर्ष 1996-97 में 56.51 लाख रुपये की तुलना में दिसम्बर, 1996 तक 19.60 लाख

रुपये व्यय किए जा चुके हैं जिससे 546 हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 440 हैक्टेयर क्षेत्र में यह योजना चलाई गई है ।

वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण

4.55 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आखेट स्थलों में सुधार लाना है ताकि विभिन्न पशु-पक्षियों की प्रजातियों को बचाया जा सकें । वर्ष 1996-97 में 350.47 लाख रुपये की तुलना में दिसम्बर, 1996 तक 157.07 लाख रुपये(केन्द्रीय भाग सहित) की राशि उपयोग में लाई गई ।

वन सुरक्षा

4.56 वनों को अग्नि, अवैध गिरान तथा अतिक्रमण आदि खतरों का सामना प्रायः करना पड़ता है इसलिए आवश्यकता है कि उपर्युक्त स्थानों पर चैक पोस्टस की स्थापना की जाए। इसलिए अग्निशामन उपकरणों तथा तकनीकों के प्रावधान की व्यवस्था की गई तथा उन सभी वन-मण्डलों को जो अग्नि विनाशक हैं, को उपलब्ध करवाए गए। आग के खतरे वाले वन मण्डलों में वन सुरक्षा के तहत अच्छी संचार व्यवस्था की आवश्यकता है। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर, 1996 तक 126.62 लाख रुपये लक्ष्य के मुकाबले 51.03 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई ।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भारत-जर्मनी इको विकास परियोजना(चंगर क्षेत्र परियोजना)

4.57 भारत-जर्मन आर्थिक विकास परियोजना पालमपुर उप-मण्डल के चंगर क्षेत्र में फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के सहयोग से कार्य कर रही है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 18.71 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत वन, कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करेंगे । वर्ष 1996-97 के लिए इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 200.00 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए थे जिसमें से दिसम्बर, 1996 तक 150.00 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना(ओ.डी.ए.(यू.के.

4.58 यह परियोजना वर्ष के दौरान में जारी रही। 15 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना की अवधि (पाईलट फेज) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की है। इस परियोजना का उद्देश्य संयुक्त वन व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों को नई योजना की प्रक्रिया में शामिल करना है। इस परियोजना से विद्यमान वनों के अतिरिक्त सिलविकलचरल के लिए भी सहायता मिलती है। वर्ष 1996-97 के दौरान कुल्लू व मण्डी वृतों में 534 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 104.16 लाख रुपये खर्च किए गए।

वन अनुसंधान शिक्षा व विस्तार परियोजना (एफ. आर. ई. ई. पी.)

4.59 वर्ष **1994-95** से प्रदेश में वन अनुसंधान शिक्षा व विस्तार परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि की है, जिस की लागत **5.00** करोड़ रुपये है। इस परियोजना की शत प्रतिशत विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति है। वर्ष **1996-97** के दौरान इस के लिए **1.58** करोड़ रुपये का प्रावधान है जिस से **46.71** लाख रुपये दिसम्बर, **1996** तक खर्च किये गये हैं।

एकीकृत वाटर शैड परियोजना (हिल्ज कण्डी परियोजना)

4.60 एकीकृत वाटर शैड परियोजना (हिल्ज कण्डी परियोजना)/ विश्व बैंक की मदद से **1990-91** में वर्ष **1996-97** तक शुरू की गई । इसका उद्देश्य पांच नदियों मारकण्डा (सिरमौर), घग्घर व सिरसा (सोलन), स्वां (ऊना) तथा चक्की (कांगड़ा) के जल ग्रहण क्षेत्रों का इकोलोजीकल पुनर्वास करना है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों का सामाजिक व आर्थिक उधार हो सके । कण्डी क्षेत्र इन पांच नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है तथा सूखे से वर्ष भर अत्यधिक प्रभावित रहता है व यहां भूमि का कटाव भी अधिक होता है । इस परियोजना के अधीन वन, कृषि, बागवानी व पशुपालन विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करते हैं। वर्ष **1996-97** के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत वन रोपण, भू-संरक्षण कार्य, उद्यान व कृषि गतिविधियां, तालाब के किनारों का संरक्षण तथा सिविल कार्यों के लिए **1,030.00** लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए तथा दिसम्बर, **1996** तक **706.71** लाख रुपये इन कार्यों पर खर्च किए गए।

5. उद्योग

5.1 हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रदेश में औद्योगिक प्रक्रिया अस्सी के दशक में शुरु की गई थी और इस दशक में इसमें काफी गतिशीलता आई। इस समय प्रदेश में 161 मध्यम व बड़े तथा लगभग 25,000 लघु पैमाने के उद्योग कार्यरत है जिनमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश में लगभग 3,000 करोड़ रुपये वार्षिक उत्पादन हो रहा है तथा इसमें लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध है।

औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा प्राधिकरण(आई. पारा.)

5.2 इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न सम्बन्धित संस्थाओं/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है। मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए आई. पारा की स्वीकृति अनिवार्य है। चालू वर्ष में 17 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया जिनमें 18,515.98 लाख रुपये का निवेश है तथा लगभग 2,362 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

जिला उद्योग केन्द्र

5.3 प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का उद्देश्य गांव तथा छोटे उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं/सेवाएं तथा समर्थन प्रदान करना है। वर्ष 1996-97 में 584 लघु उद्योगों का स्थाई पंजीकरण किया गया, इनमें 2,354 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए।

औद्योगिक क्षेत्र

5.4 उद्यमियों को साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए (i) परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा साहिब, मैहतपुर, शमशी, नगरोटा बगवां, बिलासपुर, रिकोंग पिओ, संसारपुर टैरस, चम्बाघाट (सोलन) में इलैक्ट्रोनिक कम्पलैक्स, मण्डी, मांवला, हमीरपुर, शोघी, चम्बा, अम्ब, टाहलीवाल तथा काला अम्ब में औद्योगिक क्षेत्र, (ii) सोलन, धर्मपुर, कांगड़ा, ज्वाली तथा डेहरा-गोपीपुर में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में और औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाएं विकसित किए जा रहे हैं।

प्रधानमन्त्री रोजगार योजना

5.5 सारे प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित रोजगार युवकों को स्वरोजगार सहायता योजना शुरु की गई है। इस वर्ष के अन्तर्गत 2,100 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष नवम्बर, 1996 तक 4,276 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 1,166 को 668.18 लाख रुपये की

धनराशि स्वीकृत की गई तथा 978 को 538.10 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई और शेष प्रक्रिया के अधीन है।

उद्यमी विकास एवं औद्योगिक संचेत कार्यक्रम

5.6 उद्योग विभाग उद्यम विकास के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इच्छुक उद्यमियों के लिए आयोजित कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक सप्ताह के पाठ्यक्रम उद्यमियों को सम्वेष्ट सूचना देने तथा औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताएं तथा कार्य पद्धतियों से अवगत करवाने के लिए आयोजित किए गए हैं । वर्ष 1996-97 के दौरान 15 उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 396 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। 32 औद्योगिक सचेत कार्यक्रमों के अन्तर्गत 744 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

रेशम उद्योग

5.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि करते हैं । वर्ष 1996-97 में 1.61 लाख किलोग्राम कोकून जिसकी कीमत 145.00 लाख रूपए है का उत्पादन किया गया।

चाय उद्योग

5.8 चाय का उत्पादन कांगड़ा एवं मण्डी जिलों में समुद्र तल से 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है । प्रदेश में 2,063 हैक्टेयर क्षेत्र में 1,685 चाय उगाने वाले कृषक कार्यरत हैं। वर्ष 1996-97 में प्रदेश में दिसम्बर,1996 तक लगभग 12.39 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

5.9 हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इस समय प्रदेश में लगभग 0.50 लाख हथकरघे हैं जो मुख्यत: ऊन पर आधारित हैं। इस समय बाजार विकास सहायता, ग्रिफ्ट फण्ड योजना, निराश्रित हथकरघा बुनकरों के लिए मार्जन मनी सहायता, स्वास्थ्य पैकेज योजना तथा प्रोजैक्ट पैकेज योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत बुनकरों को हथकरघा उत्पादन को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

6. विद्युत

6.1 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है । यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि अत्याधिक पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद प्रदेश के सभी आबाद गाँवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है ।

6.2 प्रारम्भिक जल, विज्ञान तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पाँच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 20,000 मैगावाट आंका गया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश नदी क्षेत्रों में अभी ऐसे स्थानों की पहचान बाकी है जिन पर लघु व सूक्ष्म परियोजनाओं के साथ-2 मध्यम और बड़ी परियोजनाएं बना कर विद्युत क्षमता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है । थरमल व अणुशक्ति-उत्पादित विद्युत की लागत बढ़ने के कारण बहुत सी चिन्हित परियोजनाएं जिनको उत्पादन की अधिक व अधिक लागत के कारण उपरोक्त जल-विद्युत क्षमता में शामिल नहीं किया गया था, भी भविष्य में आर्थिक दृष्टि से कार्यान्वयन हो जाएंगे । इन दो पहलुओं को देखते हुए हिमाचल की कुल जल विद्युत क्षमता का अनुमान 25,000 मैगावाट व इससे भी अधिक आंका जा सकता है । कुल क्षमता में से अभी तक केवल 3,934.74 मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के अधीन केवल 292.37 मैगावाट है, क्योंकि बड़े भाग का दोहन केन्द्रीय सरकार व अन्य अभिकरणों ने किया है । राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता उत्तरीय क्षेत्र के विद्युत विकास कार्य में प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी ।

6.3 प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना से जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे न केवल राज्य की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए बड़े, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाओं को नौवें पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने का राज्य में चरणबद्ध कार्यक्रम बना लिया गया तथा साथ ही साथ पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाएगा ।

6.4 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि राज्य में इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत औद्योगिकी की जा सके तथा उपयोग के लिये विद्युत का वितरण किया जा सके ।

6.5 ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश ने आसाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य देर से आरम्भ हुआ तथा कठिन पहाड़ी क्षेत्रों के

होते हुए भी संतोषजनक बात है कि जून,1988 के अन्त तक सभी आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गहन विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बचे हुए घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा राज्य में बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता बनाये रखने का कार्य भी चल रहा है ।

क. उत्पादन

चालू परियोजनाएं

बनेर विद्युत परियोजना(12 मैगावाट)

6.6 वर्ष 1981 में 6 मैगावाट क्षमता रखने वाली यह परियोजना स्वीकृत की गई थी जो कि बाद में बढ़ा कर 12 मैगावाट कर दी गई है। इसकी नवीनतम अनुमानित लागत अक्तूबर,1991 की कीमतों के अनुसार 40.34 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को मई,1996 में चालू कर दिया गया है।

गज विद्युत परियोजना(10.5 मैगावाट)

6.7 यह परियोजना वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई थी। इसकी नवीनतम अनुमानित लागत संशोधित करके अक्तूबर,1991 की कीमतों के अनुसार 40.00 करोड़ रुपए कर दी गई थी। इस परियोजना को जून,1996 में चालू कर दिया गया है।

भावा विकास योजना

6.8 जून,1987 में योजना आयोग द्वारा भावा विकास योजना की अनुमानित लागत 9.46 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है जबकि बाद में इसकी अनुमानित लागत संशोधित करके 16.33 करोड़ रुपए 1990 की कीमतों के अनुसार आंकी गई है । भावा विद्युत गृह से इस योजना के अन्तर्गत 34 एम. यू. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना का कार्य 1997-98 तक शुरू हो जाएगा।

घानवी जल-विद्युत परियोजना (22.5 मैगावाट)

6.9 यह परियोजना ज्यूरी नामक कस्बे जहां घानवी और सतलुज नदी का संगम है, के स्थान पर स्थित है। इस परियोजना के पूरा होने पर 22.5 मैगावाट (2x11.25 यूनिट) बिजली पानी का भंडार किये बिना पैदा की जाएगी और इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से जुलाई,1987 में अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इस परियोजना पर वर्तमान कीमतों के अनुसार लगभग 9,464 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। 6,150 लाख रुपये पावर वित्त निगम नई दिल्ली से ऋण बन्धन कर लिया है तथा शेष राशि राज्य योजना द्वारा प्राप्त की जाएगी। यह परियोजना 1998-99 में पूरा होने की सम्भावना है तथा इससे 124.21 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी।

छोटे/लघु जल विद्युत परियोजनाएं

6.10 चार लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होली (3 मैगावाट), साल-II (2 मैगावाट) तथा भावा विकास पावर

हाऊस योजना (3 मैगावाट) और गुम्मा एस.एच.पी. (3 मैगावाट) 43.00 करोड़ रुपए की लागत से टर्न की बेसिस पर चलाई जा रही हैं। जिसके लिए एम एन ई एस भारत सरकार ने 16.40 करोड रुपए की स्वीकृति दी हैं। शेष राशि राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। साल-II योजना का कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण होने की संभावना हैं तथा शेष तीन लघु परियोजनाएं 1998-99 में पूरा होने की सम्भावना हैं।

नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम (एन.जे.पी.सी.) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से)

नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना (1,500 मैगावाट)

6.11 नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जिसकी 1,500 मैगावाट क्षमता हैं का कार्य संयुक्त रूप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाथपा-झाखड़ी विद्युत निगम के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादन कार्य हेतु इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 437 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया। यह ऋण सीधा नाथपा झाखड़ी निगम को आवंटित किया जाएगा तथा इक्विटी वाला भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए हैं।

लारजी (126 मैगावाट) तथा कोल डैम (800 मैगावाट)

6.12 हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार लारजी विद्युत परियोजना (126 मैगावाट) तथा कोल डैम (800 मैगावाट) के कार्य को संयुक्त रूप में हिमाचल सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना हैं। इन परियोजनाओं के लिए विधिवत रूप से ग्लोबल निविदाएं मांगी गई थी जिनकी तकनीकी आधार पर बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं व उनकी गुणवता को देखा जा रहा हैं। इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार व निजी क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत की होगी। यह आशा की जाती हैं कि इन परियोजनाओं के लिए निजी कम्पनियों के चुनाव का कार्य जुलाई-अगस्त,1997 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा इन परियोजनाओं का कार्य वित्तीय वर्ष 1997-98 तक शुरू किया जा सकता हैं।

6.13 वर्ष 1995-96 के दौरान विद्युत उत्पादन 1,206.0 मिलियन यूनिट था जब कि चालू वर्ष में नवम्बर,1996 तक 1,103.8 मिलियन यूनिट था। नवम्बर,1996 तक 207 पम्पसैटों का उर्जीयन किया गया।

निजि क्षेत्र की भागीदारी

6.14 केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारों के स्त्रोत सीमित होने के कारण भारत सरकार ने अब निजी क्षेत्र को बिजली के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है ताकि आने वाले समय में बिजली की कमी की पूर्ति हो सके। इसके फलस्वरूप

विद्युत उपभोग

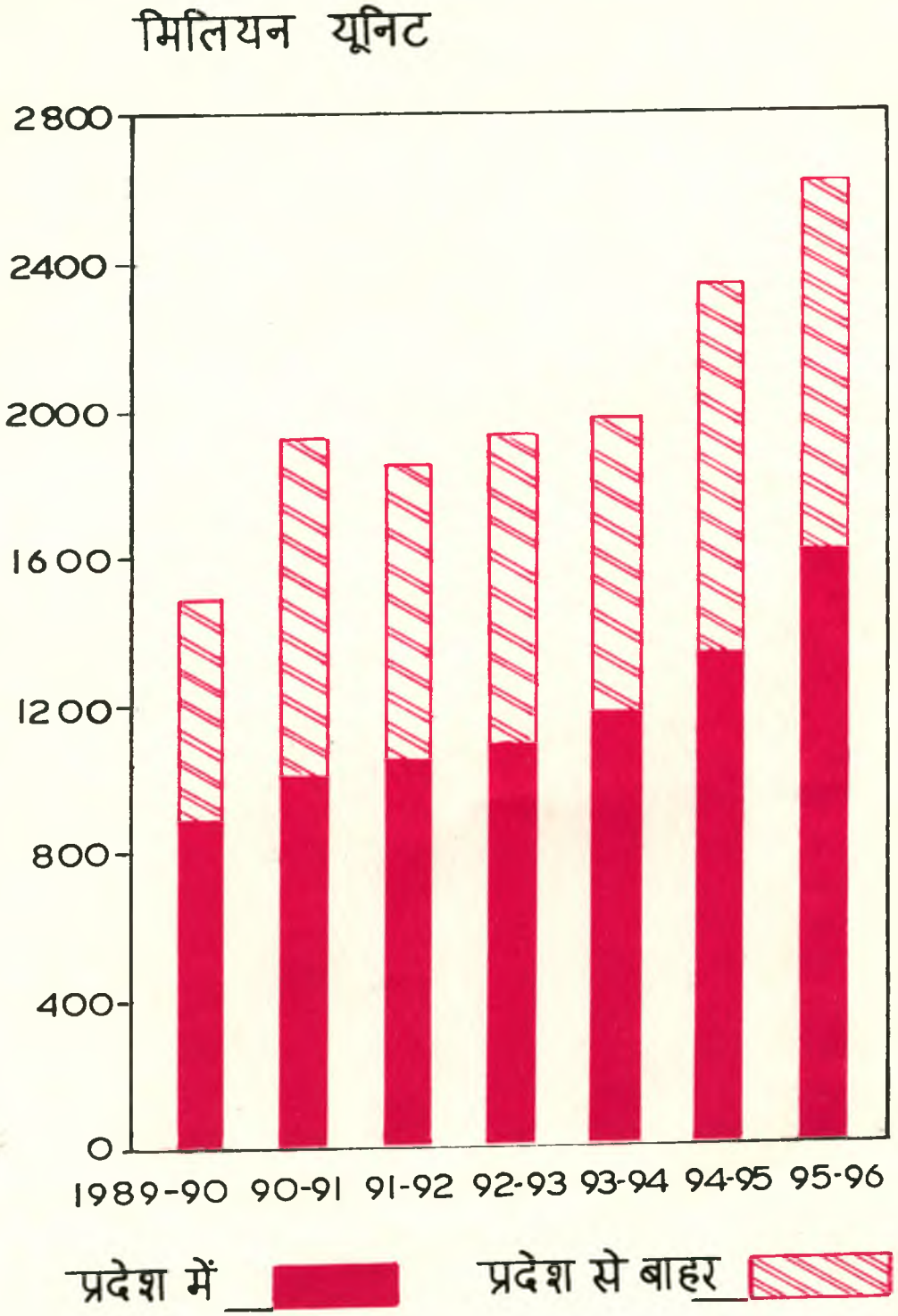
मिलियन यूनिट
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
1989-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
प्रदेश में
प्रदेश से बाहर

प्रदेश सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से निजी क्षेत्र को जल विद्युत परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का निश्चय किया।

6.15 इन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :-

1. **बासपा जल विद्युत परियोजना :-** हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, **1992** को मैसर्ज जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज के साथ एक कार्यान्वयन समझौता इस परियोजना को निजी क्षेत्र में चलाने के लिए हस्ताक्षरित कर दिया है। इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कम्पनी के साथ हस्ताक्षरित किया जाने वाला विद्युत क्रय समझौता निर्णायक स्तर पर है।
2. **ऊहल जल विद्युत परियोजना :-** हिमाचल प्रदेश सरकार ने मैसर्ज बालारपुर इन्डस्ट्रीज सीमित के साथ फरवरी, **1992** में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर दिया तथा फरवरी, **1993** में कम्पनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश कर दी है। बिजली के बेचने के बारे में निकाली गई दरें उच्च होने के कारण सम्बन्धित कम्पनी ने जनवरी, **1994** में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दोबारा प्रस्तुत की है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा जांच के पश्चात रिपोर्ट तकनीकी तथा वार्षिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है।

6.16 इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने हिबरा (**231** मैगावाट), धमवाड़ी सुन्दा (**70** मैगावाट), करछम वांगटु (**1,000** मैगावाट), नियोगल (**12** मैगावाट), अलैन दुहांगन (**192** मैगावाट) तथा मलाना (**86** मैगावाट) नामक **6** विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र में देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए तथा धमवाड़ी सुन्दा (**70**मैगावाट) परियोजना समझौते पर कार्यान्वयन हेतु अक्तूबर, **1996** को हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख. संचार तथा वितरण

6.17 राज्य में उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के विद्युत आपूर्ति, नियमित वोलटेज तथा नई योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन को शुरू करने के लिए संचारण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न अन्तर्राज्यीय तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति का हिस्सा भी प्राप्त करना है। धन के अभाव के कारण संचार तथा वितरण परियोजनाएं पूर्ण नहीं की जा सकी तथा नई परियोजनाओं को हाथ में नहीं लिया जा सका। नाथपा झाकड़ी परियोजना से उत्पन्न विद्युत को राज्य में ही उपयोग किया जाएगा। **132** के.वी. संचारण लाईनें/सब-स्टेशन भी बिजली बोर्ड द्वारा शुरू करना है जिसके लिए विश्व बैंक ने **43** मिलियन डालर ऋण की स्वीकृति दी है। प्रारम्भिक तथा उच्चतर वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को पूरा करने

के लिए 33 के.वी. सब स्टेशन तथा इससे कम की स्वीकृत की लाईनों को कम वोलटेज की समस्या तथा संचार व वितरण की कमियों को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है ।

ग. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

6.18 राज्य में अपार विद्युत क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पांच नदियों के प्रवाहों पर उत्पादकता क्षेत्रों को चुना गया है। इन क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य किया जाना अति आवश्यक है ताकि इन क्षेत्रों की परियोजना रिपोर्ट बनाई जा सके व जिन परियोजनाओं का पहले अन्वेषण किया जा चुका है उनपर चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू किया जा सके। भारत सरकार व राज्य सरकार की वर्तमान नीति के आधार पर जल-विद्युत परियोजनओं को प्रतिस्पर्धा बोलियों के आधार पर निजी क्षेत्रों एवं संयुक्त क्षेत्रों में दिया जा रहा है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा बोलियों के आधार पर मांगी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने एक परिप्रेक्ष्य योजना सर्वेक्षण एवं अन्वेषण हेतु बनाई है जिसका लाभ नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में होगा।

ऊर्जा के गैर परम्परागत, नए तथा नवीकरण साधनों का विकास

6.19 आर्थिक वृद्धि के साथ-2 तेजी से औद्योगीकरण, अच्छे रहन-सहन के स्तर तथा आधारभूत सुविधाओं में बढ़ौतरी के कारण ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ी है । पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों में कमी होने के कारण गैर पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल तापीय संयन्त्र, पवन चक्की तथा अन्य ऊर्जा संयन्त्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। गैर पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास पर प्रदेश में "हिमऊर्जा" की गतिविधियों पर अधिक महत्व दिया जाएगा।

6.20 नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों में सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक महत्व रखता है। हिम ऊर्जा द्वारा (आई.आर.ई.पी. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरण ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए, गैर परम्परागत ऊर्जा मन्त्रालय भारत सरकार की वित्तीय सहायता से यह कार्यक्रम राज्य के **41** विकास खण्डों में पूर्ण रूप से चलाया जा रहा है। नवीकरण ऊर्जा स्त्रोत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत जैसे कि सोलर कुकर, सौर तापीय संयत्र, सौर ड्रायर, उन्नत किस्म के चूल्हे, उन्नत जल की चक्कियां फोटोवोलटिक रोशनी तथा प्रैशर कुकर (आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए(इत्यादि को भी लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष **1996-97** के माह दिसम्बर,**1996** तक की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :-

सौर थर्मल प्रणाली

6.21 दिसम्बर, **1996** तक राज्य में **893** सोलर कुकर बेचे गए राज्य के विभिन्न भागों में **65** सौर जल तापीय संयन्त्र जो कि

विभिन्न क्षमताओ वाले हैं लगाए/आर्डर बुक किए जा चुके हैं । दिसम्बर, 1996 तक राज्य के जनजातीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों में 268 सौर पी.वी. लालटेन, 25 फोटावोल्टिक लाइटस तथा 825 सौर घरेलू लाइटस लगाई/बुक की गई। विभिन्न चयनित आई.आर.ई.पी. खण्डों में 2268 उन्नत किस्म के चुल्हें बाटें/लगाए गए। उन्नत उच्च क्षमता वाले पोर्टेबल चूल्हे जिनकी थर्मल दक्षता 15 प्रतिशत अधिक हैं, का प्रयोग, खाना बनाने तथा जगह गर्म रखने के उद्धेश्य से शीत ग्रस्त तथा जनजातीय क्षेत्रों में लोकप्रिय किए जा रहें हैं। दिसम्बर, 1996 तक 721 ऐसे चूल्हों पर जनजातीय क्षेत्रों/दूर दराज के क्षेत्रों में उपदान दिया गया। दिसम्बर, 1996 तक 35 उन्नत किस्म के दक्ष चक्कियां ∎घराट∎ प्रदेश के विभिन्न भागों में लगाई गई हैं। हिम उर्जा आई.आर.ई.पी. खण्डों में चयनित आई.आर.डी.पी.परिवारों को प्रेशर कुकर तथा नूतनन स्टोव दे रही है,। दिसम्बर, 1996 तक 7,922 प्रेशर कुकर तथा 2,855 नूतन स्टोव आई.आर.डी.पी. परिवारों में रियायती दरों पर वितरित किए गए।

3 मैगावाट तक के माइक्रो जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वित करना

6.22 राज्य सरकार ने लघु (3 मैगावाट जल विद्युत तक की क्षमता वाले) संयत्रों को राज्य विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत हिमऊर्जा को कार्यान्वित करने की शक्तियां दी हैं। इस संस्थान ने निजी क्षेत्रों में विज्ञापनों के द्वारा प्रचार किया ताकि वे इस लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता वाले 139 स्थानों पर 100 किलोवाट से 3 मैगावाट तक की परियोजना लगाएं। निजी उद्यमियों की निविदाओ को समय पर निपटाने के प्रयत्न समयानुसार किए। 139 चयनित स्थलों में से 83 स्थलों के लिए निजी उद्यमियों के साथ एम. ओ.यू.ज हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 11 अतिरिक्त स्थलों के लिए एम.ओ.यू.सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात किया जाएगा। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के मंत्रालय ने प्रदेश को दस 15 किलोवाट तथा पांच 10 किलोवाट के पोर्टेबल माइक्रो जल विद्युत जनरेटर सैट प्रदान किए हैं। ये विकेन्द्रीकृत प्रणालियां प्रदेश के पिछड़े तथा बर्फ से भरे हुए क्षेत्रों के लिए लगाई जाएंगी। 15 पोर्टेबल जनरेटर सैट चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल तथा शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्र में लगाए गए। स्थलों पर स्थापना कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है।

भवनों के लिए सौर पैसिव हिटिंग डिजाइन

6.23 हिमाचल प्रदेश में परम्परागत तरीकों के साथ-साथ सौर ऊर्जा द्वारा स्पेस हिटिंग का बहुत महत्व है। सौर पैसिव प्रणाली के प्रचार से भवनों को गर्म करने से पारम्परिक ऊर्जा की काफी बचत हो सकती है इसी आधार पर हिम उर्जा द्वारा उर्जा भवन का निर्माण किया गया है। यह भवन सभी पहाड़ी राज्यों में सौर पैसिव प्रणाली पर आधारित अपनी प्रकार का पहला भवन है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No........D-10774
Date........2000

यू.एन.डी.पी.–जी.ई.एफ. परियोजना

6.24 हिम ऊर्जा ने पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पन परियोजनाओं की मास्टर योजना तैयार करने की अधिकता के लिए यू.एन.डी.पी.–जी.ई.एफ. परियोजनाओं में भाग लेने का निर्णय लिया है। लघु पन स्थल जहां पर 3 मैगावाट सम्भावित क्षमता नहीं जुटाई गई, के लिए ए.एच.इ.सी./ यू.एन.डी.पी.–जी.ई.एफ. के साथ वार्तालाप किया गया। नेरवा तथा लिंगटी नामक दो परियोजनाएं यू.एन.डी.पी.–जी.ई.एफ. की सहायता से चलाने का निर्णय लिया है। नेरवा परियोजना (1,000 किलोवाट) मैसर्ज साईका कोआपरेटिव यूनिट को शुरू करने के लिए दिया गया है तथा लिंगटी (600 किलोवाट) परियोजना को चलाने का कार्य हिमऊर्जा द्वारा किए जाने की सम्भावना है क्योंकि कोई भी निजी निवेशक इस परियोजना को चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा है।

7. रोजगार

7.1 1991 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या मे 34.41 प्रतिशत मुख्य कामगार, 8.42 प्रतिशत सीमान्त कामगार तथा शेष 57.17 प्रतिशत गैर कामगार थे। मुख्य कामगारों में से 63.25 प्रतिशत काश्तकार, 3.30 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.43 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 32.02 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे।

जनशक्ति तथा रोजगार सेवाएं

7.2 रोजगार सेवा परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:- (क) उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना (ख) छटनी व फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, (ग) रोजगार देने वाले को उपयुक्त उम्मीदवार भेजना, (घ) रोजगार अवसरों व प्रशिक्षण अवसरों तथा सम्बन्धित कार्यों का जनता, छात्र, अध्यापक, माता-पिता तथा प्रशासकों के लिए पता लगाना तथा (ड.) युवकों व रोजगार ढूंढने वालों की समस्याओं की समीक्षा तथा प्रशिक्षण व पाठ्यक्रमों को दुबारा से समायोजित करने हेतु रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुसार कामगारों को उनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण देना । 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालय रोजगार तथा सुझाव कार्यालय, एक राज्य रोजगार मार्केट सूचना इकाई, 3 व्यावसायिक सुझाव इकाईयां, विकलांगों के लिए एक विशेष इकाई तथा हिमाचलवासियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, संस्थाओं तथा निजि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के द्वारा राज्य में रोजगार सहायता सूचना दी जा रही है । प्रदेश में बाहर के देशों में रोजगार जुटाने के लिए रोजगार निदेशालय में एक विदेशी रोजगार कक्ष स्थापित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

7.3 वर्ष 1996 में कुल 1,57,520 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 4,760 व्यक्तियों को रोजगार मिला । विभिन्न नियुक्तकों द्वारा अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 11,104 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 30 नवम्बर, 1996 तक सक्रिय पंजी में कुल संख्या 6.45 लाख थी जबकि वर्ष 1995 में यह संख्या 5.96 लाख थी।

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम

7.4 वर्ष 1960 से रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 1996 को प्रदेश में कुल 2.90 लाख कर्मी थे (सार्वजनिक क्षेत्र 2.49 लाख तथा निजि क्षेत्र 0.41 लाख) तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल

कर्मी 2.89 लाख (सार्वजनिक क्षेत्र 2.50 लाख तथा निजि क्षेत्र 0.39 लाख) थे।

व्यवसायिक सुझाव कार्यक्रम

7.5 व्यवसायिक सुझाव एवं रोजगार सलाह जैसे कार्यक्रम उनके लिए बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार की सहायता चाहते हैं । व्यावसायिक सुझाव मुख्यतः युवाओ की सहायता के लिए हैं जबकि रोजगार परामर्श सभी व्यस्कों की सहायता के लिए हैं । राज्य रोजगार निदेशालय इस कार्य को रोजगार कार्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग की सहायता से व्यवस्थित करता है । राष्ट्रीय नीतियों तथा तरीकों से सम्बन्धित मसले, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सामग्री एवं उपकरणों को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल रखने के लिए महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय इकाई, राज्य में निदेशक रोजगार निदेशालय की सहायता कर रही है । रोजगार कार्यालय में प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के नियत्रंण में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996 में 1.1.1996 से 31.12.1996 तक की उपलब्धियां निम्नलिखित है:-

मद	उपलब्धियां (संख्या)
क. वैयक्तिक कार्यक्रम	
1. व्यक्तियों का वैयक्तिक मार्ग दर्शन	13,890
2. व्यक्तियों का पंजीकरण के समय वैयक्तिक मार्ग दर्शन	41,220
3. व्यक्तियों को वैयक्तिक सूचना दी गई	
(i) व्यक्तिगत सूचना दी गई	10,600
(ii) डाक द्वारा सूचना मिली	-
4. पुराने मामले सक्रिय पंजी से प्राप्त हुए	-
ख. सामूहिक कार्यक्रम	
1. सामूहिक चर्चाओ का आयोजन किया गया	1,260
2. व्यक्तियों द्वारा सामूहिक चर्चाओ में भाग लिया गया	14,007
3. कैरियर/ग्रुप मार्गदर्शन के बारे में चर्चाएं की गई	-
4. व्यक्ति जो कैरियर सूचना कक्ष में गए	20,687

विदेशी रोजगार तथा जनशक्ति एक्सपोर्ट ब्यूरो

7.6 इस ब्यूरो को, "समिति पंजीकरण एक्ट, **1860** के अंतर्गत मार्च, **1994** को स्थापित तथा पंजीकृत किया गया। यह ब्यूरो प्रदेश के उन प्रार्थियों को, जिनके पास वैद्य पासपोर्ट हो, को पंजीकृत करता है। इसके परिणामस्वरूप जनवरी, **1996** से दिसम्बर, **1996** तक **213** प्रार्थियों को इस ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किया जिससे ब्यूरो में **142** विभिन्न व्यवस्थाओं में **1,036** प्रार्थी उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

7.7 केन्द्रीय रोजगार कक्ष की स्थापना प्रदेश में निजि क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में तकनीकी आवेदकों तथा हुनर वाले आवेदकों को रोजगार दिलाने के लिए की गई है। इस कक्ष की स्थापना राज्य के श्रमिक एवं रोजगार निदेशालय के अधीन की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी तथा अधिक कुशल तथा अकुशल आवेदकों की निजि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भर्ती है । इस परियोजना के अन्तर्गत एक तरफ तो निजि क्षेत्र में रोजगार चाहने वालों को उनकी योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर रोजगार दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ नियुक्तकों द्वारा सही श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत **30** नवम्बर, **1996** को **8,406** आवेदकों का पंजीकरण उनकी तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया गया जिन्हें कि मुख्य रोजगार कार्यालयों से भेजा गया होता है । निजि क्षेत्र संस्थाओं ने नवम्बर, **1996** तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष को विभिन्न किस्मों की **6, 469** रिक्तियां सूचित की थी जिसमें **1,035** रिक्तियां तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग की थीं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के लिए **24,348** आवेदकों को भेजा जिन में **7, 709** आवेदक तकनीकी एवं उच्च कुशल(हुनर) वर्ग के थे । नवम्बर, **1996** तक प्रदेश में अभी तक **731** व्यक्तियों को विभिन्न निजि क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार दिलाया जिनमें से **173** व्यक्ति तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग के थे। निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने **"Skill matching and skill upgradation"** नामक एक नई योजना प्रारम्भ की जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर परवाणु व पांवटा औद्योगिक क्षेत्र में **50** प्रार्थियों का लक्ष्य रखा गया। जिसके परिणामों को देखने के पश्चात ही यह योजना राज्य के अन्य क्षेत्रों में चलाई जाएगी।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

7.8 जनवरी से नवम्बर, **1996** के अन्तर्गत सक्रिय पंजी में **761** विकलांगों को और पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या **5,573** हो गई थी (चम्बा व किन्नौर जिला के अतिरिक्त) । इसके अतिरिक्त **81** आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित की गई थी तथा **252**

विकलांगों को साक्षात्कार के लिए पत्र जारी किए गए थे। नवम्बर, 1996 तक 63 विकलांगों को लाभकारी रोजगार में रखा गया था ।

रोजगार कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण

7.9 तीन रोजगार कार्यालयों शिमला, मण्डी तथा धर्मशाला का जिला मुख्यालयों पर कम्पयूटरीकरण किया गया । इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य मुख्यालय, नाहन तथा चम्बा में कम्पयूटर स्थापित किए जा रहे हैं। विभाग सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कम्पयूटर स्थापित करने की योजना बना रहा है।

न्यूनतम मजदूरी

7.10 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के अन्तर्गत एक "न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड" बनाया जो कि विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के अन्तर्गत मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारण तथा उनके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। इस बो की सिफारिश पर 1.3.1996 से प्रदेश सरकार ने अकुशल मजदूरों को सभी 24 अनुसूचित रोजगारों में एक जैसी न्यूनतम दरें तय/संशोधित की हैं जो कि 45.75 रुपए प्रतिदिन या 1,375 रुपए प्रति माह हैं । इसी प्रकार 01.03.1996 से अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल मजदूरों की न्यूनतम दर की मजदूरी में अनुपातानुसार वृद्धि की है । इसके अतिरिक्त कुछ अनुसूचित रोजगारों जैसे कि कृषि, भवन/सड़क निर्माण व रख-रखाव, पत्थर तोड़ना व कूटना तथा वानिकी व इमारती लकड़ी सम्बन्धी कार्यों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम दर की मजदूरी से अधिक देने की सरकार द्वारा घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों में 12.5 प्रतिशत की दर से अधिक देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त सुरंगों में कार्यरत मजदूरों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि न्यूनतम मजदूरी पर भी हुई।

श्रमिक कल्याण उपाय

7.11 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) एक्ट, 1976 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक सक्रीनिंग समिति के अतिरिक्त उपमण्डलीय स्तर पर सतर्कता समितियां तथा जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया । राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्याय अधिकरण जिनका मुख्यालय शिमला में है का गठन किया है । औद्योगिक झगड़ा नियम, 1947 के तहत जिला एवं शैशन जज के पद के बराबर, श्रम अदालत/औद्योगिक न्याय अधिकरण का एक स्वतंत्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया । राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणू बरोटीवाला, बद्दी, मैहतपुर, पांवटा साहिब, व काला अम्ब में लागू है। लगभग 1,462 उद्यम व 30,780 मजदूर इस योजना के अन्तर्गत लाए गए इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, 1952 के अन्तर्गत 1,000 उद्यमों में कार्यरत 62,975 मजदूरों को लाया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

7.12 प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के मसले को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है । प्रदेश में औद्योगिक झगड़ों के निपटारे व औद्योगिक शान्ति को बनाए रखने के लिए एक समाधान मशीनरी कार्यरत है । समाधान अधिकारियों के कार्य क्षेत्रीय/ जिला रोजगार अधिकारी तथा श्रम अधिकारी को सौंपे गए हैं तथा अपने-2 क्षेत्राधिकार में यह कार्य देख रहे हैं । इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में **100** से कम मजदूर हैं उन संस्थाओं में समाधान अधिकारियों की शक्तियां श्रम निरीक्षकों को दे दी गई हैं। जिन झगड़ों का निपटारा ठीक तरीके से न हो सके अथवा जहां पर समाधान प्रणाली फेल हो जाए उन मामलों में उच्चतर अधिकारी हस्तक्षेप करके समझौता कराते हैं।

8 ग्रामीण विकास

8.1 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विशेष वर्ग समूह के परिवारों को नकद व अन्य सहायता देकर तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर उनकी गरीबी दूर करना व उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है जिससे उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष **1996-97** में निम्न राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यरत रहीं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

8.2 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की सहायता से उनका एकीकृत विकास करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला मण्डलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने व सुदृढ़ करने के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है तथा महिला मण्डलों को प्रोत्साहन देने, अनुदान देने तथा इनके सदस्यों को प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा विकास खण्ड कार्यालय भवनों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण भी किया जाता है । चालू वित्त वर्ष **1996-97** के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **182.40** लाख रूपए की राशि का प्रावधान है ।

ग्रामीण शौचालय

8.3 इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु वित्तिय सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रदुषण की रोकथाम व ग्रामीण लोगों को अच्छी स्वच्छता सुविधांए प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त घरों, बाजारों तथा मेलों में भी खाली जगह पर शौचालयों का निर्माण किया जाता है । वर्ष **1996-97** से वित्तिय सहायता की राशी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए **1,200** से बढ़ाकर **1,700** रूपए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए **1,500** से बढ़ाकर **2,000** रूपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण तथा **2,000** रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष **1996-97** में **17,431** ऐसे शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिन पर अब तक **279.35** लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं ।

गांधी कुटीर योजना

8.4 गांधी कुटीर योजना का शुभारम्भ प्रदेश भर में **2** अक्तूबर, **1994** से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्षों में प्रदेश भर में आई.आर.डी.पी. गृहहीन परिवारों के लिए **72,000** मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अधीन प्रत्येक लाभार्थी को **16,300** रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रचलित वित्तीय वर्ष में गांधी कुटीर योजना के अंतर्गत **13,513** मकानों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, **1996** तक **4,183** मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा **10,412** मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष **1996-97** के लिए **2,487** मकान के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, **1996** तक **836** मकान पूरे किए जा चुके हैं तथा 1,891 मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम:आई.आर.डी.पी.:

8.5 यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित **50:50** के अनुपात में कार्यरत है तथा इसका उद्देश्य लघु व सीमान्त किसानों, कृष्य श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, को ऊपर उठाना है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को आय उत्पादक सम्पति एवं रोजगार देना तथा जहां आवश्यकता हो विभिन्न उपदानों एवं संस्थागत ऋणों की सहायता से कार्यपूंजी सहित आय उत्पादन सम्पति का प्रबन्ध करना है। वर्ष **1995** के परिवारों के सर्वेक्षण के अनुसार **2,58,859** परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों को क्रमश: **4,000** रुपये तथा **6,000** रुपये के अनुदान का प्रावधान रखा है। परन्तु राज्य सरकार सभी आई.आर.डी.पी.परिवारों को जिसमें गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवार सम्मिलित हैं, बराबर **6000** रुपये का अनुदान दे रही है। इसी प्रकार सभी आई.आर.डी.पी.परिवारों को **12.5%** ब्याज के स्थान पर **4%** ब्याज प्रतिवर्ष की दर से ऋण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर, **1996** तक **4,872** परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा **219.34** लाख रुपये तथा **728.71** लाख रुपये अनुदान तथा ऋण इन परिवारों को दिया गया।

स्व: रोजगार योजना के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण:ट्राईसम:

8.6 यह कार्यक्रम आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम के उप कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य **18** से **35** वर्ष की आयु के युवक/ युवतियों को ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे उन्हें स्वरोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की इच्छा अनुसार व्यवसायों में मास्टर क्राफटसमैन या सरकार प्रशिक्षण संस्थाओं में एक साल की अवधि में प्रशिक्षण प्रदान

किया जाता है। प्रशिक्षण के स्थान के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति माह तक का वजीफा प्रदान किया जाता हैं। संस्थान को तथा मास्टर क्राफ्टसमैन को 100 रुपये तथा 300 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमास फीस या मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मास्टर क्राफटसमैन को 50 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक कोर्स के लिए कच्चे माल के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 75 रुपये से लेकर अधिकतम 600 रुपये तक देने का प्रावधान है। यह राशि कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे औजार उपलब्ध करवाने के लिए 1,800 रुपये की राशि की सहायता भी दी जाती हैं । चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर,1996 तक 369 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा 225 युवकों को वैतनिक रोजगार प्रदान किया गया । इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,1996 तक 9.74 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों का उद्धार॥डवाकरा॥

8.7 यह कार्यक्रम भी राज्य में एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य चयनित परिवारों की महिलाओ को समूहों में संगठित करके उनकी इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है । दिसम्बर,1996 तक 101 समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें 1,226 महिला सदस्य हैं तथा इन पर 26.40 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

जवाहर रोजगार योजना

8.8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी योजनाओ को सम्मिलित रूप देकर जवाहर रोजगार योजना को तैयार किया गया तथा पूरे देश भर में चलाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को भारी मात्रा में रोजगार अवसर प्रदान करना है । इन्दिरा आवास योजना तथा मिलियन वैल्ज योजना इस योजना की उप-योजना है। यह कार्यक्रम गांव में पंचायतों द्वारा चलाया जाता है जो कि पूरी योजना एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है। 7.63 लाख कार्य दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर,1996 तक 7.05 लाख कार्य दिवस अर्जित किये जा चुके हैं, जिसके लिए वर्ष 1996-97 के लिए 1,107.27 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

धुंआ रहित चूल्हा कार्यक्रम

8.9 यह कार्यक्रम प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य इंधन बचत, बन कटाव को रोकना, प्रदूषण को रोकना तथा ग्रामीण महिलाओ के स्वास्थ्य को सुधारना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण तथा जागरूकता देने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर शिविर लगाए जाते हैं तथा उनके घरों में मुफ्त चूल्हा लगाया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यकर्ता चूल्हों के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं। वर्ष **1996-97** में दिसम्बर, **1996** तक **5,954** चूल्हों का निर्माण किया जा चुका है तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु **8.50** लाख रूपए की धन राशि दिसम्बर, **1996** तक क्षेत्रीय एजैंसियों को दी जा चुकी है।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम

8.10 यह कार्यक्रम प्रदेश में लाहौल-स्पिति जिले के स्पिति उप-मण्डल तथा जिला किन्नौर के पूह उप-मण्डल में केन्द्रीय सहायता द्वारा चलाया जा रहा है। लाहौल-स्पिति जिले का लाहौल विकास खंड भी अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों पर वाटरशैडस आधार पर **1.4.1995** से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए डी.डी.पी./ डी.पी.ए.पी. पर तकनीकी समिति द्वारा सिफारिशें की गई थीं। भारत सरकार द्वारा वर्ष **1995-96** से चार वर्षों तक **80** वाटरशैडस विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष **1996-97** में दिसम्बर, **1996** तक **500.00** लाख रूपये के प्रावधान में से **412.50** लाख रूपये इस कार्यक्रम के लिए दिये जा चुके हैं। दिसम्बर, **1996** तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नए वाटरशैडस विकसित करने के लिए **129.26** लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

सुनिश्चित रोजगार योजना

8.11 यह योजना अक्तूबर **1993** में प्रदेश के सात विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी और **1** जनवरी, **1995** में **11** और नए खण्डों में चलाई गई। वर्ष **1996-97** में **25** और नए खण्ड इस योजना के अन्तर्गत लाए गए। इस योजना को केन्द्र एंव राज्य सरकार **80:20** के अनुपात में वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गैर-कृषि कार्य अवधि के दौरान संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर पर **100** दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, **1996** तक इस योजना के अधीन **6.35** लाख कार्य दिवस का सृजन किया जा चुका हैं तथा **528.28** लाख रूपये की धन राशि व्यय की जा चुकी है।

परती भूमि विकास योजना

8.12 यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रदेश के चम्बा, सोलन, हमीरपुर तथा कांगड़ा जिलों में चलाई जा रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन सहयोग से बंजर भूमि को ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाना है जिससे ग्रामीण लोगों को ईंधन, चारा इत्यादि उपलब्ध हो सके तथा उन्हें रोजगार भी मिल सके। दिसम्बर, **1996** तक भारत सरकार द्वारा कांगड़ा जिले के लिए **25.00** लाख रुपए का प्रावधान किया गया।

नवीनतम परियोजना

8.13 वर्ष **1993-94** के दौरान तृतीय स्ट्रीम जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कांगड़ा जिले के लिए **200** लाख रुपये की लागत से "कांगड़ा की **2000** ए. डी. तक आत्म-निर्भरता" एक नवीनतम परियोजना स्वीकृत की। इस परियोजना के अंतर्गत हर्बल व एरोमैटिक पौधों की खेती की जा रही है। इसी प्रकार **200.51** लाख रुपए की लागत से सोलन जिले के लिए "डैरी विकास परियोजना" जो वर्ष **1994-95** में स्वीकृत की गई थी, कार्यरत है। शिमला जिले के लिए भारत सरकार द्वारा **306.72** लाख रुपए की लागत से स्वीकृत परियोजना "विभिन्न तरीकों द्वारा उन्नति" भी वर्ष के दौरान कार्यरत रही।

8.14 इसके अतिरिक्त वर्ष **1996-97** में मण्डी जिले के लिए "मण्डी डिस्ट्रिक्ट ऑन ग्रीन गोल्ड ट्रैक" नामक परियोजना स्वीकृत की गई। इस योजना की कुल लागत **100.26** लाख रुपये है तथा इस परियोजना को शुरू करने के लिए **73.20** लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

8.15 यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम प्रदेश में **15** अगस्त, **1995** को शुरू किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य (i) निर्धारित ग्रुप परिवारों में से **65** वर्ष को आयु से अधिक निराश्रित व्यक्तियों को **100** रुपए प्रतिमास की दर से वृद्धावस्था पैंशन, (ii) गरीबी से नीचे परिवार के रोजी कमाने वाले व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने के कारण **5,000** रुपए की तथा दुर्घटना से मृत्यु होने के कारण **10,000** रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा (iii) निर्धारित ग्रुप परिवार में से गर्भवती महिला जिसकी आयु **19** वर्ष से अधिक हो को दो जीवित बच्चों तक **300** रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान करना है। वर्ष **1996-97** के दौरान इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए सभी जिलों को **52.20** लाख रुपए दिए गए।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम:डी.पी.ए.पी.:

8.16 यह कार्यक्रम मूलत: क्षेत्र विकास क्रार्यक्रम है तथा इसका उद्देश्य भूमि, जल, सब्जी उगाने की प्रक्रिया इत्यादि प्राकृतिक स्त्रोतों द्वारा वाटरशैड विकास परियोजनाओ का एकीकृत विकास करना हैं। यह कार्यक्रम राज्य में 50:50 के अनुपात से राज्य तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 1995-96 में 9 खण्डों में शुरू किया गया। 30 वाटरशैड 500 हैक्टेयर प्रति वाटरशैड के लगभग क्षेत्र को 4 वर्षों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1996-97 में राज्य के लिए 165.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से दिसम्बर,1996 तक 95.57 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं और शेष राशि इस वर्ष के अंत तक उपयोग में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के दौरान डी.डी.ए.पी जिलों में अतिरिक्त वाटरशैडस परियोजनाओ के लिए राशि प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष के लिए 24 अतिरिक्त वाटरशैडस का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

9. भाव की स्थिति

9.1 वर्ष 1993-94 में मुद्रा स्फीति अधिकतर जनसाधारण के लिये गम्भीर समस्या रही, विशेषतया खाद्य पदार्थों का मूल्य सूचकांक समस्त वस्तुओ से अधिक रहा। थोक मूल्य सूचकांक §आधार 1981-82=100§ में वृद्धि दर बिंदूवार आधार पर वर्ष 1993-94 में 10.8 प्रतिशत, 1994-95 में यह दर 10.4 प्रतिशत रही तथा 1995-96 में मुद्रा स्फिति की दर केवल 5.0 प्रतिशत रही। इसी आधार पर वर्ष 1996-97 अर्थात 31.12.1995 से 30.12.1996 तक मुद्रा स्फीति की दर 7.4 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.03 प्रतिशत थी। दिसम्बर,1996 के पश्चात मुद्रा स्फिति की दर बढ़ते हुए 1 फरवरी,1997 को 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गई।

9.2 पिछले कुछ वर्षों के थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दिए गए हैं:-

थोक मूल्य सूचकांक §आधार 1981-82=100§

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक	
	अन्तिम सप्ताह	सप्ताहों की औसत
1990-91	191.8	182.7
1991-92	217.8	207.8
1992-93	233.1	228.7
1993-94	258.3	247.8
1994-95	285.2	274.7
1995-96	299.5	295.7
30.12.95 को	297.4	297.7
28.12.96 को	319.5§अ§	311.9§अ§

§अ = अस्थायी§

मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक

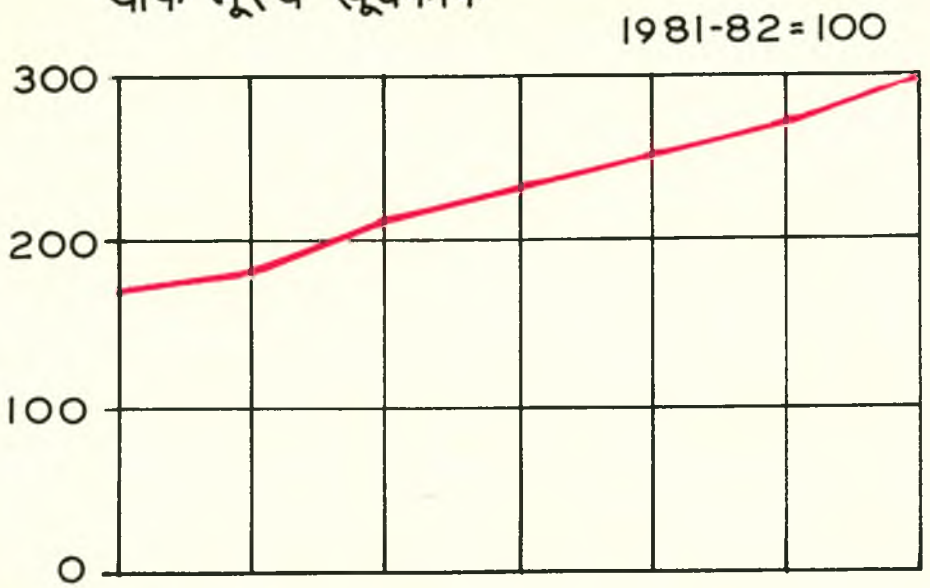

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

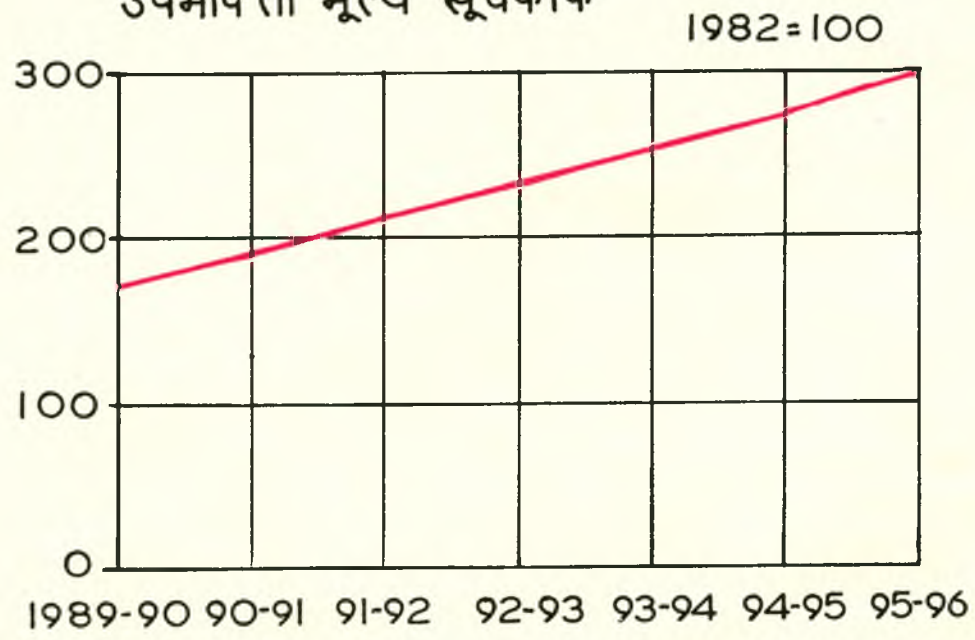

9.3 पिछले पांच वर्षों का माहवार थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-

थोक मूल्य सूचकांक (आधार: 1981-82=100)

मास	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अ)
अप्रैल	219.5	234.6	262.3	288.4	301.4
मई	221.6	237.0	265.4	291.6	304.0
जून	224.1	239.8	268.1	292.6	306.1
जुलाई	226.6	243.1	271.3	294.3	310.2
अगस्त	228.8	247.0	272.1	296.1	313.2
सितम्बर	230.7	250.9	273.2	297.4	316.4
अक्तूबर	232.4	252.2	274.7	297.9	317.4
नवम्बर	231.4	251.6	276.2	299.4	319.1
दिसम्बर	231.4	251.7	279.9	297.7	319.5
जनवरी	231.6	252.7	283.3	297.4	..
फरवरी	232.8	254.8	284.7	297.6	..
मार्च	233.1	257.6	284.9	298.7	..
औसत	228.7	247.8	274.7	295.7	311.9

(28.12.96)

(अ = अस्थाई)

9.4 आर्थिक प्रगति के लाभों को बराबर में बांटने के लिए कीमतों में स्थिरता जरूरी है । मुद्रा-स्फीति का सर्वाधिक प्रभाव गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है। इस का प्रभाव वित्तीय साधनों के जुटाने पर भी पड़ता है । वित्तीय घाटे में कठोर नियंत्रण, आयात में ढील देना, कड़ी मुद्रा स्फीति, गेहूं तथा चावल के आयात द्वारा घरेलू स्टाक में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये आयात में रियायत जैसे मुख्य कारणों से वर्ष के दौरान मुद्रा स्फीति को स्थिर रखने में सहायता मिली।

9.5 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर निगरानी के कारण कीमतों में बढ़ौतरी नहीं होने दी गई । ऐसा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी व आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 3,634 उचित मूल्य की दुकानों से सम्भव

हुआ । इसके साथ-साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा अन्य अनाचारों द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है । वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें ।

10. नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं

10.1 प्रचलित वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्नों के अतिरिक्त नियन्त्रित वस्तुएं जैसे लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय पत्ती, अभ्यास पुस्तिकें, लेखन सामग्री, मिट्टी का तेल तथा खाना पकाने की गैस आदि जनता को उपलब्ध करवाई गई। राज्य में इस प्रणाली को **3,634** उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से कार्यान्वित करवाया जा रहा है। इन **3,634** उचित मूल्य की दुकानों में से **2,767** सहकारिता क्षेत्र में, **680** व्यक्तिगत डिपू होल्डरों, **61** पंचायतों द्वारा तथा **126** हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही हैं।

खाद्यान्न वितरण

10.2 वर्ष **1996** में दिसम्बर, **1996** तक **53,745** मि.टन गंदम तथा **57,907** मि.टन गंदम आटा व **71,034** मि.टन चावल उपभोक्ताओं को वितरित किए गए।

राशन की चीनी

10.3 भारत सरकार प्रदेश में कार्ड होल्डरों को वितरण के लिए **1996** से **2,197** मि.टन राशन की चीनी प्रतिमाह देती है। महत्वपूर्ण त्यौहारों जैसे दिवाली व दशहरा पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के कोटे में **608** मि.टन की वृद्धि की गई। प्रदेश में उपभोक्ताओं को **400** ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा दिवाली व दशहरा त्यौहारों के दौरान **500** ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह राशन की चीनी उपलब्ध कराई गई। वर्ष **1996** में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत **27,800** मिट्रिक टन लेवी चीनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई।

खाने का तेल

10.4 वर्ष **1996** में भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, **1996** तक **1,800** मि. टन खाद्य तेलों का आंवटन प्रदेश को किया जो कि उपभोक्ताओं को **34.75** रुपए प्रति कि.ग्राम की दर से **2** कि.ग्राम **5** व्यक्तियों के परिवार को तथा **3** कि.ग्राम **5** व्यक्तियों से अधिक सदस्यों वाले परिवार को उपलब्ध करवाया गया।

नियन्त्रित कपड़ा

10.5 वर्ष **1996** में **6.10** लाख मीटर नियन्त्रित कपड़ा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जनता को वितरित किया गया जिसके साथ अनियन्त्रित कपड़ा भी उचित दामों पर उपलब्ध करवाया गया।

आयोडीन युक्त नमक

10.6 सरकार द्वारा प्रदेश में केवल आयोडीन युक्त नमक का ही आवंटन किया जाता है। वर्ष **1996-97** में दुर्गम एवम दूर-दराज

के क्षेत्रों के लिए 7.10 लाख रुपये परिवहन अनुदान के लिए खर्च होने की संभावना है।

तरल पैट्रोलियम गैस

10.7 प्रदेश में सरकारी तेल कम्पनियां जन साधारण को खाना पकाने की गैस उपलब्ध करवा रही है। जहां यह कम्पनियां आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है वहां यह गैस हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

डीजल, पैट्रोल तथा मिट्टी का तेल

10.8 इस समय प्रदेश में 89 पैट्रोल और डीजल पम्प कार्यरत हैं। भारत सरकार ने प्रदेश का जनवरी, 1996 से मार्च, 1996 तक 4,522 किलोलिटर मिट्टी का तेल प्रतिमास उपलब्ध करवाया जबकि अप्रैल, 1996 से मासिक आवंटन बढ़ाकर 6,142 किलोलिटर कर दिया। वर्ष 1996 में 68,844 किलो लिटर मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया।

भण्डारण एवं परिरक्षण

10.9 सरकारी खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 56 गोदाम 14,250 मि.टन भण्डारण क्षमता के बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 34 भण्डार जिनकी भंडारण क्षमता 4,900 मि. टन है, निर्माणाधीन है। वर्ष 1996-97 के दौरान इन गोदामों के रख-रखाव के लिए 18.30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली

10.10 नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 7 जनजातीय विकास खण्डों जो 6 से 8 माह तक शेष संसार से कटे रहते हैं, को लाया गया है। इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 4 नई उचित मूल्यों की दुकाने खोली गई। इस प्रकार इन क्षेत्रों में इन दुकानों की संख्या 175 हो गई। वर्ष 1996-97 में दिसम्बर, 1996 तक निम्न खाद्यान्नों की आपूर्ति इन क्षेत्रों में की गई:-

वस्तु का नाम	गेंहू	गेंहू आटा	चावल	राशन की चीनी	नमक	खाद्य तेल	कोयला	मिट्टी का तेल
मात्रा क्विंटल में	49075	15653	56227	8889	1983	1776	36905	1980 कि. लि.

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

10.11 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए लगभग 89 हजार परिवारों को गेंहू, चावल तथा नमक क्रमश: 2 रुपये 80 पैसे

(6 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति व 3 कि.ग्रा. प्रति बच्चा) 4 रुपये 80 पैसे (1 कि.ग्रा.प्रति व्यक्ति व 1/2 कि.ग्रा. प्रति बच्चा) तथा 25 पैसे प्रति किलो प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगस्त,1996 से प्रदेश में इस परियोजना के अंतर्गत एक पुनः सर्वेक्षण करवाया गया जिसके अंतर्गत 4,000 रुपए तक मासिक आय पाने वाले परिवारों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया।

10.12 आवश्यक वस्तुओ की बिक्री तथा वितरण में जमाखोरी व काला बाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न आदेशों व अधिनियमों का सख्ती से पालन कर रही है । वर्ष 1996 में 29,753 निरीक्षण किए गए, 437 व्यापारियों को लिखित चेतावनी दी गई और 419 व्यापारियों को विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्ड दिया गया । 55,954 रुपए की राशी जुर्माने के तौर पर वसूल की गई। इसके अतिरिक्त मापतोल संगठन द्वारा इसी अवधि में 16,212 निरीक्षण तथा 1,238 चालान किए गए।

उपभोक्ता फोरम

10.13 उपभोक्ताओ की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से तथा उन्हें संरक्षण दिलाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओ को बेहतर संरक्षण प्रदान करना है। इसके उपबन्धों में क्षतिपूर्ति अथवा हर्जाने की व्यवस्था है।

पेयजल

10.14 राज्य के समस्त 16,807 गांवों (1981 जनगणनानुसार) को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा 1991-93 में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल 43,781 बस्तियां (एन.सी.) हैं जिनमें से 1.4.1996 को 6,283 नाटकवरड बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवानी शेष थी। वर्ष 1996-97 में 1,172 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से दिसम्बर,1996 तक 769 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया और शेष के लिए कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1996-97 के 6,621 लाख रुपए के परिव्यय की तुलना में नवम्बर,1996 तक 5,557 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 1996-97 में प्रदेश में 623 लाख रुपयों के परिव्यय से 600 हैण्डपम्प लगाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1996 तक 465 हैण्डपम्प लगाए जा चुके हैं तथा नवम्बर,1996 तक 520.45 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन को आवंटित राशि में से 200 हैण्डपम्प लगाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,1996 तक 145 हैंडपम्प लगाए जा चुके हैं। अतः कुल 800 हैंडपम्पों के लक्ष्य के अंतर्गत 610 हैंडपम्प दिसम्बर,1996 तक लगाए जा चुके हैं और शेष लक्ष्य मार्च,1997 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

10.15 प्रदेश के सभी शहरों में पेयजल योजनाओं की सुविधा उपलब्ध है परन्तु इन शहरों की पेयजल योजनाएं बहुत पुरानी हैं जिनका सम्बर्धन, नवीकरण एवं विस्तार आवश्यक है। वर्ष 1996-97 में 5 शहरों की पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर,1996 तक ऊना नगर की योजना पूर्ण कर ली गई हैं तथा अन्य लक्षित नगरों को मार्च,1997 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2,200 लाख रूपयों के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में नवम्बर,1996 तक 969 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं।

मल निकास

10.16 वर्ष 1996-97 में दो शहरों चम्बा व श्री नैना देवी जी में मल निकास योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1996-97 के 715 लाख रूपये के उदव्वय की तुलना में नवम्बर,1996 तक 199.95 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष लक्ष्य मार्च,1997 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

शिक्षा

10.17 हिमाचल प्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 63.86 है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अन्तर है । पुरूषों की 75.36 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 52.13 प्रतिशत है ।

प्राथमिक पाठशालायें

10.18 प्रदेश में अब तक 8,850 प्राथमिक पाठशालायें हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में अध्ययन कर रहे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा छात्रवृतियां जैसे कि मुफत कपड़े व पुस्तकें, आई.आर.डी.पी. तथा लाहौल-स्पिति पैट्रन पर दी जाने वाली छात्रवृतियां आदि एवं लड़कियों के लिए सभी स्तर पर मुफत शिक्षा शुरू की गई है। पात्र आध्यपकों के लिए 1996-97 सत्र में चार राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाएं जैसे डाईट, आप्रेशन बलैक बोर्ड तथा मिड-डे मील आदि भी शुरू की गई है। डाईट स्कीम के अन्तर्गत 1996-98 सत्र के लिए 1,500 प्रशिक्षणार्थियों को जे.बी.टी. प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया।

10.19 प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्राथमिक शिक्षा विभाग के संयोजन में साक्षरता अभियान चलाया गया है तथा इन जिला साक्षरता समितियों का अध्यक्ष सम्बन्धित जिले के जिलाधीश को बनाया गया है।

माध्यमिक पाठशालाएं

10.20 वर्ष 1996-97 में 2, 182 माध्यमिक यूनिट जिनमें 1,006 माध्यमिक पाठशालाएं 925 उच्च माध्यमिक पाठशालाओ के माध्यमिक यूनिट तथा 251 वरिष्ठ पाठशालाओ के माध्यमिक यूनिट सम्मिलित है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं।

उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

10.21 वर्ष 1996-97 में 1,176 उच्च/ वरिष्ठ यूनिट जिनमें 925 उच्च पाठशालाओ के यूनिट तथा 251 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के उच्च स्कूलों के यूनिट सम्मिलित हैं राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

10.22 प्रचलित वर्ष में 30 महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं जिनमें से 4 सांयकालीन महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त एक बी.एड कालेज धर्मशाला में तथा एक एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा संस्थान सोलन में कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने वर्ष 1995-96 से लड़कियों को सभी स्तरों पर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने से लेकर विश्वविद्यालय जिसमें तकनीकी कोर्स भी सम्मिलित है मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है।

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा

10.23 वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा से सम्बन्धित 5 केन्द्रों में शिक्षा का कार्यक्रम जारी रहा ।

व्यवसायिक शिक्षा

10.24 प्लस दो प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा का लागू करना नई शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है, व्यवसायिक शिक्षा 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओ में सुचारू रूप से चलाई जा रही है।

वैज्ञानिक शिक्षा का सुधार

10.25 वर्ष 1996-97 में इस योजना के अन्तर्गत 77.03 लाख रुपये की स्वीकृति से (i) माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान किट देना, (ii) उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओ को विज्ञान पुस्तकें देना व विज्ञान प्रयोगशालाओ में सुधार तथा (iii) विज्ञान शिक्षकों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देना सम्मिलित हैं।

मुफ्त छात्रावास

10.26 दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त छात्रावास की योजना से शिक्षा के व्यापक प्रसार व बच्चों के स्कूलों से लगाव में बहुत सहायता मिली है। वर्ष 1996-97 में राज्य में ऐसे 22 नि:शुल्क छात्रावास कार्यरत थे। जन-जातीय बच्चों के लिए दो और छात्रावास एक लड़कों तथा दूसरा लड़कियों के लिए भरमौर में खोले जा रहे है।

छात्रवृतियां

10.27 विभिन्न स्तर पर छात्रवृतियों के प्रोत्साहन हेतु **236.00** लाख रुपए का प्रावधान है । वर्ष **1996-97** में **86,000** छात्र लाभान्वित होने का अनुमान है ।

अध्यापकों को प्रशिक्षण

10.28 शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नौकरी के दौरान अभिनवन पाठचर्या के अतिरिक्त बी.एड. प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व धर्मशाला के शिक्षा महाविद्यालय में दिया जा रहा है।

अध्यापकों को राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार

10.29 वर्ष **1996-97** में **4** अध्यापकों को उनके श्रेष्ठ कार्य तथा व्यवसाय के प्रति निष्ठा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में **9** अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया ।

10.30 तदर्थ/टेनयोर बेसिस अध्यापकों को **3** वर्ष की नौकरी पूरी करने पर उनकी सेवाओं को रेगुलर करने का सरकार का निर्णय प्रशंसा का विषय है जिसके अनुसार **442** तदर्थ अध्यापकों को अब तक नियमित किया गया।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

10.31 हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष **1996-97** से प्रदेश के गैर जन-जातीय क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/ जन-जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को कक्षा छठी से दसवीं तक निःशुल्क पाठय पुस्तकें देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष इस योजना से **1,25,000** छात्र लाभान्वित हुए।

तकनीकी शिक्षा

10.32 प्रदेश में इस समय एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज **6** सरकारी बहुतकनीकी संस्थान, एक निजि बहुतकनीकी संस्थान, **17** सह-शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है तथा **15** प्रशिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए कार्यरत हैं। बहुतकनीकी संस्थानों में **3** वर्षीय सिविल इन्जीनियरिंग, मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, आटोमोबाईल, वास्तुकला सहायतार्थ, इलैक्ट्रौनिक्स तथा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं माईन आफिस प्रैक्टिस पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है । कम्पयूटर प्रयुक्ति में डेढ़ वर्ष का पोस्ट डिप्लोमा कोर्स तथा **2** वर्ष का डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी में भी दिया जा रहा है। कांगड़ा बहुतकनीकी संस्थान का दर्जा बढ़ाने के उपरान्त वहां वर्ष **1994-95** से उपकरणीय इन्जीनियरिंग, कम्पयूटर इन्जीनियरिंग तथा

कम्यनिकेशन इन्जीनियरिंग पाठयक्रम भी शुरू किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10.33 हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य, विभिन्न बिमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की अमूल्य सेवाएं **39** चिकित्सालयों, **49** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ ग्रामीण चिकित्सालयों उत्थान्नित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, **245** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, **165** औषधालयों तथा **1,954** उपकेन्द्रों और **46** मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर रही है। वर्ष **1996-97** के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

§1§ ग्रामीण स्वास्थ्य योजना:- इस योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शकों द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। ये गाईड मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

§2§ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **2,633** बुखार ईलाज डिपो, **2,918** औषधि वितरण केन्द्र, **213** मलेरिया क्लिनिक्स कार्य कर रहे हैं। वर्ष **1996** के माह नवम्बर तक इस कार्य के अन्तर्गत **5,49,216** रक्त स्लाईडें एकत्रित की गई जिनमें से **5,40,768** की जांच की गई और **8,227** अनुकूल पाई गई । **7,740** मामलों का आमूल उपचार किया गया तथा इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया।

§3§ कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम प्रदेश में **6** कुष्ठ चिकित्सालयों, **76** पारिणाह क्लीनिक तथा **15** सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्रों में चलाया जा रहा है । इसके साथ इन्दिरा गान्धी मैडिकल कालेज शिमला में **20** बिस्तरों वाला वार्ड कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष **1996-97** के **200** मामलों के लक्ष्य के विरुद्ध

दिसम्बर,1996 तक 284 नए मामलों का पता लगाया गया तथा वर्ष 1996-97 के 300 मामलों के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर,1996 तक 752 मामले समाप्त किए गए ।

(4) एस.टी.डी. नियन्त्रण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 71 एस.टी.डी. संस्थाएं हैं। वर्ष 1996 में नवम्बर,1996 तक एस.टी.डी. के 1,417 मामलों का उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त 55,876 रक्त के नमूने सीफिलिस रोग की जांच के लिए आए जिनमें से 463 मामले अनुकूल पाए गए ।

(5) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग केन्द्र, 1 क्षय रोग क्लीनिक, 6 क्षय रोग उप क्लीनिक तथा 1 सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं । दिसम्बर,1996 तक 14,073 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बिमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 44,008 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई।

(6) अन्धेपन से बचाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम:- वर्ष 1996-97 में 10,000 कैटरेक्ट आप्रेशन करने का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर,1996 तक 5,065 कैटरेक्ट आप्रेशन किए गए ।

(7) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:- राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च,1996 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न तरीकों से 57.73 प्रतिशत पात्र दम्पतियों को प्रभावी तौर से सुरक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर,1996 तक क्रमश: 11,949 बन्धयकरण तथा 24,645 लूप निवेश किए गए।

(8) शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम:- हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में पोलियो का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं

आया है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे:- आयरोग, गलघोटू, धनुष्टकार तथा खसरा में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर,1996 तक की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

मद	उपलब्धियां दिसम्बर, 1996 तक
1. टी.टी. (गर्भवती माताएं)	87,661
2. डी.पी.टी.	86,130
3. पोलियो	86,289
4. डी.पी.टी. बुस्टर	66,433
5. पोलियो बुस्टर	67,903
6. बी.सी.जी.	88,787
7. मीजल	85,615
8. डी.टी. (5-6 वर्ष)	1,02,308
9. टी.टी. (10 वर्ष)	84,326
10. टी.टी. (16 वर्ष)	49,495
11. माताओं को आर्यन, फोलिक एसिड	1,25,225
12. विटामिन "ए" पहली खुराक	73,419
13. विटामिन "ए" दूसरी खुराक	60,480

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुन: चलाया गया। अभियान का पहला चरण माह दिसम्बर,1996 में चलाया गया तथा दूसरा चरण जनवरी,1997 में पूरा किया गया। जन-जातीय एवं बर्फीले इलाकों में प्रथम चरण अक्तूबर तथा दूसरा चरण नवम्बर में चलाया गया। इस वर्ष इस अभियान के अंतर्गत 0-5 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई जबकि पिछले वर्ष 0-3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को यह खुराक पिलाई गई थी। पहले चरण के अभियान में 6,27,319 बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई गई।

(9) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की चिकित्सा की जांच की जाती है और रोगग्रस्त

बच्चों को नजदीक वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए भेज दिया जाता है । बच्चों को टाइफाईड तथा टी.टी. के टीके भी लगाए जाते हैं। देश में जुलाई,1996 में स्कूली बच्चों की जांच का अभियान चलाया गया परन्तु प्रदेश में कुछ स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण यह अभियान सितम्बर,1996 में चलाया गया। इस अभियान के दौरान 10,468 स्कूलों का निरिक्षण किया गया तथा 7,41,369 स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई और उनमें से 2,42,228 बच्चे विभिन्न बिमारियों से ग्रस्त पाए गए जिन्हें निकटतम चिकित्सा संस्था में उपचार के लिए भेजा गया।

§10§ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष परिवार कल्याण क्षेत्रीय परियोजना :- यह परियोजना जो भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में अप्रैल,1990 से 35.28 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भ की गई थी 31 दिसम्बर,1996 को समाप्त हो गई। इस परियोजना के अन्तर्गत 702 स्वास्थ्य संस्थाओं के भवन निर्माण का लक्ष्य है जिसमें 699 भवनों का निर्माण कार्य नवम्बर,1996 तक पूरा हो चुका है।

§11§ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1992 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया गया है जिसके अंतर्गत रक्त की सुरक्षा एवं विवेकपूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 12 रक्त कोष बैंक स्थापित किए गए हैं। आई.जी.एम.सी.शिमला के चौकसी केन्द्र में इस सम्बन्ध में रक्त नमूने जांच किए गए। इस चौकसी केन्द्र में 32 फुल ब्लोन एड्स के मामले पाए गये। इसके अतिरिक्त 55 मामले एच.आई.वी.अनुकूल पाए गए।

§12§ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय:- वर्ष 1996-97 में इन्दिरा गान्धी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 100 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता रही। अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी अस्पताल शिमला तथा कमला नेहरू अस्पताल शिमला इससे सम्बन्धित हैं। इस महाविद्यालय में औषधि, शल्य क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूति क्षेत्र विज्ञान, रति रोग विज्ञान, आंख नाक व गला चिकित्सा, रेडियोलौजी, जीव भौतिक विज्ञान, कार्डियोलॉजी, रेडियोथिरेपी, न्यूरोलॉजी तथा न्यूरोसर्जरी इत्यादि में आम जनता को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय नर्सों,

रेडियोग्राफर्स, ओपथैलमिक सहायक, ओ.टी.ए. प्रयोगशाला तकनीकी, को प्रदेश के औषधालयों व चिकित्सालयों की जरूरतों को मध्यनजर रखते हुए प्रशिक्षण भी देता है। इसके साथ ही इस महाविद्यालय में 16 विभिन्न विभागों में स्नातकोतर उपाधि तथा 8 विभागों में पत्रोपाधि का पाठयक्रम भी चल रहा है जिसकी पाठयक्रम की क्रमश: 35 व 18 विद्यार्थियों की क्षमता है। इसके अतिरिक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ग्रामीण तथा कठिन क्षेत्रों के लोगों के लिए 50 बिस्तरों वाला चलता-फिरता अस्पताल चला रहा है तथा इन्टर्नल व प्रशिक्षण ले रही नर्सों को बेहतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण दे रहा है ।

विशेष सेवांए :- इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भारत के उन महा विद्यालयों में से है जिसके पास फाइबर ओपटिक एन्डोस्कोपी तथा सी.टी.सकैन उपकरण है तथा वर्तमान विचाराधीन वर्ष के दौरान कलोज हृदय शल्य चिकित्सा जिसमें पेस मेकर को प्रयोग करना तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लैपरोस्कोपी के प्रयोग को भी सम्मिलित किया गया है।

(13) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय :- वर्ष 1994-95 के दौरान एक दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में शुरू किया गया। इस महाविद्यालय में 20 बी.डी.एस. प्रशिक्षणार्थियों का क्षमता है। यह महाविद्यालय राज्य की हमेशा से दन्त-चिकित्सकों तथा दन्त-पैरामेडिकल स्टाफ की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा लोगों को बेहतर एवं आधुनिक दन्त-चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खोला गया। राज्य के लोगों को विशेष चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए संस्थान में आधुनिक तथा विशेष प्रकार के उपकरण तथा मशीनरी है। प्रदेश के दूर-दूराज के ग्रामीण क्षेत्रों में दन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सचल सामुदायिक दन्त-चिकित्सा क्लीनिक बनाया गया है।

आयुर्वेद

10.34 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथिक द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल, 2 वृत अस्पताल, 2 जनजातीय अस्पताल, 8 जिला अस्पताल, 1 प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, 657 आयुर्वैदिक औषधालय, 3 यूनानी औषधालय, 2 होम्योपैथिक औषधालय तथा 2 पंचकर्मा यूनिट कार्यरत हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 150 नए आयुर्वैदिक औषद्यालय खोलने की सम्भावना है। वर्ष 1995 में इन संस्थाओ मे 36,941 अन्तरंग व 32,44,675 बाह्य रोगियों का ईलाज किया

गया । प्रचलित वर्ष में विभाग द्वारा 28 निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाए गए जिनमें 12,000 मरीजों का उपचार किया गया तथा मरीजों को निःशुल्क दवाईयां दी गई। विभाग के अन्तर्गत 2 आयुर्वेदिक फार्मेसियां कार्यरत हैं जिनमें से एक जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी) तथा दूसरी माजरा (जिला सिरमौर) में स्थित है। यह फार्मेसियां 103 शास्त्रीय औषधियों का निर्माण करती हैं जिसमें विभाग के अन्तर्गत 679 संस्थाओं को दवाईयां प्राप्त होती हैं। इन फार्मेसियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । कांगड़ा जिले के पपरोला में बी.ए.एम.एस. उपाधियों और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता 20 विद्यार्थी प्रति वर्ष हैं । भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में पूर्ण रूप से जुड़ा है जैसे कि मलेरिया, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रोग प्रतिरोध कार्यक्रम इत्यादि में भी अपना सहयोग देता रहा है। आयुर्वेदिक संस्थाओं नें पात्र दम्पतियों को प्रेरित करने के लिए परिवार कल्याण शिविर लगाए तथा शल्यक्रिया वाले मामलों की देख रेख के लिए भी शिविर लगाए ।

पौषाहार कार्यक्रम

10.35 समाज तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है । इस कार्यक्रम से वर्ष 1996-97 में 1,50,000 बच्चे व 31,000 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाने की आशा है । इस पौष्टिक आहार की लागत 95 पैसे प्रति दिन प्रति बच्चा तथा 1.15 रुपए प्रतिदिन प्रति माता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 600.93 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रदेश के लिए वर्ष 1996-97 तक 71 समेकित बाल विकास सेवाएं (आइ.सी.डी.एस.) परियोजना स्वीकृत कर चुकी है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना और उनके विकसित मानसिक व सामाजिक जीवन की दृढ़ नींव रखना तथा इसके साथ ही मृत्यु दर को कम करना और स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव पैदा करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 6 सेवाएं जैसे प्रतिरक्षण, प्रतिपूरक पौषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल, रैफरल सेवाएं, स्वास्थ्य तथा पौषाहार शिक्षा तथा नान-फार्मल प्री स्कूल शिक्षा कार्यरत हैं । इस वित्तीय वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत 894.63 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.36 समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा,

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करना है।

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

समाज कल्याण

10.37 इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पैंशन दी जाती हैं जिनकी आयु **60** वर्ष या उससे अधिक है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और उनकी वार्षिक आय **2,000** रूपए से अधिक नहीं हैं। यह पैंशन **100** रूपये प्रति मास की दर से दी जाती हैं। अपंग व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उनको यह पैंशन अपंग राहत भत्ते के रूप में दी जाती है । इसी प्रकार विधवाओं को भी इस पैंशन की प्राप्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं है । वर्ष **1996-97** के दौरान प्रदेश में इस प्रकार के पैंशनरों की संख्या **1,29,416** थी । इसके अतिरिक्त **1,773** कुष्ठ रोगी व्यक्तियों को **120** रूपये प्रति मास की दर से वर्ष **1996-97** में पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है। वर्ष **1996-97** के दौरान वृद्धावस्था, विधवा और अपंग व्यक्तियों के लिए **16.35** करोड़ रूपए कुष्ठ रोगियों के लिए **30.25** लाख रूपये का बजट प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को पैंशन दी जा रही है जिनकी आयु **65** वर्ष या इससे अधिक है तथा जिनकी देखभाल करने वाला कोई न हो, इन व्यक्तियों को **100** रूपये प्रतिमाह की दर से पैंशन दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत **75** रूपये केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा **25** रूपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत **11,600** वृद्धों को लाभान्वित किया जा रहा है।

बाल कल्याण

10.38 अनाथ, अर्ध-अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संघों द्वारा रिकांग-पिओ, सराहन, सुन्नी, मशोबरा, टूटीकण्डी, (शिमला), रॉकवुड (शिमला), कुल्लू और लाहौल, ढल्ली, कल्पा, शिल्ली (सोलन) देहर (मण्डी), भरनाल (मण्डी), तथा चम्बा में बाल/बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं। परागपुर (कांगड़ा) मशोबरा (शिमला) में बालिका आश्रम तथा सुजानपुर (हमीरपुर) व टुटीकण्डी (शिमला) में बाल आश्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोहड़ू (शिमला) तीसा (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रम शुरू किए गए हैं। इन आश्रमों में रहने वालों को निशुल्क खाने पीने तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त **10+2** तक शिक्षा दी जाती है। प्रवासियों को आश्रम छोड़ने पर स्वंय रोजगार तथा पुर्नवास के लिए **6,000** रूपये की सहायता तथा **10+2** के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध

करवाई जाती है। सुन्दरनगर में किशोर न्याय अधिनियम एक्ट, 1986 के अन्तर्गत निराश्रित बच्चों के लिए स्थापित एक किशोर गृह भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त ऊना (ऊना) में एक विशेष स्कूल प्रेक्षण-कम-होम भी कार्यरत है। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए सरकारी खर्चे पर शिक्षा दिलाने हेतु प्रेम आश्रम ऊना में दाखिल किया जाता है। फोस्टर केयर सर्विस योजना के अन्तर्गत उपेक्षित बच्चों को अगर कोई दम्पति गोद लेना चाहे तो विभाग ऐसे दम्पति को बच्चों के पालन-पोषण के लिए **100** रुपए प्रतिमाह की दर से सहायता देता है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, **1996** तक **0.32** लाख रुपए की राशि खर्च की गई तथा **14** व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

महिला कल्याण

10.39 महिलाओ के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:-

(क) नारी सेवा सदन.- निराश्रित और राह भटकी लड़कियों/ महिलाओ के लिए चम्बा, मण्डी, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और कल्पा में विभाग द्वारा नारी सेवा सदन चलाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त नाहन में एक नारी सेवा सदन भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है । इन सदनों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी स्त्रियों को सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए तीन हजार रुपये तक की प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है ।

(ख) कार्यरत महिलाओ के लिए छात्रावास.- नगरों में कार्यरत महिलाओ को आवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से विभाग ने **13** कार्यरत महिला छात्रावासों का निर्माण किया है । यह छात्रावास स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के **75** प्रतिशत तथा राज्य सरकार के **25** प्रतिशत अनुदान से निर्मित किए गए हैं।

(ग) बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए अनुदान.- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी लड़कियों को या तो उनके माता- पिता को जिनकी वार्षिक आय **7,500** रुपये से अधिक न हो, **2,500** रुपये प्रति लड़की शादी के लिए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं । वर्ष **1996-97** में इस उद्देश्य के लिए **8.25** लाख रुपयों का प्रावधान है और दिसम्बर, **1996** तक **6.96** लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं जिससे लगभग **279** अभिभावकों को लाभ पहुंचा।

(घ) स्वयं-रोजगार के लिए महिलाओं को सहायता:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रुपए से अधिक न हो तथा जिन्हें किसी विशेष व्यवसाय की जानकारी हो या उस व्यवसाय में प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया हो, को 2,500 रुपये की दर से सहायता दी जाती है। 1996-97 में 6.60 लाख रुपये इस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं तथा दिसम्बर, 1996 तक 3.60 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं जिससे 144 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(ङ) महिला विकास निगम:- प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों हेतु वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिए एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है । वर्ष 1996-97 में इस निगम को 17.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर, 1996 तक 3.40 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और शेष राशि का उपयोग इस वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा।

अपंग कल्याण

10.40 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीम विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं :-

(क) कृत्रिम अंग सहायता :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए 1.20 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिनकी मासिक आय 1,200 रुपये तक हो उन्हें कृत्रिम अंग लगवाने हेतु पूरी राशि दी जाती है तथा 1,201 से 2,500 रुपए तक की मासिक आय वाले को आधी कीमत अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ख) अपंग छात्रवृति:- इसका मुख्य उद्देश्य अपंग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इसके अंतर्गत इन बच्चों को छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1996-97 के लिए 4.30 लाख रुपये का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर, 1996 तक 1.29 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं जिससे लगभग 149 अपंग छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(ग) अपंग विवाह अनुदान:- इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छा से अपंग लड़के या लड़की के विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये तक की राशी दी जाती है। वर्ष 1996-97 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 3.20 लाख रुपये का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर, 1996 तक 2.55 लाख रुपयें खर्च किए

जा चुके हैं इससे लगभग 51 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(घ) अपंगों के लिए स्वयं रोजगार योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए 5.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। इसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 तक 1.88लाख रुपए खर्च किए जा चुके है जिससे लगभग 75 व्यक्तियों का लाभान्वित किया गया ।

अनुसूचित जाति/ जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.41 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:-

(क) तकनीकी छात्रवृतियां.- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को जो आई.टी.आई., आर.टी.आई. इत्यादि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं 100 रुपये प्रति मास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1996-97 में 19.35 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं जिससे 993 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होगें ।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन.- अस्पृश्यता को दूर करने के लिए नवम्बर,1994 से 25,000 रुपए प्रति दम्पति प्रोत्साहन के रुप में दिये जाते है। वर्ष 1996-97 में इस योजना के अन्तर्गत 12.00 लाख रुपयों का प्रावधान है तथा दिसम्बर,1996 तक लगभग 17 दम्पतियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है जिन पर 3.96 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) गृह अनुदान.- इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बर्फ से ढके क्षेत्रों में 10,000 रुपये का अनुदान और 8,000 रुपये अन्य क्षेत्रों में, आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत घर की मुरम्मत के लिए दिया जाता है। वर्ष 1996-97 में 137.15 लाख रुपए का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,1996 तक 135.31 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है जिससे लगभग 1,619 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(घ) हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओ में सुधार:- इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर

अनुसूचित जाति के लोग रहते हों व अनुसूचित जाति के लोग अधिक हों छोटी पेयजल योजना के अंतर्गत कुंआं/ बावड़ी का निर्माण किया जाता है जो कि जन-स्वास्थ्य विभाग की योजनाओ के द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं। दिसम्बर,1996 तक लगभग 227 बस्तियों को लाभान्वित किया गया है जिसपर 16.93 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(ङ.) टाईप व शॉर्टहैण्ड में निपुणता:- इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त करके प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी निपुणता को कायम रख सकें। वर्ष 1996-97 में इस योजना के अंतर्गत 3.97 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है जिससे दिसम्बर,1996 तक लगभग 61 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसपर 1.48 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(च) अनुसूचित जाति परिवारों को राहत जो अत्याचारों से पीड़ित हैं.- इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन पर जातीय आधार पर अन्य परिवारों द्वारा अत्याचार किये गए हों । वर्ष 1996-97 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 1.00 लाख रुपए का प्रावधान है।

(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम:- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की गई है। यह निगम बैंकों की सहायता से अनेक उद्धार कार्यक्रम चला रहा है।

(ज) अनुवर्ती कार्यक्रम :- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित तथा जन-जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को 800 रुपए की कीमत तक के औजार तथा उपकरण दिए जाते हैं। वर्ष 1996-97 में इस योजना के अंतर्गत 11.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। दिसम्बर,1996 तक इससे 1,127 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है जिसपर 10.20 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(झ) कन्या छात्रावास :- अनुसूचित जाति/ जन-जाति की छात्राओ के शिक्षा स्तर के विकास तथा छात्राओ द्वारा

जा चुके हैं इससे लगभग 51 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(घ) अपंगों के लिए स्वयं रोजगार योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए 5.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। इसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 तक 1.88लाख रुपए खर्च किए जा चुके है जिससे लगभग 75 व्यक्तियों का लाभान्वित किया गया ।

अनुसूचित जाति/ जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.41 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:-

(क) तकनीकी छात्रवृतियां.- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को जो आई.टी.आई., आर.टी.आई. इत्यादि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं 100 रुपये प्रति मास प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1996-97 में 19.35 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं जिससे 993 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होगें ।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन.- अस्पृश्यता को दूर करने के लिए नवम्बर,1994 से 25,000 रुपए प्रति दम्पति प्रोत्साहन के रूप में दिये जाते है। वर्ष 1996-97 में इस योजना के अन्तर्गत 12.00 लाख रुपयों का प्रावधान हैं तथा दिसम्बर,1996 तक लगभग 17 दम्पतियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है जिन पर 3.96 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) गृह अनुदान.- इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बर्फ से ढके क्षेत्रों में 10,000 रुपये का अनुदान और 8,000 रुपये अन्य क्षेत्रों में, आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत घर की मुरम्मत के लिए दिया जाता है। वर्ष 1996-97 में 137.15 लाख रुपए का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,1996 तक 135.31 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है जिससे लगभग 1,619 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

(घ) हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओ में सुधार:- इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर

केन्द्रीय सहायता से लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 1996-97 के लिए 0.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं ।

10.44 1991 की जन गणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 13.10 लाख थी जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 25.34 प्रतिशत है, अनुसूचित जाति जनसंख्या बिखरी होने के कारण, इस जाति के लिए व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीमें/कार्यक्रम अपनाए गए ताकि (1) इनकी आय तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके, (2) ये व्यवसाय कम अपमानित हों, (3) इनकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि रोजी रोटी कमाने के लिए वे दूर के स्थानों में भी जा सकें, साथ ही उनके रहन सहन और वातावरण में सुधार लाया जाए । वर्ष 1979-80 में प्रथम बार प्रदेश में विशेष घटक योजना को प्रारम्भ किया गया । सातवीं योजनावधि में सकल योजना से 10.90 प्रतिशत राशि विशेष घटक योजना के लिए आरक्षित की गई तथा वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में क्रमश: 10.34 प्रतिशत तथा 12.35 प्रतिशत रही है। यह उपलब्धि भारत सरकार गृह मंत्रालय (अब कल्याण मंत्रालय) द्वारा दी गई, विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण प्राप्त हो सकी । आठवीं योजना के लिए राज्य योजना की राशि सम्पूर्ण राज्य योजना का 12.12 प्रतिशत रखा गया (अभाजीय व भाजीय घटक के विचार बिना) वर्ष 1992-97 तक विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 290.58 करोड़ रुपये व्यय किए गए और वर्ष 1996-97 में 109.35 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की अवधि तक निर्धारित लक्ष्य 303.15 करोड़ रुपये की तुलना में 399.93 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। यह व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त हैं। नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 668.50 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 21.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से वार्षिक योजना 1997-98 के लिए क्रमश: 122.50 करोड़ रुपये तथा 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

10.45 विशेष घटक योजना के लिए जिला स्तर (किन्नौर और लाहौल-स्पिति को छोड़कर) पर योजना के सामायिक संचालन हेतु जिला स्तरीय पुर्नवलोकन समितियां गठित की गई हैं ।

10.46 20 सूत्रीय कार्यक्रम,1986, के 11वें सूत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति को वर्ष 1996-97 के दौरान 34,000 परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर,1996 तक 31,363 परिवारों को लाभान्वित किया गया ऐसे लाभार्थियों का समवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है।

11. व्यापार तथा वाणिज्य

वाणिज्यिक बैंकिंग

11.1 सभी शैडयूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इनकी संख्या मार्च,1995 को 756 से बढ़कर मार्च,1996 को 760 हो गई । राज्य में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 150(19.7 प्रतिशत) तथा उसके बाद शिमला जिला में 120(15.8 प्रतिशत) बैंक थे । ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को बढ़ाने का कार्य वर्ष 1996 में भी जारी रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या 647 हो गई जो कि राज्य में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या का 85.1 प्रतिशत है । यदि इसे जनसंख्या से जोड़ा जाए तो राज्य में प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या मार्च,1995 में 7,375 से बदलकर मार्च,1996 में 7,476 हो गई ।

11.2 प्रदेश में शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि मार्च,1995 को 2,678.92 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च,1996 में 3,138.93 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार इस दौरान इसमें 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सकल बैंकों में ऋण राशि मार्च,1995 में 705.78 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च,1996 में 810.04 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि 14.8 प्रतिशत के लगभग थी । राज्य में ऋण पर दी गई राशि व जमा राशि का अनुपात मार्च,1995 के 26.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 1996 में 25.8 प्रतिशत हो गया। राज्य में मार्च,1996 में 85.1 प्रतिशत बैंक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे परन्तु कुल ऋण का केवल 67.5 प्रतिशत तथा कुल जमा राशि का 63.7 प्रतिशत इन बैंकों में था । मार्च,1996 में राज्य के जिला कांगड़ा के बैंकों में जमाराशि 24.8 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 14.7 प्रतिशत थे । जिला शिमला में बैंकों में जमा राशि 22.9 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 17.3 प्रतिशत थे ।

सहकारी बैंक

11.3 हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंकों की मुख्य कार्यालय सहित शाखा कार्यालयों की संख्या मार्च,1996 में 111 थी। सहकारी बैंकों में कुल जमा राशि मार्च,1995 में 386,33.46 लाख रुपये की तुलना में मार्च,1996 में 408,43.82 लाख रुपये हो गई । इस प्रकार इस दौरान इसमें 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, धर्मशाला की मार्च,1996 में 95 शाखाएं जिसमें मुख्यालय भी सम्मिलित है, कार्यरत हैं। इन बैंकों की जमा राशि मार्च,1996 में 366,06.55 लाख रुपए थी जबकि मार्च,1995 को 281,49.03 लाख रुपए थी।

इसी प्रकार जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, सोलन की मार्च, 1996 में 19 शाखाएं जिसमें मुख्यालय भी सम्मिलित है, थीं, जिनमें मार्च, 1997 तक 38,29.00 लाख रुपये की जमा राशि होने की सम्भावना है जबकि मार्च, 1996 तक 30,94.00 लाख रुपये की जमा राशि थी।

12. परिवहन तथा संचार

I. राज्य क्षेत्र

सड़कें तथा पुल

12.1 जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधनों के न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्याधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष **1996-97** के लिए **8,282.00** लाख रूपए का व्यय अनुमोदित किया गया जिसमें **23.00** लाख रूपए केबलवेज तथा **120.00** लाख रूपये नाहन फाऊंड्री के लिए अनुमोदित है। **8,282.00** लाख रूपये पूंजीगत उद्व्यय की तुलना में दिसम्बर, **1996** तक **6,771.00** लाख रूपये खर्च किये गए तथा शेष **1,511.00** लाख रूपए मार्च, **1997** तक व्यय किए जाएंगे। वर्ष **1996-97** का लक्ष्य तथा दिसम्बर,**1996** तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	मद	इकाई	लक्ष्य 1996-97	उपलब्धियां दिसम्बर, 1996 तक	1.1.97 से 31.3.97 तक संभावित उपलब्धियां
1.	वाहन चलने योग्य सड़कें	कि.मी.	251	190	61
2.	जल निकास	"	192	118	74
3.	पक्की तथा विरालित सड़कें	"	202	160	42
4.	जीप चलने योग्य सड़कें	"	15	15	-
5.	पुल	संख्या	30	11	19
6.	गांव जुड़े	"	20	15	5
7.	केबलवेज	कि.मी.	2	-	2

II. केन्द्रीय क्षेत्र

राष्ट्रीय उच्च मार्ग

12.2 हिमाचल प्रदेश में **760.35** किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरों को जोड़ना तथा बाईपास सम्मिलित हैं के सुधार के लिए दिसम्बर,**1996** तक **11.58** किलोमीटर लम्बे मार्ग को चौड़ा करके दोहरी सड़कों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त **8.04** किलोमीटर लम्बे मार्ग को पक्का तथा विरालित किया तथा पटरियों को चौड़ा किया।

गैर आवासीय/आवासीय भवन

12.3 लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के गैर आवासीय तथा आवासीय दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है । वर्ष 1996-97 के लिए गैर-आवासीय भवनों के लिए 'भवन निर्माण कार्यक्रम' के अन्तर्गत् 1,125.90 लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसमें से 743.91 लाख रूपये दिसम्बर,1996 तक खर्च किए जा चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 के लिए 1,103.75 लाख रूपये का प्रावधान आवासीय भवनों जिसमें 323.75 लाख रूपये पुलिस आवासीय भवनों के सम्मिलित हैं के लिए रखे गये हैं। इसमें से 683.63 लाख् रूपये दिसम्बर, 1996 तक खर्च किए जा चुके हैं और शेष राशि का उपयोग मार्च,1997 तक कर लिया जाएगा।

रेलवे

12.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईनें शिमला-कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम-ऊना (16 किलोमीटर) बड़ी लाईन है।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

12.5 प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन उद्योग को प्रदेश सरकार ने अधिक प्राथमिकता दी है। भविष्य में प्रदेश में पर्यटन की वृद्धि के लिए उचित मूलाधार विकसित किया है। वर्ष 1996-97 में पर्यटन विकास के लिए 755.00 लाख रूपये का प्रावधान तथा नागरिक उड्डयन 659.00 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया। प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने सूरज कुण्ड क्राफट मेला, एस.ए.टी.टी.ई. टी.टी.एफ, कलकत्ता, सी. आई. आई., लखनऊ, टी.ए.ए.आई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्सव, दिल्ली क्षितीय हिमालयन उत्सव, धर्मशाला, ताबो मिलिनीयम उत्सव, डब्लयू.टी.एम. लन्दन तथा आई.टी.वी. बर्लिन में भाग लिया।

12.6 निजि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने प्रदेश में 9 स्थानों का चयन किया है जो निजि क्षेत्र में उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों के लिए 12 रोपवेज बनाने हेतु विज्ञापन दिए गए जिन में उद्यमियों द्वारा निजी निवेश किया जाएगा। तीन रोपवेज चम्बाघाट से करोल टिब्बा, जावली से कसौली तथा भैनादेवी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

12.7 पर्यटन विभाग विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों जैसे कि जल-क्रीड़ा, रीवर रैफ्टिंग, ट्रैकिंग तथा पैरागलाइडिंग इत्यादि में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। वर्ष 1996 के दौरान बिलासपुर, पौंग डैम व पंडोह झीलों में पर्वतारोहण संस्थान मनाली द्वारा जल-क्रीड़ा के 185 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभाग बिलासपुर में जल-क्रीडा केंद्र

86.68 लाख रुपये की लागत से तथा एक एयरो क्रीडा केंद्र बीर-बिलिंग में बना रहा है। विभाग पैरा-गलाइडरों के लिए बिलिंग के निकट शोजा में भूमि ले रहा है। वर्ष 1995-96 में विभाग ने जल क्रीड़ाओ के लिए 20.00 लाख रुपये के उपकरण खरीदे हैं तथा वर्ष 1996-97 में इसके लिए 30.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

12.8 हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ वर्षों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 134.26 लाख रुपये की कुल लागत से 10 हैली-पैड बनाए है। बनीखेत ‡चम्बा‡ तथा रंगरिक ‡स्पिति‡ में हवाई-पटियां बनाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने कुल्लू हवाई-अड्डे का सुदृढ़ करने के लिए 36 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वित्त-आयोग ने 30 करोड़ रुपये बनीखेत तथा रंगरिक हवाई-पटियों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं। वर्ष 1996-97 में ताबो हैलीपैड का निर्माण किया गया तथा सिस्सु, बारिंग, रिबलिंग तथा सांगला के हैलीपैडों का निर्माण किया जा रहा है। पांगी तथा भरमौर को जोड़ने के लिए भरमौर हैलीपैड के विस्तार का कार्य 79 लाख रुपये की अनुमानित राशि से शुरू किया जा रहा हैं।

पथ परिवहन

12.9 परिवहन के अन्य स्त्रोत जैसे रेलवे, वायु तथा जल परिवहन न के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है । प्रदेश के सभी भागों, पड़ौसी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के पथों पर, समन्वित आयोजित, पर्याप्त तथा कार्यसाधक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई ।

12.10 वर्ष 1996-97 में अक्तूबर, 1996 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास 1,698 बसें थीं। वर्ष 1995-96 में 2,232 मार्गों की तुलना में वर्ष 1996-97 में अक्तूबर,1996 तक 2,275 मार्गों पर बसें चल रही थी।

12.11 वर्ष 1996-97 में अक्तूबर,1996 तक निगम की बसों ने 3.50 लाख किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय की जबकि वर्ष 1995-96 में यह दूरी 3.42 लाख किलोमीटर प्रतिदिन थी । इस समय प्रदेश में 23 क्षेत्र, 4 मण्डल स्तर के कार्यालय कार्यरत हैं तथा मण्डी, तारादेवी तथा परवाणू में 3 मण्डलीय कर्मशालाएं कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जस्सूर में एक रीकण्डीशनिंग इकाई स्थापित है।

12.12 वर्ष 1996-97 में कुछ प्रभावशाली जैसे कि मूल्यांकन प्रणाली का कम्पयूटरीकरण, निजी क्षेत्र में बसों के आरक्षण का कार्य, कार्यशालाओं में काम करने की प्रणाली में सुधार, नालागढ़, रोहडू तथा चमेरा स्टेशनों को छोड़ शेष सभी स्टेशनों में सीटों का अग्रिम आरक्षण का कम्पयूटरीकरण, इत्यादि, कदम उठाए गए। चालक की कठिनाई

को कम करने के लिए बसों में पावर स्टेरिंग का प्रयोगात्मक आधार पर प्रचलन किया गया। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उन सभी कर्मचारियों के लिए पैंशन योजना लागू की गई जो पहले इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते थे। चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में अक्तूबर, 1996 तक निगम का राजस्व 57.20 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष यह राजस्व इसी अवधि में 55.20 करोड़ रुपए था।

13. सहकारिता

13.1 प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या 31.3.1995 में 4,410 थी जो कि 31.3.1996 में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हुई 4,419 हो गई है और उनकी अंश पूंजी जो वर्ष 31.3.1995 में 6,927.06 लाख रूपये थी 31.3.1996 में 8.67 प्रतिशत की वृद्धि से 7,527.98 लाख रूपये हो गई । इन समितियों की जमा पूंजी मार्च,1996 के दौरान 32.93 प्रतिशत की वृद्धि से 93,735.56 लाख रूपये हो गई जो कि मार्च,1995 में 70,514.53 लाख रूपये थी । अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण(कृषि और गैर कृषि) वर्ष 1994-95 में 8,069.61 लाख रूपये से बढ़कर 1995-96 में 9,553.40 लाख रूपये हो गये। दीर्घकालीन ऋण 31.3.1996 तक बढ़कर 1,629.26 लाख रूपये हो गये जब कि 31.3.1995 तक 1,132.15 लाख रूपये थे। कार्यरत पूंजी में 31.3.1996 के अंत तक पिछले वर्ष की तुलना में 12.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों की प्रगति को दर्शाया गया है ।

सहकारिता की प्रगति

(लाख रूपयों में)

क्रम	मद	31.3.95	31.3.96	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
1.	समितियों की संख्या	4,410	4,419	0.2
2.	सदस्यता(लाखों में)	11.29	11.53	2.13
3.	अंश पूंजी	6,927.06	7,527.98	8.67
4.	जमा पूंजी	70,514.53	93,735.56	32.93
5.	कुल अल्प कालीन व मध्य कालीन ऋण वितरित(कृषि तथा गैर कृषि ऋण)	8,069.61	9,553.40	18.39
6.	दीर्घ कालीन ऋण वितरित	1,132.15	1,629.26	43.91
7.	कृषि उपज का विपणन मूल्य	4,476.35	4,626.61	3.36
8.	फुटकर वितरण:			
	(क)उपभोक्ता वस्तुएं	10,311.82	11,232.95	8.93
	(ख)कृषि उर्वरक	1,969.35	2,169.53	10.16
9.	ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी(प्रतिशत)	100	100	-

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:-

सहकारी ऋण

13.2 सहकारी ऋण हिमाचल प्रदेश ग्रामीण कृषि विकास बैंक, लिमिटिड शिमला तथा प्राथमिक ग्रामीण कृषि विकास बैंक लिमिटिड, धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं । यह दीर्घकालीन ऋण किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं ।

उपभोक्ता वस्तुओ का वितरण

13.3 सहकारी समितियां प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर करती हैं ।

आदानों की आपूर्ति

13.4 सहकारी समितियां किसानों को उचित मूल्य पर विभिन्न कृषि आदानों जैसे कृषि उपकरण, उर्वरक, उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है।

विपणन

13.5 सहकारी संस्थाएं प्रदेश में नगदी फसलें जैसे बीज आलू, अदरक, चाय तथा सेव आदि फसलों के विपणन का कार्य कर रही हैं ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके ।

14. स्थानीय निकाय

पंचायती राज

14.1 प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 243 एन तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 200(2) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदेश विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित करके, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1991 और 1992 में गठित ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को भंग किया गया।

14.2 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए सदस्यों तथा सभापतियों के एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए गए। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए भी पदों को आरक्षित किया गया। इस समय प्रदेश में 2,922 ग्राम पंचायतें, 72 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषद कार्यरत हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान 1,450 ग्राम पंचायतों में व्यवसायिक/ सिलाई केन्द्र खोले गए।

14.3 सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए पुस्तकालय अनुदान राशि में से गिरिराज तथा अन्य सरकारी पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि ग्रामीण लोगों को प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी मिल सके। ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा उप-प्रधानों और पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायत चौकीदारों का मानदेय 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि प्रत्येक दो पंचायतों के लिए एक पंचायत सचिव उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार पंचायतों को आयवर्धक परिसम्पतियों के सृजन के लिए ऋण प्रदान कर रही है।

नगरपालिकाएं

14.4 प्रदेश में इस समय नगर निगम शिमला सहित 49 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत हैं । इन शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने के कारण सरकार प्रतिवर्ष नागरिक सुख-सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान देती है । वर्ष 1996-97 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को 1,145.55 लाख रुपए (489.47 लाख रुपए योजना, 4.90 लाख रुपये विशेष घटक योजना तथा 651.18 लाख गैर-योजना के अन्तर्गत) अनुदान दिए जाने का बजट में प्रावधान है जो कि शहरी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें से 92.78 लाख रुपये निदेशालय, शहरी विकास पर व्यय करने का प्रावधान है।

14.5 अप्रैल, **1982** में चुंगी के समाप्त कर देने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की आय कम हो जाने के कारण सरकार इनको अनुदान सहायता प्रदान कर रही है ताकि इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके । वर्ष **1996-97** में इनके लिये **446.68** लाख रूपए का प्रावधान है। नागरिक अधिकारों के दृष्टिगत सिर पर मैला उठाने जैसे घृणित कार्य को समाप्त करने हेतु विशेष घटक योजना के अन्तर्गत् वर्ष **1996-97** के लिए **4.90** लाख रूपये का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत पांच निकायों हमीरपुर, ज्वालामुखी, मनाली, रिवाल्सर तथा सुन्नी शहरों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

14.6 शहरी मूल सुविधा सेवाएं प्रदेश के तीन शहरों नालागढ़, पौंटा तथा कांगड़ा में चलाई जा रही है। वर्ष **1996-97** के दौरान इस योजना के अन्तर्गत **32.77** लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष **1996-97** के दौरान बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का कार्य जारी रहेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत **57.44** लाख रूपये बजट का प्रावधान किया गया है।

14.7 छोटे एवम मध्यम नगरों के लिए एकीकृत विकास योजना जो पहले नगर एवम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी, अब शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। यह योजना तीन शहरों नाहन, ऊना तथा धर्मशाला में चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष **1996-97** के लिए **50.00** लाख रूपये का प्रावधान है। नौराड परियोजना के अंतर्गत कूड़ा निकासी व्यवस्था के सुधार के लिए **53.66** लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य की सभी नगरपालिकाओं में चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत वर्ष **1995-96** के लिए **82.22** लाख रूपये का प्रावधान था तथा वर्ष **1996-97** के लिए **126.74** लाख रूपये का प्रस्ताव है।

ECONOMIC REVIEW
OF
HIMACHAL PRADESH

1997

Economics and Statistics Department

PREFACE

Economic Review is one of the budget documents, which indicates the important economic activities of the Government through its departments. The Review of progress, presented in Part-I, gives the salient features of the State's economy during 1996-97, while statistical tables on various subjects are given in Part-II. Graphs and charts are given at appropriate places.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material, included in the Review . The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics and Statistics Department. I highly appreciate and commend the hard work done by the officers and officials of this Department.

KR. SHAMSHER SINGH
Financial Commissioner-cum-Secretary,
(Finance,Plg. and Eco. & Stat.)to the,
Government of Himachal Pradesh.

CONTENTS

PART-I REVIEW OF PROGRESS DURING 1996-97

		Page
1.	General Appraisal	1
2.	Population	5
3.	State Income	7
4.	Agriculture	9
5.	Industries	28
6.	Electricity	30
7.	Employment	36
8.	Rural Development	41
9.	Price Situation	46
10.	Civil Supplies and Social Services	48
11.	Trade and Commerce	65
12.	Transport and Communications	66
13.	Co-operative Movement	69
14.	Local Bodies	71

PART-I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1996-97

1 GENERAL APPRAISAL

Economic Situation in the Country

1.1 The economic reforms introduced in 1991-92 to extricate the economy from previous mess continued to sustain the momentum of growth this year also. The real growth of gross domestic product which had fallen to 0.8 percent in 1991-92 increased to 7.2 percent in 1994-95 and is again 7.1 percent in 1995-96 as the total G.D.P. at constant prices is estimated at Rs. 2,74,209 crores in 1995-96 against Rs. 2,56,095 crores in 1994-95. At current prices the G.D.P. registered an increase of about 14.8 percent as it increased to Rs. 9,85,787 crores in 1995-96 from Rs. 8,54,340 crores in 1994-95. The per capita income in real terms i.e. at 1980-81 prices, is estimated at Rs. 2,573 for 1995-96 as against Rs. 2,449 for 1994-95. The per capita income at current prices is estimated at Rs. 9,321 in 1995-96 as against Rs. 8,282 for the previous year (12.5 percent increase).

1.2 The growth of 7.1 percent in total gross domestic product is mainly attributed to the remarkable growth in industries, electricity, trade, hotels and restaurants, railways and communications etc. Public administration and defence and other personal services sectors also registered an improvement but the agriculture and forestry sectors, however, witness a marginal negative growth during the year. There was a decline of 0.4 percent in Agriculture production during 1995-96 which was mainly attributable to the fall in production of rice (-2.6 %) wheat (-4.8%) coarse cereals (- 1.0%) and pulses(-5.5%). The rate of inflation which was - only 5.0 percent during 1995-96 as against 10.4 percent during 1994-95 had started rearing its head again as on point to point basis it has increased to 7.4 percent between 31.12.1995 to 30.12.1996 as compared with 6.03 percent in the corresponding period of the previous year.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.3 The economy of Himachal Pradesh is mainly dependent on agriculture and its allied activities. The agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. During 1995-96, the foodgrains production was 15.17 lakh tonnes (Provisional) whereas for 1996-97, a target of producing 15.47 lakh tonnes has been fixed. The foodgrains production for the last five years is given in the following table:-

Year	Foodgrains production (lakh tonnes)
1992-93	13.13
1993-94	12.37
1994-95	14.06
1995-96(P)	15.17
1996-97(Target)	15.47

1.4 Systematic development of horticulture in Himachal Pradesh was taken up only after Independence. The diverse climate of the state is so congenial for growing fruits that almost all types of fruits, except fruits of coastal area are grown in the state. The total fruit production which during 1994-95 was only 1.71 lakh tonnes increased to 3.12 lakh tonnes in 1995-96 and is expected to be about 3.46 lakh tonnes during 1996-97. Vegetable production is also showing signs of increasing trend and 4.40 lakh tonnes of vegetables are expected to be produced during 1996-97. Seed potato of Himachal Pradesh is known for its disease-free qualities and is in considerable demand all over the country.

1.5 According to quick estimates, the Gross State Domestic Product of Himachal Pradesh registered a significant growth of 6.6 percent during 1995-96 as against 5.3 percent in 1994-95 and the per capita income in the Pradesh which during 1994-95 was estimated at Rs. 7,846 increased to Rs. 8,747 in 1995-96.

1.6 In the field of rural electrification, although 100 per cent villages have been electrified, yet a lot of work is required to be done in the sense that a large number of leftout hamlets have to be covered. During the financial year 1995-96 about 1,286.0 million units of electricity were generated against 1,131.7 million units during 1994-95 while during 1996-97, 1,103.8 million units of electricity was generated upto November,1996. The power sector in the State continued to get top priority.

1.7 At the end of March,1996, the total employment in the State was 2.90 lakh. The number of unemployed persons, on the live-register of all the employment exchanges, stood at 6.45 lakh at the end of December,1996. Several programmes have been taken up by the government to generate more employment opportunities. The number of mandays generated under the Jawahar Rojgar Yojna Programme upto December,1996 was 7.05 lakh mandays. 369 youths were trained and 225 youths settled under TRYSEM scheme upto December,1996.

1.8 The loans advanced by the Agricultural Societies in 1995-96 stood at Rs.3,654.11 lakh to 9.08 lakh members as against the advance of Rs.3,179.94 lakh to 8.92 lakh members in 1994-95.

1.9 To promote tourism, besides opening several prohibited places to tourists, the commercial tourism has been left to the private sector while non-commercial tourism like creation of infrastructural facilities in less developed places will be the responsibility of the State Government. The main thrust of the policy is to involve the private entrepreneurs in the development of various types of tourism in the Pradesh. The policy also envisages certain concessions and incentives to the private entrepreneurs.

1.10 To accelerate the process of industrialisation in the State, the main focus was on the creation of quality infrastructure and to provide an attractive package of incentives and concessions to the entrepreneurs. The achievements in the sectors like handloom, handicrafts, sericulture, tea and other labour intensive areas was significant which helped to spread the benefits of industrialisation to the rural people of the state.

1.11 The development programmes of the state remained explicitly guided by the twin goals of accelerated growth and social equity. These goals have been pursued by the promotion of broad based employment generating schemes, enhanced plan outlays for poverty alleviation and social sectors such as health and education and building of social safety nets. The main socio-economic accomplishments during the year are (i) A Rs. 225 crore Massive Employment Generation Programme in the state to provide one lakh job opportunities to unemployed youth in Govt., private and organised sector during 1996-97 (ii) opening of second Govt. Medical College of state at Tanda in Kangra district (iii) Free education to girls at all levels of education including technical and professional courses (iv) Launching of Pulse Polio Immunisation Compaign for the Children in the age group of 0-5 years (v) Universalisation of Primary Education by the end of 1997-98 by opening 2,100 primary schools to provide access to all eligible children within one kilometre. 1,400 of these schools will be operationalised by the end of 1996-97 (vi) Enhancement of Social Security Pension to old, widows and handicaped persons from Rs. 60 to Rs. 100 per month (vii) Enhancement of rehabilitation allowance of leprosy patients from Rs. 60 to Rs.120 per month (viii) Continuation of massive rural housing programme started in 1994 named as 'Gandhi Kuteer Yojana'. 19,000 units have been constructed upto December,1996 (ix) Provision of safe drinking water to all N. C. (Not covered) habitations by 1997-98 (x) Provision of a Veterinary dispensary for every two

Panchayats by March, 1998 (xi) Loan facility for developmental projects at subsidised interest rate of 4 percent & 50 percent subsidy on developmental schemes to all I.R.D. families (xii) The minimum daily wages of all the unskilled workers in all 24 Scheduled Employments were raised to Rs. 45.75 or Rs. 1,375 per month.

2.POPULATION

2.1 The population of Himachal Pradesh which was 42.81 lakh according to 1981 population Census increased to 51.71 lakh according to 1991 population Census witnessing a decadal growth rate of 20.79 percent. At all India level the decennial growth rate during 1981-91 was 23.85 percent. The density of population per sq. km. was 93 for the State and 274 for all India. The data on some important features of the population of Himachal Pradesh and India are given in the table below:-

Population Statistics(1991 Population Census)

Item		Himachal Pradesh	India
1. Population(in lakh):			
(a) Male	:	26.18	4,392.31
(b)Female	:	25.53	4,070.72
Total	:	51.71	8,463.03
2. Decadal growth rate(1981-91) (Percent)	:	20.79	23.85
3. Density(persons per sq. km.)	:	93	274
4. Sex ratio(no. of females per thousand males)	:	976	927
5. Literacy(Percent)	:	63.86	52.21
6. Urban population(percentage to total)	:	8.69	25.73
7. Scheduled Caste population (percentage to total)	:	25.34	16.48
8. Scheduled Tribe population (percentage to total)	:	4.22	8.08

Household Size

2.2 The number of households in the State was 9.69 lakh according to 1991 population census and the average household size was 5.

Sex Ratio

2.3 The sex ratio i.e. the number of females per thousand males has been continuously increasing in the state since the beginning of this century from 884 in 1901 to 976 in 1991. At the all-India level the sex ratio in 1901 was 972 which declined to 934 in 1981 and 927 in 1991.

Urban Trends

2.4 The urban population of the country has been increasing since independence. It constituted 19.91 per cent

of population in 1971, 23.34 per cent in 1981 and 25.73 as per census of 1991. In case of Himachal Pradesh the increase in urban population is comparatively on the lower side. It was 6.99 per cent in 1971, 7.61 per cent in 1981 and 8.69 per cent as per 1991 census. So there is marginal increase of 1.08 per cent in the urban population of the State during the decade 1981-91. In Shimla district, the urban population is 20.08 per cent, other districts with relatively high percentage are Kangra (13.21 per cent) and Mandi (12.41 per cent) and Solan (10.53 percent).

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Population

2.5 The total Scheduled Castes population according to 1991 census was 13,10,296 persons as compared to 10,53,958 persons in 1981 which is 25.34 percent of the total population. The total population of Scheduled Tribes was 2,18,349 persons as compared to 1,97,263 persons in 1981 which is 4.22 percent of the total population. Of the total Scheduled Castes population 93.7 per cent was rural. Similarly 97.5 per cent of the Scheduled Tribes population lived in rural areas. The decadal growth rate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population in 1981-91 was 24.32 per cent and 10.69 per cent, respectively as compared to 20.79 per cent in the overall population of the State.

Working Population

2.6 As per census 1991, the main and marginal workers constitute 34.41 percent and 8.42 percent respectively of the total population. The remaining 57.17 per cent of the population is reported as non-workers.Of the main workers 63.25 percent were engaged as cultivators, 3.30 percent as agricultural labourers, 1.43 per cent as workers in household industry and the remaining 32.02 percent in all other occupations, including employees.

Population by Religion

2.7 There are four major religions in the State as per census 1991. Of these, the most prominent is Hindu which accounts for 49,58,560 persons(95.9 per cent of population of the Pradesh) followed by Muslims 89,134(1.7 percent), Buddhists 64,081(1.2 per cent) and Sikhs 52,050(1.0 per cent). The Christians were only 0.1 per cent, Jains 0.02 per cent and others 0.03 per cent of the total population.

3. STATE INCOME

State Domestic Product

3.1 State Domestic Product(S.D.P.) is the most important indicator for measuring the economic growth. According to quick estimates, the total state domestic product at 1980-81 prices increased to Rs. 1,593.60 crore in 1995-96 from Rs.1,495.30 crore in 1994-95, thereby registering a growth of 6.6 percent. The growth rate of gross domestic product at national level during this period is 7.1 percent. The total State Domestic Product of the Pradesh at current prices is estimated at Rs. 5,518.52 crore in 1995-96 as against Rs.4,876.16 crore in 1994-95, thereby registering an increase of 13.2 percent. The production of foodgrains increased to 15.17 lakh tonnes in 1995-96 from 14.06 lakh tonnes in 1994-95. The apple production increased significantly from 1.23 lakh tonnes in 1994-95 to 2.77 lakh tonnes in 1995-96, The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuation in the agricultural or horticultural production causes significant change in economic growth also. During 1995-96 about 28 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

3.2 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-a-vis at all-India level during the last three years:-

Annual Economic Growth Rate (Percent)

Year	Himachal Pradesh	All India
1993-94	4.3	5.0
1994-95(P)	5.3	7.2
1995-96(Q)	6.6	7.1

P=Provisional, Q=Quick

Per Capita Income

3.3 According to quick estimates, the per capita income of Himachal Pradesh in 1995-96 stood at Rs.8,747. This shows an increase of 11.5 percent over 1994-95 (Rs. 7,846) in the state.

Sectoral Growth

3.4 The sectoral analysis reveals that during 1995-96, the percentage contribution of Primary sector to total S.D.P. of the State is 36.45 per cent, followed by Secondary Sector 25.22 percent, Community and Personal services 18.79 percent, Transport, Communications and Trade 9.97 percent and Finance and Real Estate 9.57 percent.

3.5 The growth, as observed in these broad sectors during the year,is discussed below:-

Primary Sector

3.6 Primary sector, which includes Agriculture, Forestry, Fishing, Mining & Quarrying, during 1995-96 witnessed a growth rate of 6.5 percent.

Secondary Sector

3.7 The secondary sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity,Gas & Water supply registered 6.6 percent growth during 1995-96.

Transport, Storage, Communications and Trade.

3.8 This group of sectors shows a growth of 6.4 percent during 1995-96.

Finance and Real Estate

3.9 This sector comprises Banking and Insurance, Real estate, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 3.7 percent in 1995-96.

Community and Personal Services

3.10 The growth rate of this sector during 1995-96 was 8.7 percent.

4. AGRICULTURE

4.1 Agriculture is the main occupation of the people of Himachal Pradesh and has an important place in the economy of the State. It provides direct employment to about 71 percent of total main workers of the State. About one third of the total State Domestic Product in the state comes from Agriculture and its allied sectors. Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectares, the area of operational holdings is about 10.10 lakh hectares and operated by 8.34 lakh farmers. The average holding size comes to 1.2 hectare. The distribution of land holdings according to the 1990-91 agricultural census is as tabulated below :-

Size of holdings (hectares)	Category of farmers	No. of holdings (lacs)	Area (lac hectares)	Average size of holdings (hectares)
Below 1.0	Marginal	5.32 (63.8%)	2.15 (21.3%)	0.4
1.0-2.0	Small	1.66 (19.9%)	2.35 (23.3%)	1.4
2.0-4.0	Semi-medium	0.94 (11.3%)	2.58 (25.5%)	2.7
4.0-10.0	Medium	0.36 (4.3%)	2.05 (20.3%)	5.7
10.0 & above	Large	0.06 (0.7%)	0.97 (9.6%)	16.1
		8.34 (100.0%)	10.10 (100.0%)	1.2

4.2 The agro-climatic conditions in the State are congenial for the production of cash crops like potato, ginger and offseason vegetables. Prior to Seventh Plan, main emphasis was laid on increasing the production of cereals and production of cash crops through adoption of improved package of practices like use of high yielding varieties of seeds, fertilizers, plant protection measures and distribution of improved agricultural implements, soil and water conservation measures on agriculture land besides effective dissemination of technical know-how to farmers.

4.3 During the seventh plan and annual plans 1991-92 and 1992-93 and 8th Five Year Plan, emphasis has been laid on the production of vegetables, potato, pulses and oilseeds besides increasing the production of cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, demonstrations and effective dissemination of improved farm technology. Review of achievements during 1996-97 is as given below:-

Foodgrains Production

4.4 During 1995-96, the foodgrains production was 15.17 lakh tonnes (Provisional), whereas during 1996-97 a target of producing 15.47 lakh tonnes has been fixed. During 1997-98, it is proposed to produce 15.85 lakh tonnes of foodgrains. The foodgrains production for the last five years is given in the following table:-

(lakh tonnes)

Year	Production
1992-93	13.13
1993-94	12.19
1994-95	14.06
1995-96(P)	15.17
1996-97(Target)	15.47

The details of the steps taken to achieve this production level are given below:-

(i)Special Foodgrains Production Programme

4.5 With a view to increase the production of maize and paddy, special production programmes with 75 % financial assistance from the Govt. of India have been started in the State. Under these programmes, seeds, plant protection material and implements etc. are distributed to the farmers on subsidy basis.

(ii)High Yielding Varieties

4.6 In order to increase the foodgrains production, emphasis was laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz; maize, paddy and wheat during the last two years is given in the table below:-

Crop	Unit	Area under H.Y. variety		Proposed for
		1994-95	1995-96	1996-97
Maize ..	'000 hectares	130.00	157.67	165.00
Paddy ..	"	81.50	81.01	82.00
Wheat ..	"	362.83	373.10	365.00

The scheduled castes, scheduled tribes and selected IRDP farmers were provided seeds of high yielding varieties at 50 per cent cost.

(iii)Fertilizers

4.7 Fertilizer is a single input which helps in increasing the production to a great extent. With sustained and dedicated efforts the level of fertilizer consumption has increased from 23,664 tonnes in 1985-86 to 30,605 tonnes in 1992-93 and is expected to touch the level of 35,000 tonnes by the end of 8th Plan. During 1996-97 the State Government has changed the fertilizer policy by giving 100 percent transportation subsidy on all kinds of fertilizers from ex-godown to retail sale points. The State Govt. has also allowed subsidy on cost of CAN, UREA and Ammonium Sulphate @ Rs. 405 per M.T. and on S.S.P. @ Rs. 245 per M.T. upto 3 bags per farmer per season. The quantity of chemical fertilizers consumed during the last two years in the state and the target for 1997-98 is given below :-

Item	Consumption of fertilizers in terms of nutrients in '000 M.T.		
	1995-96	1996-97 (Likely)	Target for 1997-98
Nitrogenous	24.9	25.3	26.5
Phosphatic	2.6	5.4	5.6
Potassic	2.2	4.3	4.4
Total	29.7	35.0	36.5

(iv)Plant Protection

4.8 In order to increase the productivity of crops, it is of paramount importance that the crops are saved from crop diseases, pests and insects. An area of about 4.40 lakh hectares was covered under various plant protection measures during 1995-96. For 1996-97 also a target to cover an area of 4.40 lakh hectares under plant protection measures has been fixed. The scheduled castes/scheduled tribes and certain selected IRDP families are being provided plant protection chemicals and equipments at 50 percent cost.

(v)Soil Testing

4.9 In order to maintain the fertility of the soil, testing of soil is necessary. Soil testing laboratories have been established in all the districts. During 1995-96, about 58,588 soil samples were collected for analysis in various soil testing laboratories. During 1996-97, 70,000 soil samples are proposed to be analysed.

Agriculture Marketing

4.10 With a view to ensure remunerative prices to the growers for agriculture produce the H.P. Agricultural Produce Act, 1969 remained in operation in the State. Construction of regulated markets in various parts of the State remained in progress. So far 29 regulated markets viz-a-viz main markets, 29 sub market yards and 2 terminal markets have been established in the State.

Incentives to Notified Backward Area Farmers

4.11 The Govt. in June, 1996 has given approval for the grant of subsidy @ 50% of actual cost on all agricultural inputs except fertilizers to all the farmers of Notified Backward Areas in the State.

Central Sector Scheme, Women in Agriculture

4.12 A Pilot basis scheme" Women in Agriculture" has been introduced in three blocks viz. Mashobra, Theog and Rampur of Shimla district. Under this scheme, the farm women are being organised in to groups so that agriculture technology and extension support could be smoothly channelised through them.

Employment Generation to Un-employed Youths in Agriculture Sector

4.13 Under the employment scheme "Agriculture Custom Hiring-cum-Service Centre" it has been envisaged to provide employment to 900 unemployed Youths and to achieve this target, in the first year 1996-97 it is proposed to establish 300 custom Hiring-cum-Service Centres in the potential areas/focal points of the State so as to ensure sustainable employment to entrepreneurs.

Seed Certification

4.14 With a view to maintain the quality of the seed and a so to ensure higher prices of seed to the growers, seed certification programme has been given great emphasis. The Himachal Pradesh State Seed Certification Agency registered growers in different parts of the state for seed production and certification of their produce.

Soil Conservation

4.15 Soil conservation measures on agricultural lands are taken up by construction of check dams, brush dam, crate work and construction of tanks etc. In addition to these,

for individual tank schemes an amount of Rs. 5,000 per unit per farmer is being provided from the year 1996-97, the Centrally Sponsored Schemes of River Valley Project and Integrated Water Management in Flood Prone Rivers are also being implemented in the State.

National Watershed Development Project for Rain-fed Areas

4.16 This programme was sanctioned by the Govt. of India in the blocks having less than 30 percent of their cultivated areas served by assured means of irrigation. Out of total 72 blocks of the State only 58 blocks fulfil this criteria. Keeping in view the guidelines of the Govt. of India, 58 watersheds have been identified (one for each block). The total estimated cost of this project is Rs. 15.41 crores and about Rs. 8.0 crores have been spent on the various components of the project by the department of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Forestry.

Bio-Gas Development Programme

4.17 Keeping in view depleting measures of conventional fuel i.e. firewood, biogas plants have assumed great importance in the State. Till December,1996 total 36,672 bio-gas plants have been installed since the inception of this programme. In all 1,200 bio-gas plants are likely to be installed during 1996-97 against an achievement of 1,231 bio-gas plants in 1995-96.

HORTICULTURE

4.18 The varied agro-climatic conditions in Himachal Pradesh are suitable for growing a wide range of fruit crops. Due to higher productivity and income per unit area from fruit crops, horticulture in the State is playing a vital role in improving the socio-economic conditions of the rural population. Apple, so far, is the dominant fruit crop in the State. Other fruit crops like mango, citrus, stone fruits and floriculture, bee-keeping, hops and mushroom growing are also steadily coming up in the potential areas. Due to the concerted efforts made by the State Govt. and the people of the State, Himachal Pradesh has earned an eminent place in the horticultural map of the country today. A brief description of the salient achievements made during 1996-97 is as under:-

Area under Fruits

4.19 During 1996-97 it was envisaged to bring 8,000 hectares of additional area under fruit plants. Upto

December,1996, about 2,700 hectares of area has already been achieved by distributing about 6.05 lakh fruit plants of different species and the remaining target will be achieved by the end of the financial year.

Fruit Production

4.20 During 1996-97, against the production potential of 6.42 lakh tonnes of all kinds of fruits, 3.38 lakh tonnes of fruits have been produced upto the end of December,1996. The total fruit production by the end of 1996-97 is expected to be about only 3.46 lakh tonnes. The short fall in fruit production target is due to unfavourable weather conditions during flowering, fruit setting and fruit-development stages during this year.

Improvement of Wild Fruit Trees into Superior Varieties

4.21 Wild fruit trees available in abundance in many parts of the State are being top-worked, with the improved varieties of fruits, to make them more profitable.Under this programme, 0.66 lakh wild fruit trees were top-worked upto December,1996 against the target of 0.50 lakh fixed for the year 1996-97.

Plant Protection

4.22 Under this programme,an area of 0.91 lakh hectares was covered under the plant protection measures against the target of 1.75 lakh hectares of orchard area to be covered during 1996-97. The target is likely to be achieved in full because the plant protection operations are carried out during the winter and spring months. Besides, about 0.45 lakh hectares of apple orchards have already been covered under scab control measures against the target of spraying 0.60 lakh hectares during 1996-97. In addition to plant protection operations, 93.61 M.T. of fungicides/pesticides valuing at Rs. 152.16 lakh were supplied to the fruit growers upto December,1996 for combating the pests and other diseases in the fruit crops.

Diversification in horticulture

4.23 To bring about diversification in the horticulture industry, special efforts are being made to promote other horticultural crops of economic importance like olives, figs, hops, kiwifruits, strawberry and flowers. A total area of 16 hectares has been brought under flower cultivation by the end of December,1996 and so far 21 Flower Growers Co-operative Societies have been registered in the Pradesh. During the current year upto December,1996

56 M.T. of hops (dried) were produced. Hops drying and processing unit of 24 M.T. per day capacity has been set up in the tribal areas.

Promoting Ancillary Horticulture Activities

4.24 Besides bringing diversification in fruit crops, efforts are also being made to diversify the horticulture industry by promoting ancillary horticultural activities like mushroom production, bee-keeping and flower production etc. About 250.18 M.T. of pasteurised compost for mushroom production has been produced at two departmental mushroom development projects located at Chambaghat and Palampur and distributed to the mushroom growers upto December,1996. Production of 457 M.T. of mushroom has been recorded upto December,1996. Under the bee-keeping development programme, 480 bee-colonies have been distributed amongst the bee-keepers and 284 M.T. of honey production has been recorded upto December,1996 against the target of 300 M.T. for the current year.

Marketing and Processing of Fruits

4.25 During 1996-97 about 2.94 lakh tonnes of fruits has been exported from the State upto December,1996. Elaborate arrangements were made for making available the packing material to the fruit growers for packing their fruit produce. The public sector integrated carton manufacturing factory at Pragati Nagar (Kotkhai) manufactured about 31.25 lakh telescopic cartons upto December,1996, which have been distributed among the orchardists. With a view to reduce the dependence on local forest resources for the manufacture of packing cases, the state Govt. has introduced an alternative packing system in the State. Following incentives in the

form of subsidy were given to the fruit growers on c.f.b. cartons, plastic crates, euclyptus wood boxes etc.:-

Sr. No.	Name of Distt.	Type of wood		Rate of Transportation subsidy (Rs.)	Maximum limit of transport subsidy per truck (Rs.)
1.	Solan,Sirmaur,Una, Bilaspur,Hamirpur, and Kangra	(a)Phatties	(i)	0.25 per half box	500
			(ii)	0.50 per standard box	500
		(b)Wooden logs or Geltus	(iii)	5.00 per qtl.	500
2.	Shimla, Mandi, Kullu, Chamba, Kinnaur and Lahaul & Spiti	(a)Phatties	(i)	0.50 per half box	1,000
			(ii)	1.00 per standard box	
		(b)Wooden logs or Geltus	(iii)	10.00 per qtl.	1,000
3.	Carton subsidy All the Districts	1.Telescopic Carton		12.00 per carton	15,000 per Orchar-dist
		2.Kullu Carton		5.00 per carton	
		3.Plum Carton		2.50 per carton	
		4.Almond Carton		2.00 per carton.	

4.26 In the nine departmental fruit canning units, 247.5 M.T. of fruit products were manufactured upto December, 1996 against the target of 300 M.T. for the year 1996-97 and 66.5 M.T. of fruit products were manufactured under the community canning services scheme. In addition, 3,883 persons were imparted training in home scale preservation of fruits and vegetables.

4.27 In addition to the above, H.P.M.C. plans to set up several pre-cooling units in the fruit growing areas and have refrigerated vans for transportation to all the metropolitan cities where it has already the facilities of cold storages. With this the fresh fruits and vegetables will be supplied to the terminal markets and growers will have the option to put their produce in the cold storages incase they get low prices in the markets. The

corporation is planning to set up export oriented unit for export of fruits and vegetables from the State. In near future H.P.M.C. is in the process of setting up a Tetra Pack filling station at Parwanoo to introduce the Tetra Packs of new juices in the market. Thus the corporation will be able to market all blends of its juices in Tetra Pack in the beginning of 1997.

Improving Productivity Through New Technologies

4.28 Efforts have been made to introduce modern technology in orchard management for improving productivity of horticultural crops like drip irrigation system for economic utilization of available irrigation water in the orchards and green house technology for increased and quality production of fruits, vegetables and flower plants under protected cultivation system. Subsidy ranging from 10 to 50 per cent is given to the farmers for the adoption of these new technologies. Besides these, plastic crates on 50 percent subsidy have been provided to the orchardists for packing and carriage of fruits in their orchards under the National Horticultural Boards assistance scheme.

IRRIGATION

Major and Medium Irrigation Schemes

4.29 During 1995-96, an amount of Rs. 343.43 lakh was spent for major and medium irrigation schemes. During 1996-97, an amount of Rs.322.00 lakh has been provided to bring an area of 1,055 hectares under irrigation. At the end of November,1996, an amount of Rs.173.15 lakh has been spent to provide irrigation facilities over an area of 545 hectares and the remaining target will be achieved by the end of the year.

Minor Irrigation Schemes

4.30 During 1995-96, an amount of Rs. 2,675.92 lakh was spent under state sector minor irrigation schemes for providing irrigation facilities to an area of 1,608 hectares. During 1996-97, there is a provision of Rs.3,109.00 lakh in the State sector to provide irrigation facilities to an area of 1,600 hectares. Upto December,1996, 974 hectares have been covered and an expenditure of Rs. 2,063 lakh has been incurred upto November,1996, where as, the balance will be achieved by March, 1997.

Command Area Development

4.31 In order to reduce the gap between the irrigation potential created and utilisation in the irrigation sector, and with a view to supply adequate water to the farmers for raising crops so as to increase their agricultural

production and cropping intensity, constant efforts are being made to ensure regular supply of water. Command area development works on medium irrigation projects of Balh Valley and Bhabour Sahib Phase-I Project have already been completed. During 1996-97, a provision of Rs. 219.00 lakh including Central assistance of Rs. 109 lakhs has been made to construct field channels in 400 hectares and warabandi system in 250 hectares in Bhabour Sahib Phase-II project. Upto December,1996, field channels in 400 hectares and warabandi in 250 hectares have been provided and the target will be fully achieved by the end of the current financial year.

Flood Control

4.32 During 1995-96, an area of 500 hectares was protected against floods by incurring an expenditure of Rs. 203.17 lakhs. During 1996-97, a sum of Rs. 370.00 lakh has been provided to cover an equal area of 500 hectares against flood protection. Upto November,1996, Rs.212.81 lakh has been spent for protecting 351 hectares against floods.

AGRICULTURE CENSUS

4.33 According to the final results of agricultural census held in Himachal Pradesh during 1990-91 , there were 8.34 lakh holdings in the Pradesh which showed an increase of 11 per cent over 1985-86. Total area of the operational holdings during 1990-91 was 10.10 lakh hectares, thus giving the average size of holdings as 1.21 hectares. The number of marginal holdings i.e. holdings of size below 1.0 hectare has increased to 5.32 lakh in 1990-91 from 4.63 lakh in 1985-86 whereas the number of small holdings, i.e. holdings of size between 1.0-2.0 hectare has increased to 1.66 lakh in 1990-91 from 1.55 lakh in 1985-86. The holdings of size upto 0.5 hectare increased to 3.37 lakh in 1990-91 from 2.96 lakh in 1985-86 and those of size 0.5 to 1.0 hectare increased to 1.82 lakh in 1990-91 from 1.67 lakh in 1985-86. As against the small holdings the number of holding with size 10.0 hectare and above has decreased to 5,522 in 1990-91 from 5,643 in 1985-86.In the case of marginal and small holdings of size 2.0 hectares or less, the percentage to total holdings increased from 82.2 per cent in 1985-86 to 83.8 per cent in 1990-91 and the percentage of area of these holdings increased from 43.2 per cent in 1985-86 to 44.6 percent in 1990-91. On the contrary, in the case of larger holdings of size 10.0 hectares and above, the percentage remained constant (0.7 percent) in 1985-86 and 1990-91 respectively. Further, according to 1990-91 agricultural census, out of 8.34 lakh operational holdings, as many as 1.87 lakh and 0.35 lakh operational holdings belonged to scheduled castes and scheduled tribes respectively which constituted 22.4 percent and 4.2 percent of the total holdings. As regards their share in area 1.38 lakh hectares

belonged to scheduled castes and 0.40 lakh hectares belonged to scheduled tribes which accounted for 13.7 percent and 4.0 per cent respectively of the total area of 10.10 lakh hectares. If S.Cs. and S.Ts. are taken together, then their share in total operational holdings and area accounted for 26.6 percent and 17.6 per cent respectively.

Land Reforms

4.34 The policy of reforming the agrarian system in the Pradesh continued during 1996-97. Under this policy (a) ownership rights are conferred on tenant cultivators, (b) inequalities in respect of land holdings are reduced, (c) fragmentation of holdings is prevented by consolidation, (d) revision and updating of land records is done through settlement operations,and (e) wastelands/village common land is allotted to landless and eligible persons under Nautor Rules,1968, utilisation of surplus Area Scheme, 1975.

Conferment of Proprietary Rights

4.35 Chapter ten of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 provides for acquisition of proprietary rights by non-occupancy tenants. There were 2,35,472 non-occupancy tenants in Kangra division, out of which 2,17,332 have been conferred proprietary rights so far. The remaining tenants fall under protected categories of land owners such as minors, widows, army personnel, disabled and infirm persons etc. Similarly, in Mandi division, there were 1,07,107 non-occupancy tenants out of which 95,621 have been conferred proprietary rights. Further in Shimla division, there were 31,477 non-occupancy tenants, out of which, 3,078 have not been conferred proprietary rights.

H.P.Village Common Lands (Vesting and Utilisation) Act 1974

4.36 Under section 3 of the act, all shamlat land has been vested in the Government and is being utilised for the purposes of allotment to landless and other eligible persons and for common purposes of the right holders. In Kangra division upto 31-12-1996 in all 3,859 landless/ houseless persons out of the persons identified during 1981-1983 have been allotted land for cultivation and construction purposes. The remaining identified persons could not be allotted land for want of suitable land for cultivation and construction purposes. Similarly in Mandi division no land has been allotted to landless and eligible persons. All the landless persons identified during 1981-1983 have been allotted land but in Kullu district land

could not be allotted to some persons due to forest land. Further, in Shimla division all shamlat lands have been vested and distributed among the landless and eligible persons.

Distribution of Kisan Pass Books

4.37 The work relating to the distributing of Kisan Pass books continued during 1996-97. In Kangra and Mandi divisions upto December,1996, 3.92 lakh and 0.11 lakh kissan pass books have so far been distributed to the farmers.

CONSOLIDATION OF HOLDINGS

4.38 According to an old survey report, the total feasible area for consolidation of holdings in the State was 49 lakh acres. Upto March,1996, 21.93 lakh acres stood consolidated. The consolidation work remained in progress in Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, Solan and Mandi districts.During 1996-97, work of consolidation of holdings in an area of 9,650 acres has been completed upto December,1996.

ANIMAL HUSBANDRY

4.39 To boost the rural Economy, Animal Husbandry has very important role to play. The development programme of Animal Husbandry in the Pradesh include (i)animal health and disease control,(ii)cattle development, (iii)sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v)feed and fodder development, (vi) veterinary education. The achievements made/likely to be made in these spheres during 1996-97 are given in the following paragraphs:-

Animal Health and Disease Control Centres

4.40 At present 302 veterinary hospitals, 25 central veterinary dispensaries, 731 dispensaries are functioning in the State to provide the veterinary aid and prophylactic vaccination against various contagious diseases. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating which provide immediate veterinary aid besides control of out-break of epidemics. As many as 4 clinical laboratories are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One surveillance unit is also functioning at the State headquarters for detection and control of diseases of the animals. Rinderpest is a highly contagious animal disease for which 4 check posts at Pandoga and Mandli in Una district, Swarghat in Bilaspur district and Milwan in Kangra district continued functioning in the state during 1996-97. Through these check posts about 12,000 incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1996-97.

4.41 Achievements likely to be made during 1996-97 under veterinary aid programme in various institutions are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1996-97 ('000)
1.	Cases treated for contagious diseases (indoor and outdoor) ..	12
2.	Cases treated for non-contagious diseases (indoor and outdoor) ..	1,520
3.	Cases supplied with medicine but not brought to the hospitals/ dispensaries ..	47
4.	Vaccinations performed ..	19
5.	Castrations performed ..	108
6.	Cases treated on tour:	
	(i) Contagious ..	25
	(ii)Non-contagious ..	310
7.	Castrations performed on tour ..	80
8.	Vaccinations performed on tour ..	530

Cattle Development

4.42 In cows, jersey breed has been found as one of the best breed and jersey cow breeding is in vogue in the Pradesh. Jersey breed is being introduced by artificial insemination. Natural service is provided by keeping cow bulls of jersey breed where artificial insemination facilities could not be introduced due to non-availability of communication. In buffaloes, Murrah breed has been introduced. The buffalo breeding is being done through artificial insemination in all the districts except Kinnaur, Kullu and Lahaul-Spiti. The effective implementation of the cattle development programme is being done through the following schemes:-

(i) Key Village Scheme:- Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 key village blocks with 55 key village centres. This scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur, Bilaspur and Una districts.

(ii) Hill Cattle Development Programme:- The programme is in operation in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts. Under this programme, the artificial insemination facility is being provided through 31 centres.

(iii) Intensive Cattle Development Project:- For the cattle development, Intensive Cattle Development Project at Ghanahatti is catering the needs of the artificial insemination works. The scheme is in operation in Shimla and Suni tehsils of Shimla district and Arki tehsil of Solan district through 20 centres/sub-centres with semen bank at Ghanahatti.

(iv) Breeding Facilities through Hospitals/Dispensaries/ Bull Centres:- With a view to boost up milk production, the work of cross-breeding and artificial insemination facilities are being provided through 894 hospitals and dispensaries in the State. Besides, natural services are being provided where artificial insemination facility is not available.

(v) Artificial Insemination Centres:- In areas where hospital and dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 46 artificial insemination centres in the Pradesh.

4.43 The achievements likely to be made under this programme during 1996-97 are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1996-97	
		Cows	Buffaloes
1.	Artificial insemination	3,07,000	55,000
2.	Natural services	1,200	-
3.	Progeny born by artificial insemination	1,02,000	21,000
4.	Progeny born by natural services	850	-

4.44 For meeting the demand for pure and cross-bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are functioning at Kamand & Bhangrotu(Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur(Kangra) and Bagthan(Sirmaur). Three semen banks with deep frozen laboratory and 7 liquid nitrogen plants are supplying the frozen semen straws of pedigree bulls to various artificial insemination centres in the Pradesh. As a result of the implementation of these programmes, the milk production in the Pradesh is likely to be 700 thousand tonnes during the year 1996-97. During the year, 4.00 lakh cow bull straws and 65,000 buffalo bull straws will be produced, besides, producing 1,50,000 litres of liquid nitrogen. Besides this, 900 improved breed jersey calves are being provided subsidized feed under the special livestock breeding programme.

Sheep Breeding and Development of Wool

4.45 With a view to improve the quality of sheep and wool, Government sheep breeding farms at Jeori(Shimla), Sarol(Chamba), Nagwain(Mandi), Tal(Hamirpur), Karchham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms was 2,600. During 1996-97 about 700 rams are likely to be distributed to the farmers. In view of the increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Marino and American Rambouilets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government farms. Five sheep extension centres are in operation in Kothikohar(Kangra), Swar(Mandi), Bagipul (Kullu), Dodra-Kawar(Shimla) and Choori(Chamba). Under the special livestock production programme for sheep development, sheep at subsidized rates are supplied and loans for this purpose are also provided to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive sheep development project which is in operation in Bharmaur, Chamba and Bhattiyat tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep and training programme for progressive sheep breeders were also organised. During 1996-97. the production of wool is likely to be of the order of 16.00 lakh kgs. Angora Rabbit farms for distribution of rabbits to the breeders are functioning at Palampur (Kangra), Nagwain(Mandi) and Ribba (Kinnaur).

Poultry Development

4.46 For providing improved poultry birds and hatching eggs, 14 poultry farms/centres are functioning in the Pradesh. Likely achievements in this field during 1996-97 are given in the next page.

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1996-97
1.	Average number of layers maintained at Govt. farms	4,300
2.	Eggs production	8,50,000
3.	Chicks production	3,00,000
4.	Eggs used for hatching	3,20,000
5.	Sale of eggs for table	4,40,000
6.	Sale of eggs for hatching	1,000
7.	Sale of birds for breeding	1,92,000
8.	Sale of birds for table	30,000

4.47 Under special livestock (Poultry) production programme, 130 poultry units are proposed to be established during 1996-97 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts.

Feed and Fodder Development

4.48 High milk yielding breeds are conserved by feeding feed and fodder of quality having rich nutritional values. The fodder is grown in the agricultural lands and pastures are improved. The breeders are supplied fodder-roots of good quality, fodder seeds, fodder trees etc. on nominal prices.

Training

4.49 The department is imparting training courses to the breeders, stock assistants etc. This year about 560 breeders and 500 Vety. Pharmacists etc. are likely to be trained in Animal Husbandry practices.

FISHERIES

4.50 Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of networks of rivers, sprawling reservoirs, fast flowing cold water etc. harbouring wide array of temperate, sub-temperate and tropical fish species. Mainly classified into riverine, lacustrine, recreational and pond fisheries, the state water offers considerable potential for the development of

fisheries. About 12,000 fishermen families in the Pradesh depend directly or indirectly on this occupation and earn their livelihood by fishing. During 1996-97, maximum thrust was given in the expansion and renovation of carp and trout farms of the State so as to boost the seed production in the reservoirs. 19.15 million carp seed was produced in the State farms till December,1996. The work on construction of fish seed farms at Sultanpur, Holi, Barot, Nagni and Nalagarh remained in progress. The Indo Norwegian Trout Project Farm, Patlikuhl has been recommissioned with the reconstruction of water channel and import of eyed ova from Norway. The production from Gobindsagar and Pong reservoir of the state upto December,1996 alone was 1,074 tonnes.

4.51 Under the Special Component Plan scheme the department is giving more emphasis on community development oriented schemes. The physical achievements under the various activities have been given in the table below:-

Sr.No.	Item	Target for 1996-97	Achievements	
			Upto Dec., 1996	Expected upto March, 1997
1.	Fish production (tonnes)	6,700	4,205	6,700
2.	Seed production- Mirror carp, Major carp, Trout (million)	30.00	19.15	30.00
3.	Licensed fishermen(No.)	13,225	8,000	13,000

FOREST

4.52 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 35,518 square kilometres and form about 63.8 per cent of the total geographical area of the State. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry management is conservation alongwith rational utilization and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as below:-

Forest Plantation

4.53 Forest plantation is being carried out under Productive Forestry Schemes and Soil Conservation Schemes. Productive Forestry Scheme includes introductory plantation

of quick growing species, economic plantation, pasture improvement, fuel & fodder and minor forest produce. An area of 1,654 hectares was covered with a cost Rs. 713.10 lakh upto December,1996.

Integrated Waste Land Development Project in Ravi Catchment

4.54 This project covers areas falling in Bharmaur, Chamba, Churah and Dalhousie divisions of Chamba district. This project is of 5 years duration from 1992-93 to 1996-97 and the total cost of this project is Rs.441.00 lakh. During 1996-97, a sum of Rs.19.60 lakh was spent against the target of Rs. 56.51 lakh upto December,1996 covering an area of 440 hectares against the target of 546 hectares.

Wild Life and Nature Conservation

4.55 Himachal Pradesh is known for its diversity of animals and bird habitat and populaton. The scheme aims at improving the habitat and facilitiating provision of areas (sanctuaries) so as to afford protection to the various species. An amount of Rs. 157.07 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto December, 1996 against the target of Rs.350.47 lakh for the year 1996-97.

Forest Protection

4.56 Forests are exposed to dangers of fires, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade, fire fighting equipments and techniques are introduced and made available to all the forest divisions where fire is a major destructive element and communication network is also required for good management and protection. During the year under review Rs. 51.03 lakh have been spent upto December,1996 against the target of Rs. 126.62 lakh earmarked for forest protection.

EXTERNALLY AIDED PROJECTS:-

Indo-German Eco-Development Project (Changer Area Project)

4.57 An Indo-German Eco-Development project for Changer area of Palampur Sub-Division with the assistance of Federal Republic of Germany is being implemented. The total cost of this project is estimated to be Rs. 18.71 crore. The project has multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forests, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 1996-97 an amount of Rs. 200.00 lakh was provided for the implementation of the project out of which a sum of Rs. 150.00 lakh has been spent on forestry sector upto December,1996.

Himachal Pradesh Forestry Project(ODA) U.K.

4.58 This project has been in operation during the year. The period of project (Pilot Phase) is 3 years from 1994-95 to 1996-97, with a total cost of Rs. 15 crore. The project aims at introducing new process of planning and governance by involvement of the people under the Joint Forest Management mechanism. The project also supports subsidiary silvicultural operations in the existing forests. During the year 1996-97 a sum of Rs. 104.16 lakh has been spent for treating an area of 534 hectares in Kullu and Mandi Circles.

Forestry Research Education and Extension Project (FREEP)

4.59 Forestry Research Education and Extension Project(FREEP) of ICFRE with the assitance of World Bank has been in operation in the State from 1994-95. This project is for five years with a cost of Rs. 5.00 crore. The reimbursement of this project is 100 percent by World Bank. During 1996-97 a sum of Rs. 1.58 crore has been provided out of which a sum of Rs. 46.71 lakh has been spent upto December,1996.

Water Shed Development Project for Himalayan Hills (Kandi Project)

4.60 An Integrated Water Shed Development Project Hills (Kandi areas) has been launched in the State during 1990-91 upto 1996-97 with the assistance from the World Bank. This project aims at ecological rehabilitation of the catchment areas of five rivers, viz. Markanda in Sirmaur district,Ghaggar and Sirsa in Solan district, Swan in Una district and Chakki in Kangra district to improve socio-economic conditions of farmers living in these areas. Kandi area falls in the catchment of the above five rivers where soils are highly eroded and are subjected to drought conditions throughout the year. The project has a multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 1996-97 a sum of Rs. 1,030.00 lakh was provided for afforestation, soil conservation treatment, horticultural activities, agricultural activities, stream bank protection and other civil works. An amount of Rs. 706.71 lakh have been spent upto December,1996.

5. INDUSTRIES

5.1 Himachal Pradesh has made significant achievements in the field of industrialisation. The process of industrialisation in State started during the eighties and gained momentum during the decade. At present, there are 161 medium and large scale industries and about 25,000 small scale industries with a total investment of Rs. 2,000 crore in the State. The annual turn over of the industrial sector is approximately Rs. 3,000 crores and these industries provide employment to about 1.25 lakh persons.

Industrial Project Approval and Review Authority(IPARA)

5.2 The main function of this authority is to help the entrepreneurs in implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of IPARA, is obligatory in case of medium and large scale industries. During the current year, 17 projects were approved by the IPARA having an investment of Rs.18,515.98 lakh. It is estimated that in these projects about 2,362 persons will be provided employment.

District Industries Centres

5.3 District Industries Centres(DICs) have been functioning in all the districts of the Pradesh . The objective of DIC programme is to provide all facilities/services and support required by village and small entrepreneurs under single roof. During the year 1996-97, 584 small scale industrial units were registered on permanent basis and employment opportunities were provided to 2,554 persons.

Industrial Areas

5.4 In order to provide infra[illegible]ural facilities to the entrepreneurs,(i) industrial [illegible]as at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Meha[illegible]ur, Shamshi, Nagrota Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo, Sansarpur Terrace, electronics complex at Chambaghat(Solan), Mandi, Bambla, Hamirpur, Shoghi, Chamba, Amb, Tahliwala and Kala Amb (ii) Industrial estates at Solan, Dharampur,Kangra, Jawali and Dehra-Gopipur were established. In addition, more industrial areas/estates are being developed in the Pradesh.

Prime Minister's Rojgar Yojana

5.5 Prime Minister Rojgar Yojana for providing assistance to educated unemployed youths for self employment has been launched all over the State. During the current year a target of providing assistance to 2,100 educated unemployed youths has been kept. Upto November,1996, during the year, 4,276 applications were received and 1,166 cases were sanctioned loan amouting to

Rs. 668.18 lakhs and 978 cases were actually disbursed loan amounting to Rs. 538.10 lakh. The remaining cases are under process.

Entrepreneurs Development and Industrial Awareness Programmes

5.6 The Department of Industries is organising various types of programmes for the perspective enterpreneurs under entrepreneurial development. In addition, short-term quick exposure courses of a week's duration have been designed to provide package information to the desirous entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up industrial units. During the current year, 15 Entrepreneurial Development Programmes were organised in which 396 youths were trained and 32 industrial Awareness Programmes were also organised in the State in which 744 persons were trained.

Sericulture Industry

5.7 Sericulture is one of the important cottage industries of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers for supplementing their income by rearing silk-worms and selling cocoons produced by them. During 1997, 1.61 lakh kg. cocoons valuing Rs. 145.00 lakh was produced.

Tea Industry

5.8 Tea is grown in Kangra and Mandi districts of the Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 metres above sea level. There are 1,685 tea planters cultivating an area of 2,063 hectares in the Pradesh. During the year 1996-97 about 12.39 lakh Kg. tea was produced upto December,1996.

Handloom and Handicrafts

5.9 Handloom and handicrafts is an important cottage industry of the State. There are about 0.50 lakh handlooms in the State which are primarily based on wool. There were several schemes such as market development assistance, thrift fund scheme, margin money assistance to destitute handloom weavers, health package scheme and project package scheme etc., under which weavers were provided assistance to promote handloom production.

6. ELECTRICITY

6.1 Himachal Pradesh State Electricity Board is engaged in the investigation and execution of various hydro-electric projects and transmission and distribution of electricity.It is a matter of satisfaction that despite very difficult and mountainous terrain all the inhabited villages in the State have already been electrified.

6.2 Himachal Pradesh has a vast hydel potential and through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that about 20,000 MW of hydel power can be generated in the State by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on the five river basins. In addition, a large number of unidentified areas have still been left in the river basins which can contribute substantially to the power potential of Himachal Pradesh by way of mini/micro, medium and even large projects. Also in view of the rising cost of thermal and nuclear generation, many identified projects which have been excluded from the above mentioned hydel potential on account of non-suitability due to high cost of generation, will also become viable in future. On these two considerations, a conservative estimate of the total potential in Himachal Pradesh could well be put up at 25,000 MW or even more. Out of the total hydel potential only 3,934.74 MW has been harnessed so far, out of which only 299.37 MW is under the control of Himachal Pradesh as bulk of the potential has been exploited by the Central Govt. and other agencies. The huge hydel potential of the State can play a major role in power development programmes in the northern region and will provide an economic base for the overall development of Himachal Pradesh.

6.3 Hydel power generation in the Pradesh has been accorded top priority from the Sixth Plan onwards because it will not only meet the increasing power demand within the State but also to bridge the gap in the demand and supply in the northern region as a whole. In view of this a phased programme has been chalked out to take up various major, medium, small and mini/micro projects in the State during the ninth five year plan besides completing the ongoing projects as early as possible.

6.4 To match the increasing activities on construction of hydel projects,there is an immediate need to lay emphasis on adequate transmission and distribution net work in order to transmit power from these projects and its distribution for utilisation within the State.

6.5 In the field of rural electrification, the State has made remarkable achievements. Inspite of the fact that Himachal Pradesh was a late starter in the field of rural electrification and also because of very difficult and mountainous terrain, it is a matter of satisfaction that

all the inhabited villages of the State were electrified by the end of June,1988. Intensive electrification schemes are also in operation for electrification of left out houses and further improvement in the availability and reliability of electric supply in the State.

A.GENERATION

ON GOING PROJECTS

Baner Hydel Project(12 MW)

6.6 This project was sanctioned during the year 1981 for an installed capacity of 6 MW which has subsequently been raised to 12 MW. The latest estimated cost of the project is Rs. 40.54 crore (at October,1991 price level). The project has been commissioned in May,1996.

Gaj Hydel Project(10.5 MW)

6.7 The project was sanctioned during the year 1982. The latest revised estimated cost of the project is Rs. 40.00 crore (at October,1991 price level). The project has been commissioned in June,1996.

Bhaba Augmentation Scheme

6.8 Bhaba Augmentation Scheme with an estimated cost of Rs. 9.46 crore was approved by the Planning Commission in June,1987. However, the latest revised estimated cost is Rs. 16.33 crore (at 1990 price level). The scheme will afford an additional generation of 54 MU annually from the Bhaba Power House. The scheme is scheduled for commissioning during 1997-98.

Ghanvi Hydro Electric Project (22.5 MW)

6.9 Ghanvi project is located on Ghanvi Khad confluence of river Satluj near Jeori in Shimla Distt. The project was approved by CEA, during July,1987 with a generating capacity of 22.5 MW (2x11.25 MW Units). The revised estimated cost of the project based on March,1995 price index is Rs. 9,464 lakhs. Rs.6,150 lakh have been tied up from Power Finance Corporation Ltd. New Delhi as a loan and the balance expenditure shall be met out of the State Plan. The scheme is likely to be completed during 1998-99 and will generate 124.21 Mu of electricity.

Mini Micro Hydro Electric Projects

6.10 The work on 4 mini/micro hydro electric projects viz., Holi (3 MW), Saj-II(2 MW) and Bhaba Augmentation Power House (3 MW) and Gumma SHP(3MW) with an estimated cost of Rs. 43.00 crore is being executed on turn key basis for which an amount of Rs. 16.40 crore has been sanctioned

by MNES Govt. of India as grant. The balance expenditure shall be met from State Plan. Sal-II scheme is proposed to be completed during 1997-98 and the remaining schemes during 1998-99.

PROJECTS TO BE EXECUTED BY NJPC(jointly by State and Centre)

Nathpa Jhakri Hydro Electric Project(1,500 MW)

6.11 Nathpa Jhakri Hydro Electric Project with an installed capacity of 1,500 MW is to be executed jointly by the State and the Central governments through the Nathpa Jhakri Power Corporation. World Bank loan amounting to 437 million dollars has been sanctioned for the generation component of this project. This loan will directly come to the Nathpa Jhakri Power Corporation and the sources for the equity portion shall be funded by the Central and State Governments. The revised estimated cost of this project will be over Rs. 6,000 crore.

Larji (126 MW) and Kol Dam (800 MW)

6.12 Himachal Pradesh Govt. has decided to execute Larji Hydro Electric Project (126 MW) and Kol Dam Hydro Electric Project (800 MW) as joint venture of Govt. and Private Power Promoters. Accordingly Global invitation of proposals were invited separately for both these projects. Technical bids for the same have been received and are under evaluation. Government would have 25% equity participation of these projects and 75% shall be left to the private parties. It is expected that selection of private parties for these projects would be completed by July-August, 1997 and signing of an agreement of these projects can be taken up for execution during the financial year 1997-98.

6.13 The electricity generated during 1995-96 was 1,286.0 million units while during current year upto November, 1996 it was 1,103.8 million units. As many as 207 pumpsets have been energised upto November, 1996.

PRIVATE SECTOR PARTICIPATION

6.14 Due to limited resources available with the Centre and State governments, the Govt. of India has approved the participation of the private sector in the generation, supply and distribution of electricity in the country in order to overcome the anticipated power shortage. As a result, the Himachal Pradesh Govt. has given eight hydro electric projects in private sector for implementation.

6.15 The status of these projects is as given below:-

1. **Baspa Hydro Electric Project:-** Himachal Pradesh Govt. signed an implementation agreement

with M/s Jai Prakash Industries Ltd., in October,1992 for execution of the project in private sector. The work on the project is in progress. The Power Purchase Agreement to be signed with the company is under finalisation.

2. Uhl Hydro Electric Project:- Himachal Pradesh Govt. signed M.O.U. with M/s Ballarpur Industries Ltd. in February,1992 and the company submitted the detailed project report of Uhl Hydro Electric Project during February,1993. The sale rate of electricity worked out by the company was on the higher side and as such they have resubmitted an updated detailed Project Report in January,1994 which after examination in HPSEB stands forwarded to CEA for according techno-economic clearance.

6.16 Further, the State government advertised 6 projects for privatisation viz. (i) Hibra (231 MW), (ii) Dhamwari Sunda(70MW), (iii)Karcham Wangtoo(1,000 MW), (iv) Neogal (12 MW), (v) Allain Duhangan (192 MW), and (vi) Malana (86 MW)and implementation agreement signed in October,1996 in respect of Dhamwari Sunda(70MW) hydro-electric project.

B. TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

6.17 The need for strengthening the transmission and distribution system in the State is being felt for the last few years in order to ensure proper voltage,uninterrupted power supply to the consumers and also for evacuation of power from new projects as also to receive our share of power from various inter-State and Central projects. However, because of paucity of funds, transmission and distribution schemes could not be completed and work on new schemes could not be undertaken. To utilise the electricity generated by Nathpa Jhakri Project within the State, a number of 132 KV transmission lines and sub-stations have been undertaken for which the World Bank has sanctioned a loan amounting to 43 million dollars. In order to strengthen the preliminary and secondary distribution system,a number of schemes for 33 KV sub-stations and below are being sanctioned from time to time to cater to the needs of additional demand of electricity to consumers and to solve the low voltage problems and to reduce transmission and distribution losses.

C SURVEY AND INVESTIGATION

6.18 In order to exploit the vast hydel potential available in the State, various potential sites in its five river basins have been identified. It is very necessary to carry out detailed survey and investigations of these sites for the formulation of detailed project reports and to maintain a shelf of investigated schemes readily available for being taken up for execution in a phased manner. As per

the revised policy of Govt. of India as well as H.P. Govt. the hydel projects shall be offered in the private sector and joint sector for execution only on competitive bidding for which the detailed project reports of the projects are pre-requisite to call the competitive bids. A perspective plan for taking up survey and investigation works on number of projects has been prepared by HPSEB in a big way and these schemes are likely to yield benefits during ninth and tenth five year plan.

Development of Non-conventional and New and Renewable Sources of Energy

6.19 With the growth in the economy, the demand for energy increases tremendously due to rapid industrialisation, better standard of living and increased infrastructural net work. As the conventional sources of energy are limited, there is an immediate need to explore new and alternative sources of energy, encourage the use of proven technologies such as solar water heating system and other efficient energy devices.

6.20 Solar energy utilisation forms an important part of the new and renewable sources of energy. HIMURJA has made concerted efforts to popularise renewable energy through the Integrated Rural Energy Planning Programme(IREP) which has been taken up as full fledged programme in 41 blocks in the Pradesh with the financial support of Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), Govt. of India. Efforts are also being made to propagate fuel efficient devices and non-conventional energy devices like solar cookers, solar water heating system, solar driers, improved chullahs, improved water mills, photovoltaic lights and pressure cookers(for IRDP families) etc. The achievements made during the year 1996-97 upto December,1996 are as under:-

Solar Thermal System

6.21 893 solar cookers have been sold in the State upto December,1996. 65 solar water heating systems of different capacity have been installed/ booked in different parts of the State. 268 solar P.V.lanterns, 25 photovaltaic street lights and 825 solar P.V. domestic lights have been installed/ booked in tribal and remote areas of the state upto December,1996. 2,268 improved chullahs were distributed/ installed in different selected IREP blocks. The improved high altitude portable chullah for cooking and space heating purpose has been developed with increased thermal efficiency of 15% and is being popularised in cold regions and tribal areas. 721 such chullahs have been distributed on subsidised rates in the tribal / remote areas of the Pradesh upto December,1996. 35 improved wheels (Gharats) with improved efficiency have also been installed in different parts of the state upto December,1996. HIMURJA is providing energy efficient devices like pressure cookers

and nutan stoves to identified IRDP families in the selected IREP blocks. 7,922 pressure cookers and 2,855 nutan stoves have been provided on subsidised rate to IRDP families upto December,1996.

Harnessing of Micro Hydel Projects upto 3 MW

6.22 The State Govt. has entrusted the implementation part of small hydro potential upto 3 MW to HIMURJA under the administrative control of State Science and Technology Department. This organisation made wide publicity to invite private parties to come up in the field of Small Hydro Power generation at 139 potential sites of capacities varying from 100 KW to 3 MW. Efforts were made to complete the processing of applications of private investors in time. Out of 139 identified sites MOUs for 83 sites have been signed. 11 more sites have been alloted for which MOUs will be signed in due course of time. The Ministry of Non-conventional Energy Sources has allotted ten-15 KW and five-10 KW portable micro hydel generator sets to the State. These decentralised systems will serve the remote and snow bound areas of the State. 15 portable generator sets are being installed in Pangi sub-division of Chamba district and Dodra Kawar of Shimla District. The installation work at the sites is near completion.

Solar Passive Heating Design for Buildings

6.23 Solar Energy utilisation has a great relevance, where apart from the traditional energy needs, space heating are very critical. A good amount of fuel wood/ coal saving can be effected by adopting the concepts of solar passive heating design. URJA Bhawan is first building in hilly states based on solar passive heating concepts.

UNDP-GEF projects

6.24 HIMURJA has also decided to participate in the UNDP-GEF projects in terms of preparation of master plan for optimising small hydro resources in hilly areas. Interactions have been made with AHEC/UNDP-GEF to carry out the potential estimation of untapped small hydro sites upto 3 MW capacity. It has been decided to implement two projects namely Nerwa and Lingti with the support of UNDP-GEF project. Nerwa project (1000 KW) has been alloted to M/s Saika Co-operative unit for implementation and Lingti project (600 KW) has been proposed to be implemented by HIMURJA as no private investor has come forward to execute this project.

7. EMPLOYMENT

7.1 As per 1991 Census, 34.41 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 8.42 percent marginal workers and the rest of 57.17 percent as non-workers. Of the main workers, 63.25 percent are cultivators, 3.30 percent agricultural labourers, 1.43 percent are engaged in household industries and 32.02 percent in other activities.

Manpower and Employment Schemes

7.2 The employment service schemes include(i) assistance to employment seekers, possessing diverse qualifications and experience, in finding suitable jobs,(ii)to enable workers and surplus retrenched employees to find out alternative employment ,(iii)to serve employers by referring to them suitable workers to fill up vacant posts in their establishments, (iv)to collect employment information regarding job opportunities, training facilities, and related matters for the public, students, teachers, parents and administrators and (v) to guide young persons and employment seekers in solving their problems, review and re-adjustments of the training programmes and curricula according to the employment market needs. The employment assistance/ information service in the Pradesh continued to be rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment and guidance bureau, one state employment market information unit, 3 vocational guidance units, a special cell for physically handicapped persons, and a central employment cell for placement of Himachalis in the various industrial units, institutions and establishments in private sector during the year under review. In order to render overseas employment assistance to the job seekers of the Pradesh, desirous of employment abroad, a foreign employment cell has been established in the Directorate of Employment.

Employment Exchange Information

7.3 During the year 1996, in all 1,57,520 applicants were registered and 4,760 placements were done. The number of vacancies notified by various employers were 11,104. The consolidated number on live register of all employment exchanges stood at 6.45 lakh on 30th November, 1996 whereas it was 5.96 lakh during 1995.

Employment Market Information Programme

7.4 At the district level,the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the state as on 31.3.1996 was 2.90 lakh(public sector:2.49 lakh and private sector:0.41 lakh) as against 2.89 lakh(public sector: 2.50

lakh and private sector: 0.39 lakh) during the corresponding period of the last year.

Vocational Guidance Activities

7.5 The Vocational Guidance and Employment Counselling programme has been designed to give intensive vocational guidance to those who seek such assistance. The term vocational guidance is more appropriately connected with assistance to youth, whereas employment counselling refers to the assistance given to the adults. The State Directorate of Employment administers this service through employment exchanges in collaboration with the Education Department of the Pradesh. The central unit of vocational guidance(VG)at DGE&T, assists the Director of Employment Exchanges of the state in all the matters pertaining to policies and procedures, the training of staff,the preparation of tools and material and coordination of services at the national level.At an employment exchange, the programme is implemented by the VG section under the administrative control of the officer incharge of the exchange. The following achievements were made under this programme during the period 1.1.1996 to 31.12.1996.

Item	Achievements (Number)
A-Individual Programme	
1. Persons received individual guidance ..	13,890
2. Persons received guidance at the time of registration ..	41,220
3. Persons received individual information:	
(i)Information sought in person ..	10,600
(ii)Information sought by post ..	-
4. Old cases reviewed from live register ..	-
B-Group Programme	
1. Group discussions conducted ..	1,260
2. Persons attended group discussions ..	14,007
3. Career/group guidance talks delivered ..	-
4. Persons visiting career information room ..	20,687

Foreign Employment and Man Power Export Bureau

7.6 This Bureau was formed and registered in March,1994 under the Registration of Societies Act, 1860. This bureau is registering the foreign job seekers of the Pradesh in normal course, provided the candidate possesses valid passport. As a result 213 candidates were registered, during the period from January,1996 to December,1996. Consequent upon which 1,036 registrants in 142 various occupations have become available in this bureau.

Central Employment Cell

7.7 With a view to provide technical and highly skilled manpower to the industrial units, institutions and establishments being set up in the private sector in the Pradesh, a special central employment cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State remained engaged in rendering its services during the year under review. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical and highly skilled and un-skilled manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements. Thus under this scheme,assistance is provided to the employment seekers in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience on the one hand, and employers in this sector to recruit suitable workers on the other hand. Under this scheme, there were 8,406 registrants as on 30th November,1996 who were registered on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges, belonging to the category of technically/highly skilled personnel. As many as 6,469 vacancies of various nature were notified upto November,1996 by employers of private sector establishments, out of which, 1,035 vacancies were of technical and highly skilled nature which were notified by the employers to the Central Employment Cell. The central employment cell sponsored 24,348 candidates of various trades, including unskilled, to the various industrial units out of which 7,709 candidates were of technical and highly skilled nature. Upto November ,1996, 731 persons were placed in various private sector industrial units of the Pradesh,out of which 173 were of technical and highly skilled nature. For getting jobs in private sector a new scheme known as skill matching and skill upgradation has been launched by the Central Employment Cell to begin with a target to place 50 applicants in the Parwanoo and Poanta Industrial area. After seeking response in the said area the scheme will be implemented in the other Industrial area of the state.

Special Cell for the Placement of Physically Handicapped Persons

7.8 During the period from January to November,1996, 761 physically handicapped persons were brought on the live register of this special cell bringing the total number to 5,573 (except Chamba and Kinnaur Districts). Besides, 81 reserved vacancies were notified and 252 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies. 63 physically handicapped persons were placed in gainful employment upto November,1996.

Computerisation of Employment Exchanges

7.9 Three employment exchanges at the district headquarters of Shimla, Mandi and Dharamshala have been computerised. Apart from it, three computers one each at the Directorate, Nahan and Chamba are being set up during the current financial year. Besides this, the department is also planning to computerise the rest of the districts in the State in a phased manner.

Minimum Wages

7.10 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act,1948 for the purpose of advising the State Government generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the employees of the scheduled employments. On the recommendation of this Board, the State Government fixed/revised the uniform minimum rates of unskilled workers in 24 scheduled employments @ Rs. 45.75 per day or Rs. 1,375 per month w.e.f. 1.03.1996. Similarly, proportionate increase was given to other categories such as semi-skilled, skilled, highly skilled and other categories of workers w.e.f. 1.03.1996. Further, an increase of 25 percent was allowed over and above the minimum rates of wages in the scheduled tribe areas and 12.5 per cent increase in the backward areas in some scheduled employments viz; Agriculture, Building/ Road construction & maintenance, Stone breaking & Stone crushing and Forest & Timber operations. Besides, 20 per cent increase over and above minimum rates of wages is also applicable to the workers working inside the tunnels.

Labour Welfare Measures

7.11 Under the Bonded Labour System(Abolition)Act,1976 the State Government has constituted vigilance committees at the district and sub-divisional levels, besides a screening committee at the State level. The Pradesh Government has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes. Under the Industrial Disputes Act, 1947 an

independent presiding officer of Labour Court/Industrial Tribunal of the rank of District and Session Judge has been appointed. The Employees State Insurance Scheme is applicable in the areas of Solan,Parwanoo, Barotiwala,Baddi,Mehatpur, Poanta and Kala Amb. About 1,462 establishments with an estimated employment of 30,780 workers are covered under the scheme. Similarly, 1,000 establishments with an estimated employment of 62,975 workers are covered under Employees Provident Fund Act,1952

Industrial Relations

7.12 The problem of industrial relations has assumed considerable importance on account of expansion of industrial activity in the Pradesh. Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh and has proved as an important agency for the settlement of industrial disputes and maintaining industrial peace. The functions of conciliation officers have been entrusted to the Labour Officers and Regional/ District Employment Officers in the field within their respective jurisdiction. Besides, the powers of conciliation officers have also been vested with the respective Labour Inspectors in respect of all those establishments in which the employment of workers does not exceed one hundred.The higher authorities intervene in cases where the conciliatory methods fail to bring about any amicable settlement.

8. RURAL DEVELOPMENT

8.1 The main objectives of the rural development programmes are poverty eradication and employment generation to the target group families in the rural areas with a view to improve their socio-economic conditions by providing them assistance in the form of cash & kind and by strengthening the infrastructure under various development programmes. To achieve these objectives the following state and centrally sponsored development schemes/ programmes remained under implementation during 1996-97 :-

Community Development Programmes

8.2 The main objective of this programme is to achieve integrated development of the rural people, with the initiative and participation of the village community itself. Under this programme, grants-in-aid are provided to Panchayat Samitis for taking up various developmental activities in educational fields. In addition, grants are also provided for the promotion and strengthening of Mahila Mandals, incentives to Mahila Mandals and organisation of skill training camps. Besides above, housing needs of the staff in the field and office buildings etc. at block headquarters are also met under this programme. During the current financial year 1996-97, an amount of Rs.182.40 lakh has been provided under this scheme.

Rural Sanitation

8.3 Under this scheme, financial assistance is being provided to the rural families for the construction of rural latrines. The main objective of this programme is to promote the environment in the rural areas and provide better sanitation facilities to the rural masses. Besides, latrines are also constructed in the institutions located in rural areas, village fair sites, market yards and panchayat ghars etc. From the year 1996-97 the amount of assistance has been increased from Rs.1,200 to 1,700 for the beneficiaries of general categories and Rs.1,500 to 2,000 for scheduled castes/scheduled tribes and IRDP families. Besides this under Central Rural Sanitation Programme, latrines are also constructed for the families living below poverty line and an assistance of Rs. 2,000 is being given to the beneficiaries. During 1996-97, 17,431 sanitary latrines have been constructed upto December,1996 with an expenditure of Rs. 279.35 lakh.

Gandhi Kutir Yojna

8.4 Gandhi Kutir Yojna was launched on 2nd October,1994 with the objective of constructing 72,000

houses to the identified houseless IRDP families in the State within a span of five years. Under this scheme a financial assistance of Rs. 16,300 is being provided to each beneficiary. During the current financial year a target of construction of 13,513 houses has been fixed under Gandhi Kutir Yojna. Upto December,1996 the construction work of 4,183 houses has been completed and the construction work of 10,412 houses is in progress. Similarly under Indira Awas Yojna against a target of construction of 2,487 houses for the year 1996-97, the construction work of 836 houses has been completed upto December,1996 and the construction work of 1,891 houses is in progress.

Integrated Rural Development Programme(IRDP)

8.5 It is a centrally sponsored programme on 50:50 share basis and the target group of the programme consists of small farmers,marginal farmers, agricultural labourers,rural artisans and others who are below the poverty line.The main objective of this programme is to provide income generating productive assets and employment to the poor people through package of assistance comprising subsidy and institutional credit. According to the household survey conducted during 1995, 2,58,859 families have been living below poverty line. According to the Government of India instructions, a subsidy of Rs. 4,000 and Rs. 6,000 is admissible to non SC/ST and SC/ST families respectively. But the State Government is providing uniform assistance of Rs. 6,000 to all IRDP families i.e. including non SC/ST. Similarly all the IRDP families are given loan @ 4% rate of interest per annum instead of Rs. 12.5%. Upto December,1996 total 4,872 families have been assisted and Rs. 219.34 lakh and Rs. 728.71 lakh have been provided as subsidy and loan under this programme to these families.

Training of Rural Youth for Self Employment(TRYSEM)

8.6 This programme is a part of IRDP . The main objective of it is to provide necessary technical skills to rural youths of target group in the age group of 18-35 years. The training is imparted in a vocation of youth's choice either through a Master Craftsman or in an institution for a period of one year. The trainees get a stipend ranging from Rs. 200 to Rs. 500 per month per trainee depending upon the place and institution of training. The institution and the master craftsman imparting training is also paid fee or honorarium upto Rs. 100 and Rs. 300 per trainee per month. Besides a reward of Rs. 50 per trainee is admissible to the master craftsman. An amount of Rs. 75 per month upto a maximum of Rs. 600 is admissible for raw material per trainee per course. Besides above assistance of Rs. 1,800 is admissible to all the artisans trained under the scheme for supply of Improved Tool Kits to rural artisans. During the current financial year, 369 youths

were trained, 225 youths were settled and wage employed and an expenditure of Rs. 9.74 lakh was incurred up to December, 1996.

Development of Women and Children in Rural Areas(DWCRA)

8.7 This programme is being implemented in the State as a part of IRDP. The objective is to increase employment opportunities for the rural women of target group by taking up income generating activities. This scheme is in operation in all the districts of the State. Upto December 1996, 101 groups with the membership of 1,226 women have been formed and an expenditure of Rs.26.40 lakh has been incurred under this programme.

Jawahar Rojgar Yojna

8.8 Jawahar Rojgar Yojna, which was launched throughout the country by merging the erstwhile programmes of NREP and RLEGP,aims at generating larger employment opportunities for unemployed and under-employed persons in the rural areas and creating productive community assets. Indira Awas Yojna and Million wells scheme are sub schemes of this programme. This programme is implemented through village Panchayats which are responsible for the planning and execution of the programme. Against the target of generating 7.63 lakh mandays of employment with total allocation of Rs. 1,107.27 lakh for this scheme, during the year, 7.05 lakh mandays have already been generated upto December,1996.

Smokeless Chullah Programme

8.9 The objectives of this centrally sponsored scheme are saving of fuel, reducing deforestation, reducing pollution and to improve the health of rural women. Under this programme,smokeless chullahs are installed and training and awareness camps for rural masses are organised at state, district and block levels. Self employed workers are engaged for the installation of Chullahs under this scheme. Upto December, 1996, 5,954 Chullahs have been installed and an amount of Rs.8.50 lakh has been provided to the field agencies upto December,1996 for this scheme.

Desert Development Programme

8.10 This centrally sponsored scheme was in operation in Spiti sub-division of Lahaul and Spiti district and in the Pooh sub-division of Kinnaur district. Now Lahaul Block of Lahaul and Spiti district has also been taken up under this programme. This programme is being implemented on watershed basis w.e.f. 1-4-1995 as per new guidelines on watershed development evolved by the Govt. of India following the

recommendation of Technical Committee on D.D.P./ D.P.A.P. A target of 80 watersheds has been fixed by the Govt. of India under D.D.P. which are to be developed over a period of 4 years starting from 1995-96. For the year 1996-97 Rs. 412.50 lakh have been released against the allocations of Rs. 500.00 lakh upto December,1996. An expenditure of Rs. 129.26 lakh has been incurred on the development of new watershed under D.D.P. upto December,1996.

Employment Assurance Scheme

8.11 This programme initially was launched in 7 blocks of the state in October, 1993 and was extended to 11 new blocks on Ist January, 1995. From the year 1996-97, 25 more blocks have been covered under this programme. The scheme is funded by the Centre & State on 80:20 sharing basis. The basic aim of the scheme is to provide about 100 days of assured casual manual labour employment during the lean agricultural season at statutory minimum wages. During the current financial year 6.35 lakh mandays have been generated with an expenditure of Rs. 528.28 lakh upto December,1996.

Wasteland Development Project

8.12 This scheme is being implemented as a 100 per cent Centrally Sponsored Scheme in Chamba, Solan, Hamirpur and Kangra districts. This scheme aims at integrated development of village common/ revenue/ private wastelands through people's participation in order to increase bio-mass availability specially fuel wood and fodder for the rural people. During the current financial year, upto December,1996, 25.00 lakh have been made available to Kangra district by the Govt. of India.

Innovative Project

8.13 During 1993-94, under Jawahar Rojgar Yojna IIIrd stream the Govt. of India has sanctioned an innovative project 'Kangra Towards Self Reliance by 2,000 AD' for Kangra district with a cost of Rs. 200.00 lakh. Under this project cultivation of herbal and aromatic plants is being taken up. Similarly Diary Development Project which was sanctioned for district Solan during 1994-95 with a total cost of Rs. 200.51 lakh is still going on. A project namely Prosperity Through Diversification sanctioned by Govt. of India for Shimla district with the total cost of Rs. 306.72 lakh remained in progress during the year.

8.14 Besides the above projects, a project namely 'Mandi District on Green Gold Track' has been sanctioned during 1996-97 for Mandi district. The total cost of the project is 100.26 lakh and an amount of Rs. 73.20 lakh has been released for the execution of this project.

National Social Assistance Programme

8.15 This programme has been launched on 15th August, 1995 as 100 per cent centrally sponsored programme throughout the State. The main objectives of this programme are (i) old age pension @ Rs.100 per month per destitute persons above 65 years of age belonging to target group families; (ii)financial assistance of Rs. 5,000 in case of normal death of a bread earner in the family below poverty line and Rs. 10,000 in case of accidental death, and (iii) lump sum assistance of Rs. 300 to the pregnant women above the age of 19 years of target group family upto two living children. During 1996-97 Rs. 52.20 lakh have been provided to all the districts for the implementation of this scheme.

Drought Prone Areas Programme(DPAP)

8.16 This programme is basically an area development programme and aims at integrated development of natural resources like land, water, vegetation etc. by taking up watershed development projects. This programme has been launched in 9 blocks of the State from 1995-96 on 50:50 sharing basis between Central and State Government. 33 watersheds of approximately 500 hectares each have been targetted to be developed over a period of 4 years. For the current financial year 1996-97, an allocation of Rs. 165.00 lakhs has been fixed for the state against which Rs. 95.57 lakh has been utilised upto December,1996 and the remaining funds will be fully utilised during the current financial year. In addition, the Govt. of India has also agreed to provide funds for the additional watershed projects in D.P.A.P. districts during 1996-97. Accordingly, a proposal for 24 additional watersheds has been sent to the Govt. of India during the current financial year.

9. PRICE SITUATION

9.1 Inflation was by far the most pressing problem for the common citizen in 1993-94, especially as the price index for food articles remained much higher than for all other commodities. The rate of increase in the wholesale price Index(WPI)(Base1981-82=100) on a point to point basis was 10.8 per cent in 1993-94 whereas, in 1994-95 the inflation rate was 10.4 percent and during 1995-96 it was only 5.0 percent. The rate of inflation as per WPI on point to point basis during the year 1996-97 i.e. between 31.12.1995 to 30.12.1996 was 7.4 per cent compared with 6.03 per cent in the corresponding period of previous year. The rate of inflation which continued increasing after December,1996 touched the level of 7.7 percent on Ist February,1997.

9.2 The movement of Index Number of Wholesale Prices during the last few years is given in the table below:-

MOVEMENT OF WHOLESALE PRICE INDEX NUMBERS
(Base : 1981-82 = 100)

Year	Wholesale Price Index	
	Last week	Average of weeks
1990-91	191.8	182.7
1991-92	217.8	207.8
1992-93	233.1	228.7
1993-94	258.3	247.8
1994-95	285.2	274.7
1995-96	299.5	295.7
As on 30-12-95	297.4	297.7
As on 28-12-96	319.5(P)	311.9(P)

P: Provisional

9.3 Month-wise index number of wholesale prices during the last five years are given in the table below:-

Wholesale Price Index Numbers (Base:1981-82=100)

Month	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97(P)
April	219.5	234.6	262.3	288.4	301.4
May	221.6	237.0	265.4	291.6	304.0
June	224.1	239.8	268.1	292.6	306.1
July	226.6	243.1	271.3	294.3	310.2
August	228.8	247.0	272.1	296.1	313.2
September	230.7	250.9	273.2	297.4	316.4
October	232.4	252.2	274.7	297.9	317.4
November	231.4	251.6	276.2	299.4	319.1
December	231.4	251.7	279.9	297.7	319.5
January	231.6	252.7	283.3	297.4	..
February	232.8	254.8	284.7	297.6	..
March	233.1	257.6	284.9	298.7	..
Average	228.7	247.8	274.7	295.7	311.9 (28.12.96)

P=Provisional

9.4 The measures of price stability are essential for sustaining the momentum of price rise ensuring equitable distribution of the benefits. Inflation hurts the poor most since their income is not indexed to prices. Among the principal factors which have helped to contain inflation during the current year are strict control of the fiscal deficit, liberalisation of imports, a tight monetary policy, augmentation of domestic stocks of wheat and rice and relaxation of import compression measures to boost industrial production.

9.5 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch and the prices were not allowed to increase much because the Food and Civil Supplies department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and the essential consumer commodities were supplied to the public through a net work of 3,634 fair price shops. Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities also continued during the year so that effective measures could be taken in time to check undue price rise.

10. CIVIL SUPPLIES AND SOCIAL SERVICES

10.1 During the year,the public distribution system was made more effective. Besides foodgrains, controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth, edible oils,pulses,salt, tea leaves,exercise books, stationery, kerosene oil and cooking gas etc. were supplied to the people through the public distribution system. The system is being implemented through 3,634 Fair Price shops in the State. Out of these 3,634 Fair Price shops, 2,767 are run by Co-operatives, 680 by private depot holders, 61 by Panchayats and 126 by H.P. State Civil Supplies Corporation.

Distribution of Foodgrains

10.2 During the year,1996, 53,745 M.Ton of Wheat and 57,907 M.Ton of Wheat Atta was distributed to the consumers besides the distribution of 71,034 M.Ton of Rice upto December,1996.

Levy Sugar

10.3 To arrange distribution of levy sugar to the card holders, the Government of India made an allotment of 2,197 tonnes of levy sugar every month, during 1996. On the eve of festivals like Diwali and Dushehra, the State quota is increased by 608 tonnes by the Central Government. The levy sugar was made available to the consumers at the scale of 400 grams per head per month and 500 grams per head per month during Diwali and Dushehra festivals. During 1996, 27,800 tonnes of levy suger was made available to the consumers through the public distribution system.

Edible Oils

10.4 During the year 1996 upto October,1996 Govt. of India allotted 1,800 tonnes of edible oils to the Pradesh which was distributed to the consumers @ Rs. 34.75 per Kg. on the basis of 2 Kg. per family having family members upto 5 and 3 Kg. per family with family members more than 5.

Controlled Cloth

10.5 During the year 1996 , the Government distributed 6.10 lakh metre controlled cloth to the public through fair price shops and also supplied uncontrolled cloth through these shops.

Iodized Salt

10.6 In the Pradesh only Iodized salt is distributed by the Govt. An amount of Rs. 7.10 lakh is expected to be spent as transport subsidy for the remote and inaccessible areas during the financial year 1996-97.

Liquified Petroleum Gas

10.7 The official oil companies are distributing coooking gas to the Public in the State. Wherever these companies are not profitable and economically viable, cooking gas is distributed through Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation.

Diesel, Petrol and Kerosene Oil

10.8 At present 89 petrol and diesel pumps are functioning in the Pradesh. In addition, Govt. of India has issued from January,1996 to March,1996, 4,522 kilo liter of kerosene oil per month to the state which was later on increased to 6,142 kilo liter per month. 68,844 kilo liter kerosene oil was distributed to the consumers during 1996.

Storage and Preservation

10.9 For storage of Government foodgrains and other essential commodities, 56 godowns with storage capacity of 14,250 tonnes have been constructed at different places of the Pradesh. In addition, 34 godowns with a storage capacity of 4,900 tonnes are under construction. During 1996-97 budget outlay of Rs. 18.30 lakhs has been proposed for the maintenance of godowns.

Renewed Public Distribution System

10.10 Seven tribal development blocks, which during the year, remain cut off for 6 to 8 months from the rest of the world are covered under this system. For the facility of consumers 4 new fair price shops have been opened in these areas during the year 1996-97. At present total 175 fair price shops are in existence in these areas. During 1996, following items were distributed to the people of these areas upto Dec.,1996.

Name of Commodity	Wheat	Wheat Atta	Rice	Levy Sugar	Salt	Edible oils	Coal	Kerosene oil
Quantity in Qtls.	49075	15653	56227	8889	1983	1776	36905	1980 Kiloliter

Integrated Rural Development Plan

10.11 The selected 89 thousand families under this programme are being supplied wheat, rice and salt at the rate of Rs. 2.80(6 Kg. per person and 3 Kg. per child) Rs. 4.80 (1 Kg. per person and 1/2 Kg. per child) and 25 paise per kg. per family, respectively. After August, 1996 again a fresh survey was conducted under I.R.D.P. in which the families upto Rs. 4,000 per month were also brought under this programme.

10.12 In order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Government is vigorously enforcing various Orders/Acts. During the calendar year 1996, as many as 29,753 inspections were carried out, 437 traders were given written warnings and 419 traders were punished under departmental action. An amount of Rs. 55,954 was recovered as fine from the defaulters. Besides this, during the same period 16,212 inspections were carried out and 1,238 challans were done by the Weights and Measures Organisation.

Consumer's Forum

10.13 For solving the complaints of consumers and to give them protection, Central Govt. passed Consumer Protection Act,1986. The main aim of this act is to provide protection to the consumers and compensate them.

DRINKING WATER

10.14 According to 1981 census, there were 16,807 inhabited villages. All the villages have been provided with safe drinking water supply facilities by March, 1994. As per survey got conducted during 1991-93 by Govt. of India, there are 43,781 habitations in the State, out of which 6283 Not Covered (NC) habitations (as on 1.4.1996) are still to be provided with safe drinking water facility. During the year 1996-97 there is a target of covering 1,172 habitations out of which drinking water facility to 769 habitations has been provided upto December,1996 and for the remaining, the work is in progress. An expenditure of Rs. 5,557 lakh has been incurred upto November,1996 against the approved outlay of Rs. 6,621 lakh. During the year 1996-97, there is a target of installation of 600 hand pumps in the Pradesh with an outlay of Rs. 623 lakh. Upto December,1996, 465 hand pumps have been installed. An expenditure of Rs. 520.45 lakh has been incurred upto November,1996. Besides, a target of installing 200 hand pumps has been alloted to the District Administration out of which 145 hand pumps have been installed upto December,1996. Thus against the total target of 800 hand pumps, 610 hand pumps have been installed upto December,1996 and the remaining target will be achieved by March,1997

10.15. Drinking water supply schemes are in existence in all the towns of the Pradesh, but these are quite old and as such require augmentation, rejuvenation and extensions. A target to cover five towns completely has been kept during the year. Upto 12/96 the augmentation for Una town has been completed and the rest of the towns targetted during the year shall be completed by March, 1997. Against the

approved outlay of Rs. 2,200 lakh an expenditure of Rs. 969 lakh has been incurred up to November, 1996.

Sewerage

10.16 A target to provide sewerage facilities to two towns namely Chamba and Shri Naina Devi Ji have been kept during the current financial year which are likely to be completed by the end of the year. An expenditure of Rs. 199.95 lakh has been incurred upto November, 1996 against an outlay of Rs. 715 lakh and the remaining will be utilised by the end of March,1997.

EDUCATION

10.17 Literacy rate in Himachal Pradesh according to 1991 census was 63.86. Males/females differentials in literacy were wide in the State . As against 75.36 per cent literacy rate for males, it was 52.13 per cent for females.

Primary Schools

10.18 At present there are 8,850 Primary Schools functioning in the State. To prevent the drop-out tendency of socially and economically backward students studying in primary classes, various types of incentives and scholarships schemes have been introduced viz free clothing & text books, scholarship on IRDP/Lahaul-Spiti pattern and free education to girls at all levels. During 1996-97, four State level awards have been awarded to eligible J.B.T. Teachers. In addition, various centrally sponsored schemes such as DIETs, Operation Black Board and Mid-day meal etc. have also been started. Under DIET scheme, for the session 1996-98, 1,500 J.B.T. candidates have been seletcted to undergo J.B.T. training.

10.19 To achieve 100 percent literacy in the State, a Literacy mission has been started in each district with the coordination of Primary Education Deptt. and the Distt. Saksharta Samiti under the Chairmanship of Dy. Commissioners.

Middle Schools

10.20 During 1996-97, 2,182 middle units i.e. 1,006 middle schools, 925 middle units of high schools and 251 middle units of senior secondary schools were functioning in the Pradesh under the State Govt. management.

High/Secondary Education

10.21 During 1996-97, there were 1,176 high / Senior Secondary units which include 925 units of high schools and 251 high school units of senior secondary schools were functioning under the State Govt. management.

University and Higher Education

10.22 30 degree colleges, were functioning during the year under review out of which 4 were evening colleges. Besides this, one B.Ed. college at Dharamshala and one NCERT Education Institute Solan were functioning. Himachal is the first state in the country to announce free education to girls from the academic year 1995-96 at all levels from the time of enrolment in govt. schools till university education including technical courses.

Integrated Education of Handicapped Children

10.23 Under this scheme, five centres for the integrated education of handicapped children continued functioning during 1996-97.

Vocational Education

10.24 Introduction of vocational education at plus two stage is an integral part of new system of education. Vocationalisation of education continued in 25 senior secondary schools.

Improvement of Science Education

10.25 Under this scheme, an amount of Rs. 77.03 lakh was sanctioned during 1996-97 for (i) supplying of science kits to middle schools, (ii) improvement of science laboratories in high/senior secondary schools and supply of science books to high/senior secondary schools and (iii)in-service training to science teachers.

Free Hostels

10.26 The scheme of free hostels in remote and backward areas has helped the spread of education and retention of children in schools.During 1996-97, 22 such free hostels were functioning in the State. Further, two hostels at Bharmour (one each for Boys and Girls) are being established for tribal children.

Scholarships

10.27 An amount of Rs. 236.00 lakh has been earmarked for the grant of various incentives/scholarships and stipends at various stages of education and 86,000 students are likely to be benefitted during 1996-97.

Teachers Training

10.28 Under this programme, apart from in-service refresher courses, B. Ed training is being imparted in H.P. University and College of Education at Dharamshala.

National and State Awards to Teachers

10.29 During 1996-97, 4 teachers were awarded National awards for their excellent services and dedication to profession. In addition, 9 teachers were also awarded State awards during the year under review.

10.30 The decision of Govt. to regularise services of ad-hoc/tennure basis teachers completing 3 years of service deserves all praise. According to this the services of 442 adhoc teachers have been regularised.

FREE COURSE BOOKS

10.31 During the year 1996-97 Himachal Pradesh Govt. has decided to give free course books to the Scheduled Castes/ Tribes & Backward area students of Sixth to Tenth class studying in non-tribal areas. During the current year 1,25,000 students were benefitted from this scheme.

TECHNICAL EDUCATION

10.32 One Regional Engineering College, 6 Govt. Polytechnics, one privately managed polytechnic, 17 Co-educational Industrial Training Institutes including one Institute for physically handicapped and 15 Industrial Training Institutes for women are functioning in the Pradesh. The polytechnics conduct 3 years courses in civil, mechanical, electrical, automobile, architecture assistantship, electronics and communications engineering and modern office practice as well as 2 years diploma course in Pharmacy and one and half years course in post diploma in Computer application. The upgraded polytechnic at Kangra conducts diploma courses namely Instrumentation Engineering, Computer Engineering and Communication disciplines w.e.f. 1994-95. In I.T.Is., training in engineering and non-engineering trades under Craftsmen Training Scheme is imparted.

HEALTH AND FAMILY WELFARE

10.33 In Himachal Pradesh, Health & Family Welfare department is providing services such as public health, control of communicable diseases, health education, family welfare, maternal and child health care through a net work of 39 civil hospitals, 49 community health centres / rural hospitals, up-graded P.H.Cs, 245 primary health centres, 165 civil dispensaries, 1,954 sub-centres and 46 maternity and child health centres. To provide better health services to the people, the government is establishing more and more Primary Health Centres in rural areas. A brief description

of various health and family welfare activities carried out in the State during 1996-97 is as given below:-

(i) Rural health scheme:- Under this scheme, health guides are engaged for providing better health care to the people in the State . They are also significantly contributing towards malaria surveillance, family welfare and immunisation activities.

(ii) National Malaria Eradication Programme:- Under this programme, 2,633 fever treatment depots, 2,918 drug distribution centres, 213 malaria clinics are functioning in the State. During 1996-97, 5,49,216 blood slides were collected and 5,40,768 were examined out of which 8,227 slides were found positive upto November,1996. 7,740 cases were given treatment and no death due to Malaria was reported.

(iii) Laprosy control programme:- This programme is being implemented in the State through 6 leprosy hospitals, 76 periphery clinics, and 15 survey-cum-education treatment centres.In addition, 20 bedded hospitalisation ward is attached to Indira Gandhi Medical College, Shimla. Under this programme, 284 new cases were detected upto December,1996 against the target of 200 cases for 1996-97 and 752 cases were detected upto December,1996 against the target of 300 cases.

(iv) S.T.D. control programme:- Under this programme there are 71 S.T.D. institutions for the diagnosis and treatment of S.T.D. cases in the state. During 1996, 1,417 S.T.D. cases were treated upto November,1996. In addition, 55,876 blood samples were taken for the test of syphilis disease out of which 463 samples have been found positive.

(v) National T.B. control programme:- Under this programme, 2 T.B. hospitals, 11 district T.B. centres, 1 T.B. clinic, 6 T.B. sub-clinics and 1 survey-cum-domiciliary treatment centre having a provision of 713 beds were functioning in the State. Upto December 1996, 14,073 new cases were detected having positive symptoms of this desease and sputum tests of 44,008 persons were carried out.

(vi) National programme for control of blindness:- Under this programme, 5,065 cataract operations were performed upto December,1996 against the target of 10,000 for the year 1996-97.

(vii) National family welfare programme:- The Family Walfare Programme is being carried out in the

State on voluntary basis. Under the programme 57.73 per cent of the eligible couples have effectively been protected with various family planning methods upto 31st March, 1996. Under this programme, 11,949 sterilisations and 24,645 I.U.C.D.insertions were done upto December,1996.

(viii)Child survival and safe motherhood programme :- This programme is being implemented in the state as centrally sponsored scheme and aided by World Bank. No case of Poliomyelities has been reproted in the state during the last three years. The other vaccine preventable diseases viz; Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis and Measels have also shown remarkable reduction over the last years. The progress made upto December, 1996 is given below :-

Item	Achievement (upto Dec., 1996)
1. T.T.(PW)	87,661
2. D.P.T.	86,130
3. Polio	86,289
4. D.P.T. Booster	66,433
5. Polio Booster	67,903
6. B.C.G.	88,787
7. Measles	85,615
8. D.T.(5-6 years)	1,02,308
9. T.T.(10 years)	84,326
10. T.T.(16 years)	49,495
11. I.F.A. to mothers	1,25,225
12. Vit. A Ist dose	73,419
13. Vit. A 2nd dose	60,480

Under this programme Pulse Polio immunization compaign was again launched. The first round of the campaign was done in the month of December,1996 and the second round was done in January,1997. In the Tribal and snow bound areas, the first round was done in October,1996 and second in November,1996. Children in the age group 0-5 years were covered this year whereas in the previous year the coverage was done in the age group of 0-3 years. In the first round of the campaign 6,27,319 children were given polio drops.

(ix) School health programme:- Under this programme,medical check up and immunization of the students with T.T. is undertaken and students suffering from any disease are referred to a nearby

medical institution for treatment. The special school health check-up drive was observed in the country in the month of July,1996. But due to summer vacation in some of the schools in the state this massive health check-up progamme was observed in September,1996. During this campaign 10,468 schools were visited and 7,41,369 students were examined and out of them 2,42,228 children were found suffering from different diseases.

(x) UNFPA Funded Family Welfare Area Project:- The UNFPA funded Family Welfare Project taken up in the state from April,1990 with the proposed investment of Rs. 35.28 crores came to an end on 31st December,1996.

Under the project 702 Health units have been proposed to be constructed, out of which 689 units have been completed upto November,1996.

(xi) National Aids Control Programme:- This programme is being implemented in the state since 1992 as a centrally sponsored scheme. In order to improve blood safety and rational use, 12 blood banks have been established in the state. Blood samples were tested at IGMC Shimla survelliance centre. In the surveillance centre 32 full blown AIDs cases were detected. In addition to this 55 HIV positive cases were also detected.

(xii) Medical College:- During the year 1996-97,Indira Gandhi Medical College,Shimla had an intake capacity of 100 students for M.B.B.S. course Indira Gandhi Hospital, Shimla and Kamla Nehru Hospital, Shimla are associated with it for teaching and training purposes. Through this college, specialised services in medicine, surgery, OBG, skin, V.D., ENT, radiology, orthopaedics, ophthalmology, cardiology, radiotherapy, neurology and neuro-surgery etc. are available to the general public. Besides,the college also imparts training to nurses, radiographers, opthalmic assistants, OTA, laboratory technicians, to cater to the needs of hospitals and dispensaries in the Pradesh. In addition to this, Post-graduate degree course in 16 faculties and Diploma course in 8 faculties with intake capacity of 35 degree students and 18 Diploma candidates is also available in the college. In addition, the Medical College is running 50 -bed mobile hospital to provide medical aid to the public in rural and difficult areas and field training to the interns to improve quality of undergraduate students and trainee nurses.

Specialised Services:- Indira Gandhi Medical College Shimla is one of the few colleges in India to have Fiber Optic Endoscopy and CT Scan equipment and is consolidating Specialised services like close heart surgery including pace maker insertion which are available to the people. Laproscopic media, has also been adopted to popularise family planning programme.

Dental College and Hospital

(xiii) Dental College and Hospital :- Dental College and Hospital was established in the year 1994-95 with the intake capacity of 20 students. The objective of the opening of Dental College and Hospital was to meet the ever increasing demand of Dental Surgeons and Dental Para-Medical staff with a view to provide basic dental care to the people of the State. The College and Hospital has acquired sophisticated and advanced machinery and equipments to provide specialised dental care to the people of the State. A mobile community dentistry clinic in a Van has been equipped with all the basic dental care facilities to provide dental treatment to the people living in far flung areas of the state by organising camps at village level in the State.

AYURVEDA

10.34 In Himachal Pradesh, treatment by Indian System of Medicine and Homoeopathy is being provided to the general public through 2 regional hospitals, 2 circle ayurvedic hospitals, 2 tribal hospitals, 8 district hospitals, one nature cure unit, 657 ayurvedic dispensaries, 3 unani dispensaries, 2 homoeopathic dispensaries and 2 Panch-Karma units. During the current financial year, 150 new Ayurvedic Dispensaries are proposed to be opened. During 1995, 36,941 indoor and 32,44,675 outdoor patients were treated under this system. During the year 1996 department have organized 28 free Ayurvedic Medical camps in which 12,000 patients were treated and free medicines were distributed to the patients. There are 2 Ayurvedic Pharmacies, one at Jogindernagar (District Mandi) and the other at Majra (District Sirmaur). These pharmacies are manufacturing 103 classical medicines which are supplied to the 679 institutions of the department. A Government Ayurvedic College with an annual intake capacity of 20 students for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola in Kangra district for providing ayurvedic education in the Pradesh. The department of Indian System of Medicine remained associated with National Health Programmes like malaria, family welfare and immunisation etc. during the year under review. The ayurvedic institutions organised family welfare camps to motivate the eligible couples and camps for after-care of operated cases.

Nutrition Programme

10.35 The special nutrition programme being implemented by the Social and Women's Welfare Department aims at providing supplementary nutritive diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to poor sections of society. This programme is expected to benefit 1,50,000 children and 31,000 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet is 95 paise per child per day and Rs. 1.15 per mother per day. A provision of Rs. 600.93 lakh has been kept under this programme. Besides, 71 Integrated Child Development Services(ICDS) projects have been sanctioned for the Pradesh by the Govt. of India upto the year 1996-97. The objective of this scheme is to improve the nutrition and health status of children in the age group of 0 to 6 years in order to lay the foundation for proper psychological,physical and social development of the children to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropouts etc. To achieve these objectives, 6 services viz. immunization, supplementary nutrition, health check up, referral services, health and nutrition education and non-formal pre-school education are being provided under the ICDS scheme. During the current financial year, Rs. 894.63 lakh have been provided under the Integrated Child Development Services.

SOCIAL WELFARE AND WELFARE OF BACKWARD CLASSES

10.36 The Welfare Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes,infirms, handicapped, orphans, children, women, and destitutes and poor children and women etc., The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Security

10.37 Under this scheme pension is provided to those persons who are 60 years old or above and have none to support them and their annual income does not exceed Rs. 2,000. The old-age pension is given @ Rs. 100/- per month. There is no age limit in the case of physically handicapped persons who are allowed this pension in the shape of disability relief allowance. Similarly, there is no age limit for the grant of this pension to widows. The number of such pensioners in the Pradesh is 1,29,416 upto the year 1996-97. During 1996-97, about 1,773 lepers are being given rehabilitation allowance @ Rs. 120 per month. During 1996-97 there a budget provision of Rs. 16.35 crore for old age, widow and disabled persons and Rs. 30.25 lakh for lepers. Under National Security Scheme pension @ Rs. 100 per month is being provided to those old persons who are 65 years old or above and there is no body to look after

them. Under this scheme Rs. 75.00 are given by Central Govt. and Rs. 25 by State Govt. and 11,600 old persons are being benefitted.

Child Welfare

10.38 With a view to look after the orphans, the semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for the running and maintenance of Bal/Balika Ashrams at Reckong-Peo, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi(Shimla),Rockwood(Shimla), Kullu and Lahaul Dhalli, Kalpa, Shilli (Solan) Dehar(Mandi), Bharnal(Mandi) and Chamba being run by the voluntary organisations. The Welfare Department is running Balika Ashrams at Pragpur (Kangra) and Mashobra (Shimla) and Bal Ashrams at Sujanpur (Hamirpur) and Tutikandi (Shimla). In these ashrams the inmates are provided with free boarding and lodging facilities and education upto 10+2 standard. After leaving the Ashrams inmates are provided financial assistance of Rs. 6,000 for self employment and rehabilitation. Assistance is also provided to them for higher education after 10+2. One juvenile home which was established under Juvenile Act,1986 at Sundernagar for destitute and neglected children continued functioning. Besides, a special school-cum-observation home has been functioning at Una in Una district for the delinquent children. Education is provided to the mentally retarded children on Govt. expenses at Prem Ashram Una. Under Faster Service Scheme if any couple wants to adopt these children the Department is providing assistance @ Rs. 100 per month for nurturing these children. Upto December,1996 an amount of Rs. 0.32 lakh was spent and 14 persons were benefitted.

Woman Welfare

10.39 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes being implemented in this regard are as under:-

(a)State homes:- For destitute women and wayward girls/women State Homes at Chamba, Mandi, Shimla, Kangra, Bilaspur and Kalpa are being run by the Govt. Besides, one State Home at Nahan is being run through the Indian Council of Child Welfare(ICCW). The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities and training in craft, tailoring and embroidery etc. For the rehabilitation of such women after leaving State Homes financial assistance upto Rs. 3,000 per woman is also provided.

(b) Working women hostels:- With a view to provide residential accommodation to the working women in urban areas, the department constructed 13 working women hostels. These hostels were constructed by the

voluntary organisations with the help of grant-in-aid @ 75 per cent from the Govt. of India and @ 25 percent from the State Govt.

(c) Marriage grant to destitute girls:- Under this programme, marriage grant upto Rs. 2,500 per beneficiary is being given to the parents/guardians of the girl or to the girl herself provided their annual income does not exceed Rs. 7,500. During 1996-97, a provision of Rs. 8.25 lakh has been kept for this purpose and upto December,1996 an amount of Rs. 6.96 lakh has been spent and about 279 beneficiaries were covered.

(d) Assistance for self-employment to women:- Under this programme, assistance is given @ Rs. 2,500 to those women whose annual income does not exceed Rs 7,500 and possess knowledge of any particular trade or have got training/diploma in that particular trade. During 1996-97, Rs.6.60 lakh has been provided for the purpose and upto December,1996 Rs. 3.60 lakh has been spent and about 144 women were benefitted.

(e)Women Development Corporation:- With a view to provide financial assistance to women for various trade purposes, a Women Development Corporation has been set up in the Pradesh. During 1996-97,a sum of Rs.17.00 lakh has been provided to the Corporation and upto December,1996 Rs. 3.40 lakh has been spent and the remaining amount will be utilised upto March,1997.

Welfare of Handicapped

10.40 For the welfare of handicapped the following schemes are run by the Department:-

(a) Artificial Limbs to Handicapped :- During 1996-97 a provision of Rs. 1.20 lakh has been kept. For those persons whose monthly income is less than Rs. 1,200 full assistance is being provided for artificial limbs and half assistance is provided to those whose monthly income is between Rs. 1,201 to 2,500.

(b) Handicapped Scholarship :- The main purpose of this scheme is to encourage handicapped children for education. Scholarships are given to these children under this scheme. During 1996-97 Rs. 4.30 lakh has been kept for this purpse. Upto December,1996 an amount of Rs. 1.29 lakh has been spent and about 149 handicapped children were benefitted.

(c) Marriage Grant For Handicapped : Marriage grant @ Rs. 5,000 is given to those who marry handicapped girls or boys. During 1996-97 an amount of Rs. 3.20 lakh has been kept and upto December,1996 Rs. 2.55 lakh has been spent and about 51 persons were benefitted.

(d) Self Employment Scheme for Handicapped : There is a budget provision of Rs. 5.50 lakh during 1996-97 for this scheme. Upto December,1996 an amount of Rs. 1.88 lakh has been spent and about 75 persons were benefitted.

WELFARE OF SCHDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

10.41 Under this programme, the following schemes are being implemented during 1996-97:-

(a) Technical scholarships:- Under this scheme, trainees of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes getting training in I.T.Is., R.I.T.Is. etc. are given technical scholarships @ Rs. 100 per month per trainee. During 1996-97, a sum of Rs. 19.35 lakh has been provided to benefit 993 trainees.

(b) Award for inter-caste marriage:- With a view to remove the practice of untouchability from November,1994 Rs. 25,000 per couple is given. During 1996-97, a sum of Rs. 12.00 lakh has been provided and upto December,1996 about 17 couples were benefitted on which Rs. 3.96 lakh has been spent.

(c) Housing subsidy:- Under this scheme, the members of scheduled castes and scheduled tribes are given subsidy upto Rs. 10,000 per family in snowbound areas and upto Rs. 8,000 per family in other areas for house construction purposes. Further, 50 per cent of the above amount is granted to the members of these castes for the repair of house. Rs. 137.15 lakh has been provided in the budget during the year 1996-97 and upto December,1996 Rs. 135.31 lakh has been spent and about 1,619 persons were benefitted.

(d) Environmental improvement of Harijan Basties :- Under this programme, small drinking water supply schemes are undertaken by constructing Wells/ Bowaries etc. in the villages with concentration of scheduled castes population and not covered by the schemes of Public

Health Department. Upto December,1996 about 227 basties were benefitted on which Rs. 16.93 lakh were spent.

(e) Proficiency in typing and shorthand:- Under this scheme, trained persons of scheduled castes and scheduled tribes are posted in various offices to enable them to maintain their proficiency in shorthand and typing. For the year 1996-97 a sum of Rs. 3.97 lakh has been allocated and upto December,1996, about 61 trainees were benefitted under this scheme with an amount of Rs. 1.48 lakh.

(f) Compensation to victims of atrocities on scheduled castes families:- Under this scheme, monetary relief is granted to those scheduled caste families who become victims of atrocities committed by the members of other communities due to caste consideration. During 1996-97, a provision of Rs. 1.00 lakh has been made for this purpose.

(g) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation:- For the economic development of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh, a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. This Corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks.

(h) Non-recurring Grant Programme:- Under this programme Rs. 800 is granted to Scheduled Castes/ Tribes and other Backward Classes for the purchase of implements etc. For the year 1996-97 a budget provision of Rs. 11.50 lakh has been kept. Upto December,1996 an amount of Rs. 10.20 lakh has been spent and 1,127 person were benefitted.

(i) Girls Hostel :- To develop the education level of Scheduled Castes/Tribes and to desist girls not to leave school the department is constructing girls hostels under centrally sponsored scheme. Under this, 12 girls hostels have been constructed and handed over to Education Department. For the year 1996-97 a budget provision of Rs. 2.35 lakh has been kept for this purpose.

TRIBAL AND SCHEDULED CASTES PLANNED DEVELOPMENT

10.42 An in-depth review of the tribal situation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled tribes by

and large continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of tribal sub-plan was evolved for accelerated socio-economic development of tribal areas beginning from 1974-75. The tribal sub-plan strategy comprised identification of development blocks with 50 per cent or more scheduled tribe population, earmarking funds for the tribal sub-plan from the Central and State plan sectoral outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of special central assistance and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

10.43 The tribal areas in the State are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti and Pangi and Bharmaur tehsils and sub-tehsil Holi of Chamba district. In the 6th Plan Modified Area Development Approach(MADA) was devised to cover the dispersed scheduled tribes population under sub-plan treatment and two pockets of tribal concentration, viz. Chamba and Bhattiyat were identified. In the sixth plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary-oriented development schemes within the general programmes. Together with tribal areas, 63 percent of the scheduled tribes population was covered under sub-plan treatment. For the 8th Plan, the basic premise continues to hold good. The State Plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.62 percent for the 6th plan and that targeted for the 7th Plan was 9 percent against which the actual achievement had been 8.78 per cent. In the annual plans 1993-94, 1994-95, 1995-96 and 1996-97 such flow was of the order of 9 percent. During 1996-97, in the annual state plan size of Rs. 900.00 crore,the State Plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 81.00 crore and Special Central Assistance Supplementation was Rs.3.90 crore. The Special Central Assistance proposed for the tribal pockets was Rs. 0.15 crore.The highest priority was accorded to the Economic Services sector. The scheduled tribes outside the tribal areas and tribal pockets were brought under the sub-plan treatment for the first time in 1987-88 when special central assistance benefit was extended to them. The assistance proposed for 1996-97 was Rs. 0.30 crore.

10.44 According to 1991 census, 13.10 lakh i.e. 25.34 percent of the total population of the State belonged to various scheduled castes. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly scattered, individual/family/habitat oriented schemes/ programmes which have been devised for the scheduled castes include (i)to improve resource availability with them in order to improve productivity,(ii)to make their profession less disgraceful and (iii)to ensure the spread of education so that they could attain both vertical and horizontal mobility in employment and general improvement in their living environment and other socio-economic development. The Special Component plan was launched in the

State during 1979-80 for the first time. During the 7th Plan, the State plan flow to the S.C.P. was 10.90 per cent and that during the annual plans 1991-92 and 1992-93 it was 10.34 per cent and 12.35 per cent respectively. These efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs(now Welfare)by way of Special Central Assistance. For the Eighth Plan period State Plan earmarking has been reckoned at 12.12 percent of the overall State Plan size irrespective of its 'divisible' and 'indivisible', components. During 1992-97 an amount of Rs. 290.58 crore has been incurred and Rs. 109.35 crore is expected to be incurred during the current financial year i.e. 1996-97. Thus against the Eighth Five Year Plan target of Rs. 303.15 crore it is expected to utilise Rs. 399.93 crore by the end of the Eighth Five Year Plan. It excludes Special Central Assistance and Centrally Sponsored Schemes. For the 9th Five Year Plan an amount of Rs. 668.50 crore under State Plan and Rs. 21.00 crore under Special Central Assistance has been proposed under Special Component Plan, of which Rs. 122.50 crore under State Plan and Rs. 3.50 crore under Special Central Assistance is kept for 1997-98.

10.45 District Level Review Committees have been constituted in each district(except Kinnaur and Lahaul Spiti) to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level.

10.46 Under point-11 of the 20-Point Programme-1986, the target of assisting 34,000 scheduled castes and scheduled tribes families during 1996-97 was achieved to the extent of 31,363 upto December,1996. Concurrent evaluation of such beneficiaries is also done.

11. TRADE AND COMMERCE

COMMERCIAL BANKING

11.1 The number of bank offices of Scheduled Commercial banks increased from 756 as in March,1995 to 760 as on March,1996, registering a growth of 0.5 per cent. Kangra district accounted for 150 bank offices (19.7 per cent) followed by Shimla district with 120 (15.8 per cent) in the State. The programme of expansion of branches in the rural and semi-urban areas was continued in 1996 and the number of branches in the rural areas stood at 647 which accounted for 85.1 per cent of the total bank offices in the State. When related to population, the average population per bank branch for the State has changed to 7,476 in March,1996 from 7,375 as at the end of March,1995.

11.2 Aggregate deposits of the scheduled commercial banks in the Pradesh increased from Rs.2678.92 crore in March,1995 to Rs.3138.93 crore in March,1996 or by 17.2 per cent. Gross bank credit increased from Rs.705.78 crore in March,1995 to Rs. 810.04 crore in March,1996 or by 14.8 per cent. The credit-deposit ratio for the state was 25.8 per cent in March,1996 as against 26.3 per cent in March,1995. Though 85.1 percent of the bank offices in the state were located in rural areas, they accounted for 67.5 per cent of credit and 63.7 per cent of deposits. Kangra district accounted for 24.8 per cent of deposits and 14.7 per cent of credit and Shimla district accounted for 22.9 per cent of deposits and 17.3 per cent of credit of the scheduled commercial banks in the State in March,1996.

CO-OPERATIVE BANKS

11.3 The H.P. State Co-operative Bank had 111 branch offices including head office as on 31st March,1996. The deposits of the State Cooperative banks were Rs. 408,43.82 lakh in March,1996 as against Rs.386,33.46 lakh in March,1995 showing an increase of 5.7 per cent. In addition, the Kangra Cooperative Bank Ltd., Dharamshala had 95 branches including head office with deposits of Rs. 366,06.55 lakh in March,1996 whereas it was Rs. 281,49.03 lakh in March,1995. Similarly, The Jogindra Central Cooperative Bank Ltd., Solan had 19 branches, including head office and deposits of Rs. 38,29.00 lakh is expected in March,1997 as against Rs. 30,94.00 lakh in March,1996.

18. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

I. STATE SECTOR

Roads and Bridges

12.1 In the absence of any other suitable and viable modes of communications like railways and waterways, roads play a vital role in the hilly state like Himachal Pradesh. Government has, therefore, been attaching a very high priority to road sector. For the year 1996-97, there is an outlay of Rs. 8,282.00 lakh including Rs 23.00 lakh for cableways and Rs.120.00 lakh for Nahan Foundry. Against the capital outlay of Rs. 8,282.00 lakh an expenditure of Rs. 6,771.00 lakh has been incurred upto December,1996 and the balance amount of Rs. 1,511.00 lakh will be spent upto March,1997. The target fixed for 1996-97 and achievements made upto December,1996 have been given as under:-

Item	Unit	Target for 1996-97	Achievement upto Dec., 1996	Likely achievements from 1.1.97 to 31.3.97
1.Motorable ..	Km.	251	190	61
2.Cross-drainage ..	"	192	118	74
3.Metalling and tarring ..	"	202	160	42
4.Jeepable ..	"	15	15	-
5.Bridges ..	No.	30	11	19
6.Village connected ..	"	20	15	5
7.Cable ways ..	Km.	2	-	2

II. Central Sector

National Highways

12.2 The process of improvement of National Highways in the State with total length of 760.35 Kms. which include urban links and bye-passes also continued. Upto the end of December,1996, 11.58 Km. long portion has been widened to double lane width besides 8.04 Kms. long portion had been provided with metalling and tarring including extension of pavements.

Non-Residential and Residential Buildings

12.3 The Public Works Department executes the building construction programme of all the departments both under residential and non-residential sectors. An amount of Rs.1,125.90 lakh has been provided for non-residential buildings under 'Building Construction Programme' for the year 1996-97 against which an amount of Rs. 743.91 lakh has

already been spent upto December, 1996. Similarly, an amount of Rs. 1,103.75 lakh for residential housing including 323.75 lakh for Police Housing has been kept for the year 1996-97 out of which an amount of Rs.683.63 lakh has already been utilised upto December, 1996 and the remaining amount will be utilised upto March,1997.

Railways

12.4 There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka(96 km.)and Jogindernagar with Pathankot(113 km.) and one 16 km. broad gauge railway line from Nangaldam to Una.

Tourism and Civil Aviation

12.5 Tourism occupies an important place in the economy of the State. The Govt. of Himachal Pradesh has accorded high priority to the tourism industry. The Govt. has developed an appropriate infrastructure for the future growth of tourism. During the year 1996-97, there is an allotment of Rs. 755.00 lakh for the development of tourism and Rs. 659.00 lakh for civil aviation in the state. In order to promote tourism of the State, the Department of Tourism participated at Suraj Kund Craft Mela, SATTE, TTF Calcutta, CII Lucknow, TAAI Delhi, International Trade Fair Delhi, second Himalayan Festival Dharamshala, Tabo millennium festival Tabo, WTM London and ITB-Berlin.

12.6 To encourage the private entrepreneures, the Deptt. of Tourism has selected nine places all over the State which will be offered to these entrepreneures in private sector. Similarly, 12 rope ways at different locations were advertised and are being offered for private investment. The work on 3 rope-ways viz Chambaghat to Karol Tibba, Jabli to Kasauli and Naina Devi is in progress.

12.7 The Department of Tourism is providing training in various adventure sports activities like water sports, river rafting, treking, paragliding etc. During the year 1996, 185 candidates were trained in water sports at Bilaspur,Pong Dam and Pandoh lake through Mountaineering Institute, Manali. For the promotion of adventure sports in the state, the department is also constructing a water sports centre at Bilaspur at an estmated cost of Rs. 86.68 lakh and one aero sprots centre at Bir-Billing. The department is also going to acquire the land at Shoja near Billing for the launching of paragliders. During 1995-96 the department had purchased water sports equipment amounting to Rs. 20.00 lakh and for the year 1996-97, there is a budget provision of Rs. 30.00 lakhs.

12.8 In the recent years Himachal Pradesh Government has set up 10 helipads in different areas of the state at the total cost of Rs. 134.26 lakh. Effective steps

to set up airstrips at Banikhet(Chamba) and Rangrik (Spiti) has been initiated. The Govt. of India has sanctioned Rs. 36.00 lakh for the strengthening of Kullu Airport. Finance Commission has sanctioned Rs. 30.00 crore for the construction of Banikhet and Rangrik air strips. Tabo helipad has been constructed during 1996-97 and helipads at Sissu, Barring, Ribling and Sangla are being constructed. To link Pangi with Bharmaur, the expansion of Bharmaur helipad has been started with the estimated cost of Rs. 79.00 lakh.

ROAD TRANSPORT

12.9 In the absence of any other mechanised mode of transport such as railways, air and waterways which are almost negligible in the Pradesh,the Himachal Pradesh Road Transport Corporation(H.R.T.C.)was established with a view to provide coordinated, organised, efficient and effective road transport services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Territories.

12.10 There was a fleet strength of 1,698 buses with the H.R.T.C. during 1996-97 upto October, 1996. During 1996-97, the H.R.T.C. was operating 2,275 bus services upto October, 1996 as against 2,232 bus services during 1995-96.

12.11 During 1996-97, upto October, 1996 3.50 lakh kilometres per day have been covered by the Corporation buses as compared to 3.42 lakh kilometres per day during 1995-96. There are 23 operating units, 4 Divisional Offices and three divisional workshops at Mandi, Taradevi and Parwanoo functioning in the Pradesh besides reconditioning unit at Jassur.

12.12 During the year 1996-97 some effective steps such as computerization of monitoring system, work of booking of buses to private sectors, improvement in working conditions in the workshops, computerization of advance reservation of seats at all the stations except Nalagarh, Rohru and Chamera were taken. In order to reduce the fatigue of the drivers, the H.R.T.C. has introduced power steering on buses on experimental basis. The H.R.T.C. has introduced pension scheme for its employees who were not covered earlier under the scheme. During the current financial year 1996-97, upto October, 1996, the revenue of the corporation increased to Rs. 57.20 crore as compared to Rs.55.20 crore during the corresponding period of the previous year.

13. CO-OPERATIVE MOVEMENT

13.1 The number of Cooperative societies in the State has gone up by 0.2 per cent as the number of cooperative societies increased to 4,419 as on 31.3.96 from 4,410 as on 31.3.95 and their paid-up share capital increased by 8.67 percent to Rs. 7,527.98 lakh on 31.3.96 from Rs. 6,927.06 lakh on 31.3.95. The deposits of these societies in March,1996 increased to Rs. 93,735.56 lakh from Rs.70,514.53 lakh in March,1995 i.e. by 32.93 per cent. The short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits) during the year 1994-95 were Rs. 8,069.61 lakh which increased to Rs.9,553.40 lakh in 1995-96. The long-term loans advanced upto 31.3.1996 increased to Rs.1,629.26 lakh from Rs. 1,132.15 lakh as on 31.3.95. The increase in the working capital in the year ending 31.3.96 over the previous year was 12.67 per cent.The table below gives the progress of the co-operative movement in the Pradesh for the last two years:-

Progress of Co-operative Movement

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Item	As on 31.3.95	As on 31.3.96	Percentage increase or decrease over the previous year
1.	Number of societies	4,410	4,419	0.2
2.	Membership(in lakh)	11.29	11.53	2.13
3.	Share capital	6,927.06	7,527.98	8.67
4.	Deposits	70,514.53	93,735.56	32.93
5.	Total short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits)	8,069.61	9,553.40	18.39
6.	Long term loans advanced	1,132.15	1,629.26	43.91
7.	Value of agricultural produce marketed	4,476.35	4,626.61	3.36
8.	Retail distribution of:			
	(i)Consumer articles	10,311.82	11,232.95	8.93
	(ii)Agricultural inputs	1,969.35	2,169.53	10.16
9.	Coverage of rural population (percent)	100	100	-

A brief account of the important programmes of the co-operative societies is given below:-

Co-operative Credit

13.2 Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Agriculture Rural Development Bank Ltd., Shimla and the Primary Agriculture Rural Development Bank

Ltd., Dharamshala. These banks advance long-term loans to the farmers for various agricultural purposes.

Distribution of Consumer Goods

13.3 Co-operative societies function as an effective agency for the distribution of essential commodities of mass consumption in the Pradesh including the remote and tribal areas of the Pradesh.

Supply of Inputs

13.4 The co-operative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs viz. implements, fertilizers, improved seeds, etc. to the farmers.

Marketing

13.5 The co-operative societies are marketing cash crops like seed potato, tea, ginger, apple etc. in the Pradesh so that producers may get rumunerative prices.

14. LOCAL BODIES

Panchayati Raj

14.1 With a view to establish three tier Panchayati Raj System in conformity with the provision of 73rd Constitutional Amendment Act,1992, the State Legislative Assembly in persuance to the Article 243 N of the Constitution and Section 200(2) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994, passed a resolution for dissolving the Gram Panchayats and Panchayat Samitis constituted under the provision of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1968 in the year 1991 and 1992.

14.2 To ensure the participation of women more effectively in Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads one-third seats of members and offices of Chairpersons were reserved for women. Similarly provisions were also made to reserve the seats for the members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At present there are 2,922 Gram Panchayats, 72 Panchayat Samitis and 12 Zila Parishads in the State. Vocational Training Centres/ Tailoring Centres have been opened in 1,450 Gram Panchayats during the current financial year.

14.3 State Govt. is providing Giriraj and other governemnt publications to Panchayats out of library grants so that rural people can be well equipped with the developmental activities of the Pradesh. State governemnt is providing honorarium to the Pradhans and Up-pradhans of Gram Panchayat and Chairmen and Vice- Chairmen of the Panchayat Smities. Besides this, honrarium of Panchayat Chowkidars was increased from Rs.100 to 300. It has also been decided that two Gram Panchayats shall have one Panchayat Secretary. Government is also providing loan to Panchayats for creating renumerative assets.

Urban Local Bodies

14.4 At present there are 49 urban local bodies in the Pradesh including Municipal Corporation, Shimla. Due to limited sources of income of these urban local bodies, the Government has been sanctioning grant-in-aid every year to enable them to provide civic amenities to the public. During the year 1996-97, a sum of Rs. 1,145.55 lakh(Rs.489.47 lakh under plan Rs. 4.90 lakh under Special Component Plan and Rs. 651.18 lakh under non-plan) has been provided in the budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these

urban local bodies for maintenance and upkeep of developmental works in the urban areas out of which a sum of Rs. 92.78 lakh has been provided to be spent on establishment of the Directorate, Urban Development.

14.5 Due to abolition of octroi from April,1982, the Government has been giving grant-in-aid to the urban local bodies which have been deprived of their major source of octroi income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of local bodies. During 1996-97, an amount of Rs. 446.68 lakh has been provided for the purpose. Under the Civil Rights to liberate the scavanging night soil on head a provision of Rs. 4.90 lakh has been made under special component plan. During the year 1996-97 five community latrines are to be constructed, one each in Hamirpur, Jawalamukhi, Manali, Rewalsar and Sunni.

14.6 Urban Basic Services Scheme is going on in three towns viz. Nalagarh, Poanta and Kangra. An amount of Rs.32.77 lakh has been provided for this scheme during the year 1996-97. Under the Nehru Rojgar Yojna Scheme an amount of Rs. 57.44 lacs has been provided for creating employment opportunities for Urban Youth as grant during the year 1996-97.

14.7 Integrated Development of small and medium towns scheme has recently been transferred from Town and Country Plannning Department to urban local bodies department. The scheme is in operation in three towns viz, Nahan, Una and Dharamshala. During the year 1996-97 an amount of Rs. 50.00 lakhs has been provided under this scheme. Under NORAD project Rs. 53.66 lakhs are being provided to the Urban Local Bodies for improving the garbage handling system. Under the scheme Prime Minister Integrated Urban Poverty Eradication Programme, a sum of Rs. 82.22 lakh has been provided for the year 1995-96 and Rs. 126.74 lakhs is proposed for the year 1996-97 for implementation of this programme in all the urban local bodies in the State.

14.8 The details of amount allocated to the urban local bodies as grant-in-aid during the year 1996-97 for carrying out developmental activities are as per table given below:-

(Rs. in lakh)

Head of Account	Plan	Non-Plan	Special Component Plan	Total
3054-Roads and Bridges	10.00	94.41	-	104.41
2215-Water Supply and sanitation	61.00	31.39	-	92.39
2217-Urban Development	418.47	74.72	-	493.19
2225-Welfare of SC/ST & OBC	-	-	4.90	4.90
2235-Social Security & Welfare	-	3.98	-	3.98
3604-Compensation & Assistance to Urban Local Bodies	-	446.68	-	446.68
Total	489.47	651.18	4.90	1,145.55

PART-II

STATISTICAL TABLES

CONTENTS

	Table		Page
1.	Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh	..	2
2.	District-wise Area,Population, Sex Ratio and Density of Population	..	2
3.	Distribution of Population by Main Workers, Marginal Workers and Non-Workers-1991 Census	..	3
4.	Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and Other Workers-1991 Census	..	3
5.	Handicapped Population of Himachal Pradesh-1981 Census	..	4
6.	Projected Population of Himachal Pradesh	..	4
7.	Production of Principal Crops	..	5
8.	Index Numbers of Area under Principal Crops	..	6
9.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops	..	7
10.	District-wise Number and Area of Operational Holdings,1990-91	..	8
11.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements	..	9
12.	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	..	9
13.	Area under Forests	..	10
14.	Co-operation	..	11
15.	Generation and Consumption of Electricity	..	12
16.	Area under Fruits	..	13
17.	Production of Fruits	..	13
18.	Himachal Pradesh Government Employees	..	14
19.	Employment Exchange Statistics	..	14
20.	Education	..	15
21.	Medical and Public Health	..	16
22.	Roads	..	17
23.	Nationalised Road Transport	..	17
24.	Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh	..	18
25.	All-India Index Numbers of Wholesale Prices	..	19
26.	Plan Outlays	..	20
27.	Incidence of Crimes	..	25

Units of measurement and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

..	..	Not available
–	..	Nil or negligible
P	..	Provisional
R	..	Revised

TABLE-1

SALIENT FEATURES OF POPULATION CENSUS IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951 ..	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961 ..	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971 ..	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981 ..	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991 ..	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7

Source:-(i)General Population Tables-IIA,Census of India,1971
(ii)Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of S.C. and S.T.
(iii)Census of India, 1991 Final Population Totals-Series-9, H.P., Paper-I, of 1992.

TABLE-2

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION 1991 CENSUS

District	Area (sq.kilometres)	Population	Sex ratio (Females per thousand males)	Density per sq. kilometre
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	2,95,387(5.71)	1,002	253
Chamba ..	6,528 (11.72)	3,93,286(7.60)	949	60
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	3,69,128(7.14)	1,105	330
Kangra ..	5,739 (10.31)	11,74,072(22.71)	1,024	205
Kinnaur ..	6.401 (11.50)	71,270(1.38)	856	11
Kullu ..	5,503 (9.88)	3,02,432(5.85)	920	55
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	31,294(0.61)	817	2
Mandi ..	3,950 (7.09)	7,76,372(15.01)	1,013	197
Shimla ..	5,131 (9.22)	6,17,404(11.94)	894	120
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	3,79,695(7.34)	897	134
Solan ..	1,936 (3.48)	3,82,268(7.39)	909	197
Una ..	1,540 (2.77)	3,78,269(7.32)	1,017	246
Himachal Pradesh ..	55,673(100.00)	51,70,877(100.00)	976	93

Note- Figures in brackets indicate percentage to total.
Source:-(i)Census of India,1991 Final Population Totals-Series-9,H.P., Paper-I of 1992.

TABLE-3

DISTRIBUTION OF POPULATION BY MAIN WORKERS, MARGINAL WORKERS AND NON-WORKERS-1991 CENSUS

District	Population	Main workers	Marginal workers	Non-Workers	Percentage of main workers to total pop.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur ..	2,95,387	91,672	40,082	1,63,633	31.03
Chamba ..	3,93,286	1,28,018	63,056	2,02,212	32.55
Hamirpur ..	3,69,128	1,10,256	44,294	2,14,578	29.87
Kangra ..	11,74,072	3,23,420	80,128	7,70,524	27.55
Kinnaur ..	71,270	33,723	3,638	33,909	47.32
Kullu ..	3,02,432	1,28,338	16,619	1,57,475	42.44
L & Spiti ..	31,294	16,954	3,366	10,974	54.18
Mandi ..	7,76,372	2,90,851	64,104	4,21,417	37.46
Shimla ..	6,17,404	2,65,986	34,207	3,17,211	43.08
Sirmaur ..	3,79,695	1,52,296	24,600	2,02,799	40.11
Solan ..	3,82,268	1,33,728	38,501	2,10,039	34.98
Una ..	3,78,269	1,03,858	22,684	2,51,727	27.45
H.P. ..	51,70,877	17,79,100	4,35,279	29,56,498	34.41

Source:-Census of India, 1991, Final Population Totals, Series-9, H.P., Paper-1 of 1992.

TABLE-4

DISTRIBUTION OF MAIN WORKERS BY CULTIVATORS, AGRICULTURAL LABOURERS, HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS-1991 CENSUS

District	Main Workers	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	91,672	62,062	1,235	1,377	26,998
Chamba	1,28,018	85,504	1,373	1,581	39,560
Hamirpur	1,10,256	67,790	2,035	2,015	38,416
Kangra	3,23,420	1,69,820	19,237	7,540	1,26,823
Kinnaur	33,723	18,374	1,729	944	12,676
Kullu	1,28,338	1,00,289	2,901	1,391	23,757
L & Spiti	16,954	8,763	873	130	7,188
Mandi	2,90,851	2,14,441	4,128	3,478	68,804
Shimla	2,65,986	1,59,791	9,066	1,269	95,860
Sirmaur	1,52,296	1,09,506	5,091	1,661	36,038
Solan	1,33,728	73,496	2,729	1,752	55,751
Una	1,03,858	55,475	8,271	2,316	37,796
H.P	17,79,100	11,25,311	58,668	25,454	5,69,667

Source:-Census of India, 1991 Final Population Totals, Series-9, H.P., Paper-I of 1992.Population.

TABLE-5

HANDICAPPED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH-1981 CENSUS

District		Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1.		2.	3.	4.	5.
Bilaspur	..	179	194	202	575
Chamba	..	268	229	354	851
Hamirpur	..	209	203	253	665
Kangra	..	519	510	671	1,700
Kinnaur	..	189	24	277	490
Kullu	..	234	117	412	763
Lahaul-Spiti	..	32	16	26	74
Mandi	..	685	549	665	1,899
Shimla	..	645	300	553	1,498
Sirmaur	..	432	180	288	900
Solan	..	240	206	219	665
Una	..	292	167	175	634
Himachal Pradesh	..	3,924	2,695	4,095	10,714

Source:-Census of India,1981, Series 7, Himachal Pradesh
Part-V tables on Houses and Disabled Population.

TABLE-6

PROJECTED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH
('00 persons)(Provisional)

Period	Projected Population (as on Ist March)	Projected Population (as on Ist July)
1.	2.	3.
1992	52,693	53,025
1993	53,695	54,033
1994	54,716	55,061
1995	55,757	56,109
1996	56,819	57,194
1997	57,951	58,335
1998	59,105	59,495
1999	60,282	60,680
2000	61,484	61,890
2001	62,709	..

Source:-Report of the Expert Committee on Population
Projection set up by the Planning Commission.

TABLE-7

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(in '000 tonnes)

Crops	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS					
A. Cereals:					
1. Rice	94.53	106.50	103.02	110.34	108.31
2. Maize	669.20	654.96	589.22	641.56	643.19
3. Ragi	4.36	4.06	3.87	4.18	2.11
4. Small Millets	8.90	10.32	7.05	9.22	5.57
5. Wheat	543.69	601.72	593.47	503.12	415.18
6. Barley	37.10	43.06	35.61	32.07	33.13
Total-Cereals	1,357.78	1,420.62	1,332.24	1,300.49	1,207.49
B. Pulses:					
7. Gram	1.70	2.23	1.50	1.41	1.38
8. Other Pulses	9.16	10.45	11.06	10.68	10.28
Total pulses	10.86	12.68	12.56	12.09	11.66
Total-Foodgrains	1,368.64	1433.30	1,344.80	1,312.58	1,219.15

Source:- Directorate of Land Records Himachal Pradesh.

TABLE-8

INDEX NUMBERS OF AREA UNDER PRINCIPAL CROPS

(Base=Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD CROPS					
1. Cereals:					
(i)Kharif:					
Rice	95.88	91.86	89.96	88.57	94.97
Maize	111.32	113.28	111.41	110.16	108.25
Ragi	54.35	50.60	43.83	43.17	24.06
Millets & others	72.76	67.81	65.74	64.12	69.56
Total-Kharif	103.97	104.02	102.00	100.71	100.60
(2)Rabi:					
Wheat	104.49	106.08	107.66	106.76	105.93
Barley	79.63	81.39	77.80	75.31	76.65
Total Rabi	102.20	103.81	104.91	103.86	103.23
Total Cereals	103.11	103.92	103.42	102.25	101.89
B. Pulses:					
Gram	38.03	22.00	18.00	15.79	21.47
Mash	79.57	84.39	77.46	81.50	75.74
Other Pulses	82.29	86.58	111.36	100.49	94.90
Total-Pulses	69.54	68.69	73.16	70.56	67.86
Total Food Crops	100.83	101.53	101.37	100.10	99.58
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	46.37	34.54	40.95	24.50	28.06
Sesamum	105.11	106.40	121.58	105.92	95.77
Rape & Mustard	116.08	137.39	141.73	138.09	141.98
Linseed	74.35	71.48	69.35	67.56	65.11
Total-Oil Seeds	96.14	106.69	108.17	99.99	97.29
B. Miscellaneous:					
Potato	104.86	100.01	89.68	89.65	90.95
Sugarcane	83.12	80.47	70.69	76.48	70.89
Ginger	67.05	70.92	77.34	76.27	66.78
Tea	80.88	69.34	98.00	93.53	100.43
Total-Miscellaneous	95.58	90.88	87.31	87.33	88.44
Total-Non-food crops	95.83	95.79	96.78	93.08	92.46
Total-Crops	100.59	101.25	101.14	99.75	99.23

Source*--Economics & Statistics Department,H.P.

TABLE-9

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(Base: Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A. Cereals: (i)Kharif:					
Rice	102.11	115.04	111.28	119.19	117.00
Maize	142.01	138.99	125.04	136.14	136.49
Ragi	58.20	54.14	51.76	55.86	28.28
Millets & Others	66.33	77.07	52.52	68.59	41.46
Total-Kharif	131.93	132.32	120.35	130.82	129.96
(ii)Rabi:					
Wheat	140.28	155.25	153.12	129.81	107.12
Barley	88.06	102.20	84.53	76.14	78.64
Total Rabi	135.43	150.32	146.75	124.83	104.48
Total-Cereals	133.42	139.97	131.56	128.27	119.11
B. Pulses:					
Gram	28.99	37.72	25.43	23.97	31.84
Mash	35.45	59.69	51.48	77.59	70.05
Other Pulses	98.69	91.15	109.46	74.59	69.61
Total-Pulses	53.44	62.98	61.90	60.49	58.37
Total-Food Crops	130.23	136.90	128.79	125.57	116.68
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	19.46	12.82	43.16	32.10	37.23
Sesamum	148.28	69.03	107.01	92.01	70.64
Rape & Mustard	155.92	175.21	170.21	211.60	75.46
Linseed	88.58	74.96	78.21	75.19	71.23
Total-Oil Seeds	119.81	92.96	110.54	114.38	67.94
B. Miscellaneous:					
Potato	227.65*	145.02*	151.77*	185.49*	168.63*
Sugarcane	61.03	65.92	38.64	59.74	54.39
Ginger	34.91	34.91	53.34	66.14	26.00
Tea	..	100.23	..	..	..
Total-Miscellaneous	153.95	106.45	111.32	136.28	115.19
Total-Non-food crops	145.86	103.26	111.14	131.09	104.00
Total-Crops	131.33	134.51	127.53	125.96	115.78

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

* Data of Agriculture Deptt. has been taken into account

TABLE-10

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS 1990-91

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	45,738	54,028
Chamba	64,728	58,653
Hamirpur	65,851	76,735
Kangra	2,16,006	2,07,975
Kinnaur	9,618	13,742
Kullu	56,837	46,286
Lahaul & Spiti	3,980	6,403
Mandi	1,31,796	1,29,701
Shimla	82,521	1,20,468
Sirmaur	43,812	1,03,064
Solan	46,936	91,297
Una	65,970	1,01,414
Himachal Pradesh	8,33,793	10,09,766

Source: Directorate of Agricultural Census,H.P.

TABLE-11

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category		1982	1987	1992(P)
A. Livestock:				
1. Cattle	..	21,73	22,45	21,52
2. Buffaloes	..	6,16	7,95	7,01
3. Sheep	..	10,90	11,13	10,74
4. Goats	..	10,60	11,20	11,16
5. Horses and ponies	..	17	20	14
6. Mules and donkeys	..	19	31	23
7. Pigs	..	8	18	7
8. Other livestock	..	6	2	6
Total-Livestock	..	49,89	53,44	50,93
B. Poultry	..	4,61	7,54	6,64
C. Agricultural implements:				
1. Ploughs	..	6,24	7,99	6,97
2. Carts	..	3	5	1
3. Cane crushers	..	3	1	2
4. Ghanies	..	..	1	..

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE-12

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber (Standing Volume '000 cu. metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other Pro-duce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1989-90	436.0	5,143	17,392	552	29,422
1990-91	312.3	12,904	28,494	673	21,411
1991-92	356.4	2,949	39,104	919	27,501
1992-93	391.0	6,892	54,322	1,381	24,635
1993-94	371.2	31,302	74,514	1,628	78,007
1994-95	449.7	1,701	62,153	916	78,342
1995-96	533.0	1,627	61,363	897	46,701

*Firewood extracted/collected includes charcoal extraction also.

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh

TABLE-13

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1987-88	1,896	33,482	872	493	948	37,691
1988-89	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1989-90	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1990-91	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1991-92	1,896	33,350	868	529	948	37,591
1992-93	1,896	31,166	635	450	915	35,062
1993-94	1,896	31,473	680	404	954	35,407
1994-95	1,896	31,453	680	404	993	35,427
1995-96	1,896	31,541	684	404	993	35,518

Source:-Forest Department,Himachal Pradesh

TABLE-14

CO-OPERATION

Item	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	2.	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,140	2,140	2,143	2,139
Non-Agricultural	2,022	2,137	2,193	2,209
Urban banks	7	7	7	6
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	70	63	63	61
TOTAL	4,243	4,351	4,410	4,419
II.Membership('000):				
Agricultural societies	846	871	892	908
Non-Agricultural Societies	174	183	182	195
Urban banks	7	8	8	8
State and Central banks	28	29	31	33
Other secondary societies	15	14	16	9
TOTAL	1,070	1,105	1,129	1,153
III.Working Capital(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	11987.85	13584.22	15540.99	17796.71
Non-Agricultural Societies	6569.14	22721.39	8924.74	11959.75
Urbam banks	1527.46	2304.58	2671.66	3088.52
State & Central banks	59454.63	72920.11	97923.42	107260.30
Other secondary societies	5709.29	6331.00	5831.44	7364.48
TOTAL	85248.37	117861.30	130892.25	147469.76
IV.Loans Advanced(lakh Rs.)				
Agricultural societies	2488.65	2678.83	3179.94	3654.11
Non-Agricultural societies	617.74	818.07	1249.79	1350.17
Urban banks	2681.32	3227.43	3640.12	4142.80
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	64344.68	84572.82	129235.43	79492.33
V.Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	4511.31	5110.78	6001.53	6810.56
Non-Agricultural societies	983.23	1146.56	1923.27	2206.08
Urbam banks	1016.24	1411.00	1364.17	1667.78
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	19706.16	25390.83	25499.23	27421.13

Source:-Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-15

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(In million kwh)

Item	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Electricity generated	1050.4	1087.4	976.6	1131.7	1286.0
2.Electricity purchased from BMB & other States	1200.7	1256.2	1339.0	1685.4	1926.0
3.Electricity consumed:					
(a)Domestic	253.1	283.2	312.5	348.5	387.0
(b)Commercial light,public water works & sewage pumping	83.7	88.0	91.7	103.1	112.0
(c)Industrial	582.0	634.0	675.5	797.3	967.0
(d)Street lighting	3.2	3.6	4.1	4.4	5.0
(e)Irrigation & agriculture	29.8	14.1	13.6	12.0	12.0
(f)Others	70.2	60.4	58.2	74.4	115.0
Total Consumption	1022.0	1083.3	1155.6	1339.7	1598.0
4.Electricity sold outside the State	818.2	823.4	756.9	984.6	1049.0

Source: State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-16

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1988-89	57,447	27,328	12,061	32,995	19,453	1,49,284
1989-90	59,988	27,956	12,559	34,863	21,103	1,56,469
1990-91	62,828	28,462	13,154	36,005	22,881	1,63,330
1991-92	66,767	29,051	13,581	36,885	24,484	1,70,768
1992-93	69,439	29,475	14,008	37,621	26,348	1,76,891
1993-94	72,406	30,145	14,553	37,692	27,508	1,82,304
1994-95	75,469	30,780	14,935	38,323	30,182	1,89,689
1995-96	78,292	31,292	15,237	38,595	32,268	1,95,684

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-17

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1987-88	259.28	26.86	2.72	10.87	8.96	308.69
1988-89	165.16	11.52	2.63	8.47	9.57	197.35
1989-90	394.84	39.63	3.41	12.32	9.76	459.99
1990-91	342.07	14.93	3.11	12.60	13.60	386.31
1991-92	301.73	26.03	2.40	7.74	4.40	342.30
1992-93	279.05	16.04	2.64	9.31	17.81	324.85
1993-94	294.73	21.39	2.21	4.41	2.73	325.47
1994-95	122.78	27.50	2.37	6.67	11.22	170.54
1995-96	276.68	21.07	2.48	5.84	5.82	311.89

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-18

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1985 ..	94,724	3,507	5,221	80,355
1986 ..	96,936	4,725	5,189	83,726
1987 ..	1,01,395	5,971	6,521	86,753
1988 ..	1,03,211	6,023	5,707	85,438
1989 ..	1,07,669	6,087	5,791	66,359
(30-06-1989)				
1990 ..	1,11,700	4,217	6,098	58,617
1991 ..	1,13,851	4,613	5,434	58,024
1992 ..	1,14,831	4,866	6,126	65,042
1993 ..	1,12,717*	5,404	6,624	59,570
1994 ..	1,13,039*	5,426	6,455	60,124
1995(P) ..	1,14,272*	5,585	12,135	60,571

* Excludes employees on adhoc & tenure basis.

Source:- Economics & Statistics Department, H.P.

TABLE-19

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Candidates registered	Placements	Vacancies notified	On live register
1.	2.	3.	4.	5.
1989	1,19,204	7,804	11,643	4,27,866
1990	89,619	6,110	6,023	4,40,093
1991	91,176	4,069	6,069	4,58,738
1992	96,580	5,223	5,878	4,73,677
1993	1,02,602	4,483	7,402	4,84,128
1994	1,17,559	4,885	9,309	5,32,882
1995	1,26,596	5,404	8,521	5,95,502
1996	1,57,520	4,760	11,104	6,45,373

Source:-Directorate of Labour & Employment,H.P.

TABLE-20

EDUCATION

Item	1994-95	1995-96	1996-97 (P)
1.	2.	3.	4.
No. of Educational Institution			
1. Primary/Junior Basic Schools	7,740	8,393	8,850
2. Middle/Senior Basic Schools	994	1,000	1,006
3. High/ Senior Secondary Schools	1,090	1,116	1,176
4. Degree Colleges*	25	32	32

* Includes one B.Ed. College at Dharamshala and one N.C.E.R.T. Institution at Solan.

Source :- Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-21

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	Unit	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (As on 31st Dec., 1996)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Allopathic institutions:					
(a)Hospitals#	No.	57	57	57	57
(b)Primary Health Centres	"	220	233	244	245
(c)Community Health Centres	"	30	37	39	41
(d)Rural Hospitals (upgraded PHCs.)	"	13	9	8	8
(e)Dispensaries#	"	184	183	181	181
TOTAL	"	504	519	529	532
2.Beds available	No	8129	8958	8971	8971
3.Ayurvedic institutions:					
(a)Hospitals*	"	12	12	15*	15
(b)Dispensaries	"	523	590	657	657
(c)Ayurvedic Pharmacies	"	2	2	2	2
(d)Research Institutions	"	1	1	1	1
TOTAL	"	538	605	675	675
4.Beds availbale	No	534	534	554	554

Source:- Directorates of Health & Family Welfare and Ayurveda, Himachal Pradesh.

* One nature cure hospital is also added.

It also includes private medical institutions

TABLE-22

ROADS

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Motorble double lane	1,994	1,994	2,000	2,100	2,150	2,200
2.Motorble single lane	15,296	15,701	16,160	16,420	16,710	17,110
3.Jeepable	826	835	865	895	871	910
4.Less than Jeepable	4,329	4,250	4,328	4,397	4,385	4,445

Note-Figures include National Highways also.
Source:-Public Works Department,Himachal Pradesh

TABLE-23

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1986-87	1,300	8	48	1,356	1,093	83,300
1987-88	1,334	7	52	1,393	1,125	87,900
1988-89	1,376	7	51	1,434	1,207	85,200
1989-90	1,503	6	60	1,569	1,272	86,400
1990-91	1,525	8	60	1,593	1,400	89,407
1991-92	1,606	9	58	1,673	1,524	106,667
1992-93	1,614	-	-	1,614	1,569	113,278
1993-94	1,598	9	56	1,663	1,499	122,194
1994-95	1,670	9	58	1,737	1,526	123,476
1995-96	1,692	8	63	1,763	1,621	126,633

Source:-Himachal Road Transport Corporation,Shimla.

TABLE-24

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base:1982=100		For Urban non-manual Employees Shimla Centre Base:1984-85=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1989*	165	169	147
1990	182	186	159
1991	205	215	177
1992	226	235	198
1993	244	253	213
1994	268	287	236
1995	292	315	252
1996			
			1995
January	294	309	244
February	296	311	245
March	299	315	245
April	306	328	248
May	306	328	249
June	308	330	250
July	317	338	256
August	321	344	256
September	327	355	259
October	328	357	261
November	331	359	260
December	332	358	256

Source:-Labour Bureau, Government of India.

*Based on revised series with base 1982=100 (Linking factor=3.75)

TABLE-25

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

(Base 1981-82=100)

Items	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ALL COMMODITIES	154.2	165.7	182.7	207.8	228.7	247.8	274.7	295.7
I.Primary Articles:	160.1	163.6	184.9	218.3	234.6	250.9	283.2	304.1
A.Food Articles:	177.1	179.3	200.6	241.1	271.0	284.0	312.7	335.7
B.Non-Food articles	160.2	166.0	194.2	229.2	228.7	249.1	299.0	321.7
C.Minerals	98.5	102.2	109.0	113.5	116.1	133.9	143.6	153.5
II.Fuel,Power,light & lubricants	151.2	156.6	175.8	199.0	227.1	262.4	280.4	285.4
III.Manufactured Products	151.5	168.6	182.8	203.4	225.6	243.2	268.8	293.1
A.Food Products	147.8	165.3	181.7	206.3	223.8	246.7	270.5	278.8
B.Beverages,tobacco & tobacco products	180.7	207.7	242.1	265.7	293.7	306.6	342.1	373.9
.Textiles	139.6	158.2	171.2	188.3	200.7	219.9	256.8	294.6
.Wood & Wood Products	156.6	157.7	159.1	161.6	318.2	380.9	421.0	442.0
.Paper & Paper Products	180.9	208.4	222.4	261.5	311.4	328.2	330.2	374.0
.Leather & Leather Prodcuts	168.4	185.7	224.3	233.9	228.2	245.2	261.8	276.8
.Rubber & Plastic products	155.3	159.4	164.9	170.6	186.2	189.9	200.6	235.4
.Chemical & Chemical Products	135.8	140.0	147.9	168.4	192.6	207.8	232.6	249.9
.Non-metallic mineral Products	152.4	167.0	185.6	215.7	232.8	255.1	275.7	315.8
.Basic metals, alloys & metal Products	176.4	205.6	219.9	234.8	256.6	276.6	300.5	329.0
.Machinery & Machine tools including electrical machinery	150.8	166.2	180.2	208.3	230.6	237.9	262.8	282.8
.Transport Equipment & parts	148.9	166.2	181.3	202.5	218.1	223.8	238.5	254.5
.Other miscellaneous (manufacturing Industries)	103.1	117.2	119.0	128.3	138.8	148.2	165.9	169.9

Source:-(i) Ministry of Industries, Govt. of India.
(ii) R.B.I. Bulletin, November,1996.

TABLE-26

PLAN OUTLAYS

(Rs. in lakhs)

Sector/Head of Development	Provisions for Annual Plan (1997-98)
1.	2.
A. Economic Services:	
I. Agriculture and Allied Services :	
1. Crop Husbandry:	
(a)Agriculture	1,400.00
(b)Horticulutre	1,080.00
(c)Dry Land Farming	30.00
Sub-total (1)	2,510.00
2. Soil Conservation:	
(a)Agriculture	472.00
(b)Forests	282.00
Sub-total (2)	754.00
3. Animal Husbandry	1,300.00
4. Dairy Development	272.00
5. Fisheries	245.00
6. Forests and Wild Life :	
(a) Forestry	5,300.00
(b) Wild Life	250.00
Sub-total (6)	5,550.00
7. Agriculture, Research and Education:	
(a)Agriculture	503.10
(b)Horticulture	411.00
(c)Animal Husbandry	227.10
(d)Forests	283.00
(e)Fisheries	14.80
Sub-total (7)	1,439.00
8. Agricultural Financial Institutions	88.00
9. Marketing and Quality Control:	
(a) Agriculture	16.00
(b) Horticulture	745.00
Sub-total (9)	761.00
10. Loans to Cultivators other than Horticulture	5.00
11. Co-operation	360.00
TOTAL-I	13,284.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
II. Rural Development:	
1. Special Programme for Rural Development:	
(a)Integrated Rural Development	247.00
(b)Expended Subsidy	176.00
(c)Integrated Rural Energy Programme	210.00
Sub-total (1)	633.00
2. Rural Empolyment:	
1. Special Programme for Rural Development:	
(a)Jawahar Rojgar Yojna	330.00
(b)Special Employment Programme	148.00
(c)Employment Assurance Scheme	500.00
(d)D.P.A.P.	124.00
Sub-total (2)	1,102.00
3. Land Reforms:	
(a)Cadastral Survey and Records of Rights	573.00
(b)Supporting Services	5.00
(c)Consolidation of Holdings	341.00
(d)Strengthening of LRA	362.00
(e)Revenue Housing	110.00
(i)Normal Provision	92.00
(ii)T.F.C.Awards	18.00
(f)Forest Settlement	88.00
Sub-total (3)	1,479.00
4. Community Development	201.00
5. Panchayats	1,445.00
(i)Normal Provision	640.00
(ii)T.F.C.Awards	805.00
TOTAL-II	4,860.00
III. Speical Area Programme:	
IV. Irrigation and Flood Control:	
1. Major and Medium Irrigation	350.00
2. Minor Irrigation (IPH)	3,475.00
3. Rural Development Department	34.00
4. Command Area Development	120.00
5. Flood Control	390.00
TOTAL-IV	4,369.00
V. Energy:	
1. Power:	
(a) Generation	10,160.00
(b) Transmission and Distribution	3,617.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
c. Rural Electrification	2,205.00
d. Survey and Investigation	400.00
e. Board's Buildings	10.00
f. Renovation and Modernisation of lower houses	100.00
Sub-total (1)	16,492.00
2. Non-Conventional Energy Sources	
(a) Bio-gas Development	77.00
(b) Development of New and Renewable Soruce of Energy	145.00
Sub-total(2)	222.00
TOTAL-V	16,714.00
VI. Industry and Minerals:	
1. Village and Small Industries	1,240.00
2. Large and Medium Industries	1,200.00
3. Mining	60.00
TOTAL-VI	2,500.00
VII. Transport:	
1. Civil Aviation	810.00
2. Roads and Bridges	9,000.00
3. Road Transport	1,067.00
4. Inland Water Transport	5.00
5. Other Transport Services:	
(a)Ropeways/Cable ways	25.00
(b)I.M.T. Studies	6.00
Sub-Total (5)	31.00
TOTAL-VII	10,913.00
VIII. Tele-Communication	20.00
IX. Science, Technology and Environment:	
1. Scientific Research	90.00
2. Ecology and Environment	10.00
3. Water and Air Pollution Prevention	26.50
TOTAL-IX	126.50

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
X. General Economic Services:	
1.Sectt. Economic Services	227.55
2.Tourism	850.00
3.Survey & Statistics	43.00
4.Civil Supplies	337.00
5.Weights and Measures	14.00
6.Other General Services:	
(a)Institutional Finance & Public Enterprises	9.00
(b)District Planning	4,884.05
Sub-Total (6)	4,893.05
7.Consumer forum	72.00
TOTAL-X	6,436.60
TOTAL-A-Economic Services	59,223.10
B. Social Services:	
XI. Education Sports, Art and Culture:	
1. Primary Education	3,350.58
2. General and University Education	10,225.00
3. Adult Education/TLC/PLC	50.00
4. Technical Education	1,135.00
5. Art and Culture	225.00
6. Sports and Youth Services	225.00
7. Others:	
(i)Mountaineering and Allied Sports	85.00
(ii)Gazetteer	12.00
Sub-Total (7)	97.00
TOTAL-XI	15,307.58
XII.Health:	
1. Allopathy	3,100.00
2. Ayurveda and Other ISMs	1,100.00
3. Medical Education	1,275.00
4. Dentle Deptt.	51.00
5. Directorate of Medical EDU. & RES.	18.00
TOTAL-XII	5,544.00
XIII.Water Supply,Housing & Urban Development and Sanitation:	
1. Water Supply:	
(a)Urban Water Supply	2,425.00
(b)Rural Water Supply	5,626.00
Sub-Total-1	8,051.00

TABLE-26-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
2. Sewerage and Sanitation:	
(a)Sewerage Services	980.00
(b)Rural Sanitation	345.00
(C)Low Cost Sanitation	5.00
Sub-Total-2	1,330.00
3. Housing including Police Housing:	
(a)Pooled Govt. Housing	800.00
(b)Housing Department	1,409.60
(c)Rural Housing	2,268.00
(d)Police Housing	399.81
(e)Housing loan to Govt. Employees	800.00
Sub-Total-3	5,677.41
4.Urban Development:	
(a)Town and Country Planning	280.00
(b)Environment Improvement of Slums	140.00
(c)Grant-in-aid to Local Bodies and Directorate of Urban Local Bodies	775.00
(d)Urban Development Authority	286.00
Sub-Total-4	1,481.00
TOTAL-XIII	16,539.41
XIV. Information and Publicity	194.00
XV.. Welfare of SC/ST/OBCs:	
(a) Welfare of Backward Classes	352.00
(b)Equity contribution to Welfare Corporation	176.00
TOTAL-XV	528.00
XVI.Labour and Labour Welfare	125.00
XVII.Social Welfare :	
(a)Social Welfare	762.00
(b)S.N.P. including ICDS	600.00
TOTAL-XVII	1,362.00
TOTAL B-Social Services	39,[illegible].79

TABLE-26-Conld...

(Rs. in lakh)

1.	2.
C. General Services:	
1. Stationery and Printing	150.00
2. Pooled non-residential Government Building	1,100.00
3. Others:	
(a)HIPA	42.00
(b)Nucleus Budget for Tribal Areas	70.00
(c)Tribal Development Machinery	40.00
(d)Development /Welfare of Ex-Servicemen	107.00
(e)Upgradation of Judiciary Infrastructure	34.00
(f)People's participation in field development	292.00
(g)Fire services	75.00
(h)Police training	10.97
(i)Police telecommunication	44.69
(j)Jails	11.25
Sub-Total-3	726.91
TOTAL-C-General Services	1,976.91
TOTAL(All Sectors A+B+C)	1,00,800.00

Source: Annual Plan, 1997-98, Himachal Pradesh

TABLE-27
INCIDENCE OF CRIMES

District	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bilaspur	632	698	674	808	911	1,037
Chamba	1,010	1,117	1,235	1.088	1,046	1,147
Hamirpur	467	595	649	764	743	662
Kangra	3,029	3,161	3,412	3,178	3,595	3,442
Kinnaur	267	282	308	321	334	286
Kullu	867	807	948	971	992	1,017
Lahaul-Spiti	152	163	182	146	163	153
Mandi	2,131	1,903	2,351	2,235	2,453	2,172
Shimla	2,890	2,746	3,194	3,152	2,588	2,659
Sirmaur	921	841	1,126	1,251	1,173	1,126
Solan	1,051	917	1,210	1,338	1,360	1,271
Una	812	819	1,022	958	1,100	1,179
Railway & Traffic	12	7	10	11	8	11
Himachal Pradesh	14,241	14,056	16,321	16,221	16,466	16,162

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

NIEPA DC
D10774

National ... Educational
Planning ... Administration.
17-B, ... Aurobindo Marg,
New Delhi ... 016
DOC, No D-10774
Date 26-07-2000.